मंगलवार, 3 सितम्बर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

3 सितम्बर, 1996 के वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
31	1	द्वरा	द्वारा
67	3	श्री आर॰ रायपृथान	श्री अमर राय पृधान

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 23, मंगलवार, 3 सितम्बर, 1996/12 भाद्र, 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441	4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 460	6–34
अतारांकित प्रश्न संख्या 3940 से 4169	34–224
सभा पटल पर रखे गये पत्र	225–232
राज्य सभा से संदेश	233
संचार संबंधी स्थायी समिति	233
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	234
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	234
पैंतीसवां प्रतिवेदन – **सभा पटल पर रखा गया**	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	**234–236**
मोडवेट स्कीम	
श्री पी. चिदम्बरम	234–236

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 3 सितम्बर, 1996/12 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : आज गुजरात विधान सभा विश्वास-प्रस्ताव पर विचार करने वाली थी, परन्तु उपाध्यक्ष ने **...(व्यवधान)** विधान सभा को एडजर्न कर दिया है। हम उपाध्यक्ष के कंडक्ट की निन्दा करना चाहते हैं। आज विधान सभा मिलने वाली थी, विधान सभा के सत्र से पहले उपाध्यक्ष ने इसको एडजर्न कर दिया। उपाध्यक्ष को विधान सभा एडजर्न करने का कोई राइट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम **...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई एक व्यक्ति बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। बैठिये, बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसे प्रश्न-काल के बाद उठाया जा सकता है। **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। एक आदमी बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : वे गुजरात की चर्चा यहां कैसे कर सकते हैं? **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : फिर बोलते जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इश्यू है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक सदस्य बोले।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने मामला पहले ही उठा दिया है। वे मामले को शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साधारणत: हमारी प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं है कि हम प्रश्न काल शुरू होते ही किसी प्रकार का व्यवधान डालें। परंतु जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह अपने आप में एक ऐसी अनहोनी परिस्थिति है, अगर उस पर इस सदन में ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि जो सारी कार्यवाही हम यहां कर रहे हैं, वह अर्थहीन हो जाएगी। गुजरात विधान सभा का आज सत्र निर्धारित था। गुजरात विधान सभा में आज एक बजे के करीब सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना था। चूंकि वहां के अध्यक्ष महोदय बहुत ही अस्वस्थ हैं, वे चेयर पर नहीं आ सके, पर आने से पहले उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि जो 46 विधायकों का गुट है, उसको हम अलग से मान्यता नहीं देते हैं, आज उस पर एक बजे विश्वास मत प्राप्त होगा। जैसे ही गुजरात विधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ, विश्वास मत प्राप्त करने के बजाए वहां के उपाध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : वे गुजरात के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं ...(**व्यवधान**) यह बहुत ही अपमानजनक है। आप इस सभा में न तो राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष के आचरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)। नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। नियम बहुत स्पष्ट है। आप दूसरी सभा के उपाध्यक्ष के आचरण की चर्चा नहीं कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)। महोदय, आपके आचरण की चर्चा राज्य विधान सभा में नहीं की जा सकती है, न ही राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के आचरण की चर्चा यहां पर की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : ये जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**) माननीय दासमुंशी ने जो बात कही है, वह ठीक है, लेकिन हम उसे इसलिए बताना चाहते हैं कि वहां जो वाक्या हुआ है, पहले उसे समझा जाए। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : महोदय, आप इस बारे में अपनी व्यवस्था दें कि क्या आपने प्रश्न काल स्थगित कर दिया है या नहीं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अलाऊ करूंगा, पहले उनको सुन लें। आप भी बोल सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : वहां के सदन में जो हुआ है वह आज प्रजातंत्र की हत्या है, एक साजिश है। आज अगर वहां के कांग्रेस पार्टी के नेता यहां आकर प्रधान मंत्री से मिलते हैं ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपको प्रश्न-काल स्थगित करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? ...(**व्यवधान**) वे इस मामले को शून्य-काल के दौरान उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। प्रश्न संख्या 441- श्री माणिकराव होडल्या गावीत

...(**व्यवधान**)

श्री पी. आर. दासमुंशी : प्रश्न-काल को स्थगित करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव लाए बिना प्रश्न-काल के दौरान कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता है ...(**व्यवधान**)

श्री पी. एम. सईद : उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें यह मामला शून्य-काल के दौरान उठाने दीजिए। प्रश्न-काल जारी रहने दें। ...(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में विश्वास या अविश्वास का फैसला विधान सभा में ही होना होता है। हम इसका फैसला बाहर नहीं कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री पी. आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था दें कि इसे प्रश्न-काल के दौरान नहीं उठाया जा सकता है ...(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : मैं राज्य सभा के सभापति के आचरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं ...(**व्यवधान**) आपने मुझसे पूछा था कि तथ्य क्या हैं। मैं आपके समक्ष केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं ...(**व्यवधान**) हम अन्य विधान सभाओं के आचरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री माणिकराव होडल्या गावीत को प्रश्न संख्या 441 पूछने के लिए कह दिया है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोयले की चोरी

***441. श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने किसी स्तर पर उस कोयले के नुकसान का अनुमान लगाया है जो कोयला खानों से गंतव्य स्थानों पर ले जाए जाते समय चोरी चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) ऐसे नुकसान को कम करने के लिए कौन से निषेधात्मक कदम उठाए गए हैं और इसमें रेलवे कर्मचारी तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी कहां तक शामिल हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मार्ग में चोरी के कारण होने वाली कोयले की हानि का अनुमान रेलों द्वारा नहीं लगाया जाता, क्योंकि कोयले की ढुलाई मालिक के जोखिम पर प्राय: खुले माल डिब्बों में की जाती है। रेलें ऐसी कोयला खानों में, जहां तुला-चौकियां न हों, लदान

और गंतव्य स्थलों पर कोयला उतारने के काम पर नजर भी नहीं रखती।

स्टेशनों, यार्डों और मार्ग में कोयले तथा अन्य माल की चोरी/उठाईगिरी की रोकथाम के लिए रेलों का अपना एक सिस्टम है। रेल माल डिब्बों में ढोई जाने वाली सभी वस्तुओं तथा कोयले की चोरी की रोकथाम के लिए यार्डों में रेल सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है। जो अन्य निवारक उपाय किए जाते हैं, वे नीचे लिखे अनुसार हैं :

1. जिन खंडों की चोरी/उठाईगिरी के लिए भेद्य खंडों के रूप में पहचान की गई है, उन पर कोयला गाड़ियों सहित मालगाड़ियों में रेल सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारी गाड़ी के साथ चलते हैं।

2. बड़े-बड़े यार्डों तथा अन्य प्रभावित खंडों/क्षेत्रों में गहन गश्त भी लगाई जाती है।

3. रेल सुरक्षा बल के अपराध आसूचना स्कंध को सक्रिय बनाया गया है जो अपराधियों के बारे में आसूचना इकट्ठी करता है और उसके आधार पर चुरायी गयी सामग्री को प्राप्त करने और अपराधियों को दंड देने के लिए छापे मारे जाते हैं यथा तलाशियां ली जाती हैं। खासतौर से बदनाम क्षेत्रों में कुत्ता दस्ते भी तैनात किए जाते हैं।

बहरहाल, मार्ग में गाड़ियों पर रेलों का अधिक नियंत्रण नहीं रहता। ये गाड़ियां विभिन्न राज्यों से होकर जाती हैं तथा कानून और व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों, अर्थात् पुलिस और नागरिक प्रशासन के नियंत्रण में है। लेकिन अपराधियों को पकड़ने और इस तरह की गतिविधियों की रोकथाम के लिए रेलें विभिन्न राज्यों की रा. रे. पु. और स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट संपर्क बनाए रखती हैं।

कोयले की चोरी में रेल कर्मचारियों तथा रेल सुरक्षा बल के शामिल होने के मामले भी हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेल सुरक्षा बल के तीन कर्मचारियों सहित कुल 183 रेल कर्मचारी कोयले की चोरी में संलिप्त पाए गए। उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गयी जिसमें न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना भी शामिल है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

इस समय, डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के सामने खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12 बजे तक स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

*442. **श्री मंगत राम शर्मा :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार वास्तविक रूप से कितनी राशि आवंटित हुई और कितनी राशि दी गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जैसाकि आठवीं योजना के दौरान निर्धारित हुआ है, सरकार ने सभी 78 कृषि विज्ञान केन्द्रों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा, 20 जिलों को नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए पहचाना जा चुका है, बशर्ते कि योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो और 1996-97 के दौरान धनराशि भी उपलब्ध हो। जहां तक 1997-98 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का संबंध है, नौवीं योजना के लिए कार्य करते समय इसका ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

(ग) जी हां। 6 कृषि विज्ञान केन्द्रों को राज्य सरकार/सरकारी निकायों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है, इसके अलावा 141 कृषि विज्ञान केन्द्र राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत, 26 कृषि विज्ञान केन्द्र, भा. कृ. अनु. प. के संस्थानों के अंतर्गत और 88 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वयंसेवी संगठनों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे थे।

(घ) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजना के आधार पर क्रियाकलापों के लिए उन्हें निधियां आवंटित की जाती हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख क्रियाकलापों में किसानों, खेतिहर महिलाओं तथा ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, फसलों, बागवानी, पशु-धन तथा अन्य क्षेत्रों का

किसानों के खेतों में परीक्षण तथा तिलहनों एवं दालों के अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों का आयोजन तथा क्षेत्र स्तर के प्रसार अधिकारियों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण जैसे कार्य शामिल हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि 102.38 करोड़ तथा जारी की गई कुल राशि 105.56 करोड़ रु. है। राज्य तथा वर्षवार **विवरण** संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्रं. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1993-94		1994-95		1995-96		कुल	
		स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	27.48	–	19.75	21.85	16.93	43.64	64.16	65.49
2.	आंध्र प्रदेश	328.07	353.98	219.70	245.86	226.10	313.28	773.87	913.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	33.92	19.85	31.21	38.13	11.95	11.95	76.08	69.93
4.	असम	43.34	37.21	44.23	69.08	116.36	69.84	203.93	262.42
5.	बिहार	236.64	265.70	355.56	248.76	304.01	214.64	896.21	729.10
6.	दिल्ली राज्य	–	–	4.75	4.75	17.45	43.83	22.20	48.58
7.	गोवा	11.25	21.50	9.90	6.00	10.20	19.76	31.35	46.76
8.	गुजरात	179.49	125.70	121.76	159.11	112.10	132.47	413.35	417.28
9.	हरियाणा	230.25	156.39	122.75	57.41	139.70	197.48	492.70	411.28
10.	हिमाचल प्रदेश	106.13	106.13	70.45	90.32	119.90	77.64	296.48	274.09
11.	जम्मू व कश्मीर	45.01	48.31	36.41	45.67	53.33	53.70	134.76	147.68
12.	कर्नाटक	90.88	88.73	90.40	165.64	209.05	224.31	390.33	488.68
13.	केरल	96.76	93.26	86.86	102.78	140.95	208.23	324.57	403.77
14.	मध्य प्रदेश	199.31	150.72	34.29	142.76	261.11	237.02	494.71	530.50
15.	महाराष्ट्र	287.03	281.09	177.37	311.70	411.90	544.69	876.30	1137.48
16.	मणिपुर	37.57	19.85	23.29	38.13	11.95	11.95	72.81	69.93
17.	मेघालय	45.07	34.49	35.24	34.29	53.78	53.78	134.09	156.95
18.	मिजोरम	22.92	22.69	6.53	6.53	17.05	–	46.50	29.22
19.	नागालैण्ड	16.92	19.85	11.20	38.13	11.95	11.95	40.07	69.93
20.	उड़ीसा	157.62	139.68	266.87	163.86	205.86	220.20	630.35	523.74
21.	पाण्डिचेरी	12.60	11.91	11.58	9.76	30.05	16.26	54.23	37.93
22.	पंजाब	132.16	153.73	16.70	300.55	120.00	79.60	368.86	33.88
23.	राजस्थान	548.66	335.79	290.95	279.01	261.60	266.22	1101.21	881.02
24.	सिक्किम	37.57	19.85	24.29	38.13	11.95	11.95	73.81	69.93
25.	तमिलनाडु	121.51	144.81	124.15	304.20	258.10	233.65	503.76	682.66
26.	त्रिपुरा	56.04	28.47	40.98	24.05	21.70	25.50	118.72	78.02
27.	उत्तर प्रदेश	635.84	385.16	224.26	387.15	272.37	496.08	1132.47	1268.39
28.	पश्चिम बंगाल	139.96	103.38	154.98	156.66	175.65	89.09	470.59	349.13
	कुल	3880.00	3167.83	2755.45	3480.21	3603.02	3908.71	10238.47	10556.75

[हिन्दी]

नये बूचड़खाने स्थापित करना

*443. **श्रीमती शीला गौतम :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नये बूचड़खाने स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों के निकट कुछ बूचड़खाने खोलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नोटिस टू केबिनेट सेक्रेटरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार अपने आप कोई भी वधशाला स्थापित नहीं करती। यह स्वास्थ्यकर मांस के उत्पादन के उद्देश्य से वधशाला सेवा के आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए राज्यों को केवल सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त निर्यातोन्मुखी बूचड़खानों के रूप में मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्राप्त वधशालाओं/मांस प्रसंस्करण एककों की राज्यवार सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) पक्षियों के वायुयानों से टकराने के जोखिम को रोकने के लिए हवाईअड्डों के 10 किलोमीटर की परिधि से बाहर आधुनिक वधशालाओं के आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय से अभी नोटिस तथा याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त वधशालाओं/मांस प्रसंस्करण संयंत्र परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्थिति
आन्ध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, नेलौर, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापत्तनम।
असम	4	गुवाहाटी (2), नजीरा, सिल्चर
गोवा	1	उसगांव
हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
जम्मू और कश्मीर	1	श्रीनगर
कर्नाटक	1	बंगलौर
केरल	13	थ्रिसुर, कोट्टयाम, मुवात्तुपुझा, कूथातुकुलम (2), इरिंजलाकुडा, थ्रिरुवाला, त्रिपुनिथुरा, थिरुवनन्थपुरम, मंजारी, अंगामली, मालापुरम, कन्नूर
मध्य प्रदेश	3	भोपाल, ग्वालियर, रायपुर
महाराष्ट्र	7	नांदेड़, कोरेगांव, श्रीरामपुर (2), कल्याण (2), अहमदनगर।
मिजोरम	1	ऐजल
नागालैण्ड	2	दीमापुर, तिजित
पंजाब	1	डेराबस्सी
सिक्किम	1	मजिथार
तमिलनाडु	2	सैदापेट, पेरम्बुर
त्रिपुरा	1	अगरतला
उत्तर प्रदेश	10	इलाहाबाद (6), अलीगढ़ (2), आगरा, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	1	दुर्गापुर
चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	1	चण्डीगढ़

[अनुवाद]

वन भूमि का अतिक्रमण

*444. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में आरक्षित वनों/खासलैंड के अतिक्रमण, हस्तांतरण, बिक्री के मामले की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर द्वारा जांच की गई थी;

(ख) क्या सिक्किम के कुछ वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ज्ञापन दिए जाने पर सहायक वन महानिरीक्षक (ई. जैड.) ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर और सहायक वन महानिरीक्षक (ई. जैड.) की रिपोर्टों के क्या मुख्य निष्कर्ष हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम के कुछ वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञापन के अनुसरण में क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों का सार संलग्न **विवरण-I** और **विवरण-II** में दिया गया है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर से प्राप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को विस्तृत टिप्पणी के लिए भेज दी गई है।

विवरण-I

आरोप	परिणाम
1	2
1. पूर्व वन मंत्री द्वारा पर्यटक रिसोर्ट चलाने के लिए रोडोन्ड्रन अभयारण्य में 3 हे. आरक्षित वन क्षेत्र का कथित अंतरण।	यह रिसोर्ट न तो अभयारण्य में और न ही आरक्षित वन में बल्कि खासलैंड में स्थित है। खासलैंड गांवों के लिए एक प्रकार से जलाऊ लकड़ी के भंडार हैं जो कि वन विभाग के नियंत्रण में होते हैं। यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।
2. 1991-92 में खासलैंड के 3 गांवों में 83.29 हे. के 5 प्लाटों का कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा (मंत्री जी के रिश्तेदार) अधिक मुआवजा लेने के लिए अंतरण। रिकार्ड में तारीख 86-87 की दर्शाई गई है।	1952 और 1976-78 के सर्वेक्षणों में 4 प्लाटों को खासलैंड के रूप में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात 1991-92 के सर्वेक्षणों के दौरान इन प्लाटों को राजस्व अधिकारियों द्वारा निजी व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरित किया गया। 33.4420 हेक्टेयर के 3 प्लाटों के रिकार्डों में 1952 के सर्वेक्षण मानचित्रों के अनुसार सुधार हेतु सिक्किम का वन विभाग इस मामले को संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ उठा रहा है। गंगटोक में सर्वेक्षण और बंदोबस्त मुख्यालय में अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार उपरोक्त सर्वेक्षण संख्याएं अभी भी खासलैंड हैं। 44.0820 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक प्लाट में वन विभाग और व्यक्तियों के बीच विवाद जिला प्राधिकारी द्वारा निपटाया जा रहा है। 12.2440 हेक्टेयर का प्लाट निजी भूमि है न कि 14.2440 हेक्टेयर का प्लाट।
3. 1993 में अनुप्रमाणन अधिकारी द्वारा मुंगुथंग में 1100 एकड़ आरक्षित वन भूमि लाचंग के लोगों को दी गई।	सर्वे आफ इंडिया टोपो शीटों से स्पष्ट पता चलता है कि यह भूमियां 1952 के सर्वेक्षण के अनुसार आरक्षित वन है। लेचन के ग्रामीण 1980 में किए गए सर्वेक्षण से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को अभ्यावेदन दिया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि दूसरा सर्वेक्षण कराया जाए। वर्ष 1980 के दौरान किया गया सर्वेक्षण वन विभाग ने स्वीकार नहीं किया। वन विभाग ने अनुप्रमाणन अधिकारी को अभ्यावेदन किया। अनुप्रमाणन अधिकारी

1	2
	ने जुलाई, 1929 के दौरान तिब्बत और सिक्किम सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक प्रलेख पर अपने अधिनिर्णय को आधार बनाकर अनुप्रमाणन अधिकारी ने लोगों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। अनुप्रमाणन अधिकारी इस बात का मूल्यांकन नहीं कर पाए कि आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करके 1952 और 1976-78 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से पिछले सभी समझौते और आदेशों का अतिक्रमण होता है। सिक्किम सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच करने और सरकार को निष्कर्ष प्रस्तुत करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक; मुख्य वन संरक्षक; सचिव, वित्त विभाग तथा सचिव, भूमि सुधार विभाग हैं।

विवरण-II

आरोप	निष्कर्ष
1. लेचन गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा सिक्किम-तिब्बत सीमा पर मुथांग की लोकन घाटी में उत्तरी सिक्किम में 1100 एकड़ (440 हे.) भूमि का दावा।	ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवादों को हल करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने क्षेत्र के पुनः भूकर सर्वेक्षण के लिए 3.96 को अधिसूचना जारी की है।
2. याकचे में 3 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा।	जांच के दौरान पाया गया कि पर्यटक सैरगाह खासमल वनों में है। राज्य स से इस मामले में उनकी टिप्पणियां मंगाने का अनुरोध किया है जिसकी प्रतीक्षा है।
3. गंगटोक में वी. आई. पी. काम्पलैक्स का निर्माण।	राज्य सरकार ने दिनांक 29.2.1996 के अपने पत्र के द्वारा सूचित किया है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार इसमें सम्मिलित भूमि सरकारी है न कि वन भूमि। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।
4. उत्तरी सिक्किम में 1200 मे. वा. विद्युत क्षमता के लिए तीस्ता चरण-3 का निर्माण।	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 17.8.95 के अपने पत्र सं. जे-12011/5/92-आईए.I के तहत सिक्किम विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने से पूर्व घाटी के अध्ययन के आधार पर पर्यावरणीय योजनाएं भेजी जाए। मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार वानिकी मंजूरी के लिए सिक्किम सरकार से अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गए हैं।
5. राथण-चू-जल विद्युत परियोजना	पर्यावरण और वानिकी मंजूरी क्रमशः 1992 और 1995 को जारी की गई थी। इस मामले में गैर-सरकारी संगठनों की अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाया गया स्थगन समाप्त हो गया है। राज्य बिजली विभाग से कहा गया है कि राज्य सरकार के जोखिम और खतरे पर वे परियोजना पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं।

महिला कैदियों की हालत

*445. **कुमारी उमा भारती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जेलों में महिला कैदियों की हालत बड़ी दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी दशा सुधारने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस के कब तक चालू होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) यद्यपि यह कहना सही नहीं होगा कि देश की जेलों में बंद महिला कैदियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, फिर भी कैदियों के रहन-सहन की स्थितियों में और भी सुधार लाने की जरूरत पर केन्द्र सरकार बल देती रही है।

''कारागार'' राज्य का विषय है। तथापि, अपनी ओर से केन्द्र सरकार, जेलों के कार्यकरण के विभिन्न पक्षों में सुधार लाने के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के अलावा, जेलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देती रही है। जेलों की दशा सुधारने के लिए दसवें वित्त आयोग ने भी राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया है। आशा है कि जेलों में आधारभूत संरचनाओं में सुधार लाने की राज्यों की योजनाओं से जेलों में रहन-सहन की स्थितियां बेहतर होंगी।

[हिन्दी]

रेल लाइन का निर्माण

*446. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-राजहरा-रौघाट-जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) इस मार्ग को पूरा किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उक्त मार्ग रेलवे की पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्रों के विकास संबंधी नीति के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) प्रश्न का संबंध शायद मध्य-प्रदेश में दल्लीराजारा-रावघाट-जगदलपुर लाइन से है। दल्लीराजारा-रावघाट-जगदलपुर लाइन को रेलों, इस्पात मंत्रालय तथा मध्य-प्रदेश सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी के आधार पर शुरु किया जाना है। इस कार्य को 1995-96 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है।

लागत में हिस्सेदारी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. मध्य-प्रदेश सरकार मुफ्त भूमि और कुल 27 करोड़ रुपए की रॉयलटी रियायतों की व्यवस्था करेगी।

2. इस्पात मंत्रालय दल्लीराजारा और रावघाट के बीच निर्माण (95 कि.मी.) की वास्तविक लागत वहन करेगा, जिसका मौजूदा अनुमान 134 करोड़ रु. है और रावघाट-जगदलपुर सेक्टर के लिए बजटीय सहायता के रूप में 75 करोड़ रु. का अंशदान भी देगा।

3. रेलें 133 करोड़ रु. की शेष लागत की व्यवस्था करेगी।

समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य लंबित मुद्दे इस प्रकार हैं :

(i) इस्पात मंत्रालय पहले 7% प्रतिफल पर सहमत हो गया था, जिसे भाड़े में रियायतों के जरिए समायोजित किया जाना था। अब वह 16% की मांग कर रहा है।

(ii) ''सेल'' ने पहले लाइन के आपरेशन के प्रथम वर्ष में 2.4 मिलियन टन यातायात का आश्वासन दिया था, जो तीसरे वर्ष में बढ़कर 3.3 मिलियन टन और अधिक होता। अब वे निवेश पर अपने को समतुल्य प्रतिफल का पात्र बनाने के लिए प्रतिवर्ष केवल 2.4 मिलियन टन यातायात की गारंटी दे रहे हैं।

(iii) इस्पात मंत्रालय इस परियोजना में अंशदान इसलिए कर रहा है ताकि वह बैलाडिला खानों से भिलाई इस्पात कारखाने तक लौह अयस्क की ढुलाई कर सके। बहरहाल, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बैलाडिला से खनन के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इस्पात मंत्रालय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस स्वीकृति के प्राप्त हो जाने के बाद ही करना चाहता है।

यह मंत्रालय, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने तथा ''सैल'' और अन्य पक्षों द्वारा धनराशि जमा करा दिए जाने के बाद इस कार्य को शुरु करने के लिए तैयार है।

चूंकि यह लाइन परियोजना-उन्मुखी होगी और पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों को भी सेवित करेगी; इसलिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने और कार्य प्रारंभ हो जाने पर, इस परियोजना को ''क'' कोटि में रखा जाएगा। इस लाइन को पूरा करने का लक्ष्य कार्य शुरु हो जाने के बाद ही निर्धारित किया जाएगा।

[अनुवाद]

रेल लाइन का निर्माण

*447. **श्री के. प्रधानी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लांजीगढ़ रोड से अम्बागुडा तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव था और इसे दक्षिण पूर्व रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन के जूनागढ़ तक निर्माण की स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में जूनागढ़-अम्बागुडा के मध्य रेल लाइन के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) लांजीगढ़ रोड से जूनागढ़ तक ही नई रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। निकट भविष्य में जूनागढ़ और अम्बागुडा के बीच रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता-सेनानी पेंशन

*448. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सैनिक वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 31 जुलाई, 1981 से आगे बढ़ाने का है ताकि शेष स्वतंत्रता सेनानियों (स्वतंत्रता सैनिकों) को भी इसका लाभ मिल सके;

(ख) क्या सरकार केरल के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं, जैसे कय्यूर, मोरझा, पुन्नपरा-वयलूर के स्वतंत्रता संग्राम को देश के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन का हिस्सा मानती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31.3.1982 थी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनके साथ सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न हो, जिनसे कम से कम 6 महीने की जेल/निष्कासन/नजरबंदी/भूमिगत होने की यातना भोगने या नौकरी चले जाने इत्यादि की बात सिद्ध होती हो। अब कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

केरल में कय्यूर, मोरझा और पुन्नपरा-वयलूर आन्दोलनों में भाग लेने को स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा मानने के मामले पर केरल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन सूचकांक

*449. **श्री प्रहलाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि उत्पादन (अनावरी रिपोर्ट) के लिए सूचकांक किस तारीख को निर्धारित किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जब देश में फसल पूर्वानुमान तैयार करने की प्रणाली शुरु की गई तब कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए अन्नावरी प्रणाली लागू की गई। फसल पूर्वानुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1884 में गेहूं से शुरु किया गया, उसके बाद 1885 ई. में चावल, कपास, पटसन, तिल, अलसी और तोरिया (रेपसीड) और सरसों को इस प्रणाली में शामिल किया गया। तदन्तर बहुत सी फसलों को फसल पूर्वानुमान/अनुमान प्रणाली के क्षेत्राधिकार में लाया गया। परम्परागत प्रणाली (अन्नावरी प्रणाली) पर आधारित फसल की उपज/उत्पादन का अनुमान लगाने की प्रणाली तब तक जारी रही, जब तक छठे दशक के पूर्वार्द्ध में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर मुख्य फसलों की उपज का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली लागू नहीं की गई। 1981-82 को समाप्त तीन वर्षों-100 को आधार मानते हुए कृषि उत्पादन की तालिका, जो आधार वर्ष के संबंध में फसल उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन का संकेत देती है, 1949-50 से 1994-95 तक की उपलब्ध है।

(ख) अब उत्पादन अनुमान वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए फसल कटाई प्रयोगों के जरिए उपज के अनुमान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पिछले वर्षों में उत्पादन के अनुमान की प्रणाली के अधीन फसलों और क्षेत्र की कवरेज में वृद्धि हो रही है। फिलहाल देश में वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए फसल अनुमान सर्वेक्षणों तथा कृषि उत्पादन के सूचकांक तैयार करने के कार्यक्रम में लगभग 46 फसलों को शामिल किया गया है।

(ग) उत्पादन के अनुमान की प्रणाली को अन्नावरी से वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए फसल कटाई प्रयोगों में बदलने का मुख्य

उद्देश्य उत्पादन अनुमानों को और अधिक विश्वसनीय बनाना है, क्योंकि पहली प्रणाली को अनुमानिक स्वरूप का माना गया है।

तिलहनों का उत्पादन

*450. **श्री वी. धर्मभिक्षम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों के उत्पादन में कमी और इनके मूल्यों में वृद्धि के कारण देश को खाद्य तेलों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तिलहनों का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ग) तिलहनों के उत्पादन में कमी और इनके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) 1996-97 के लिए प्रत्येक राज्य को इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर, 1995-96) के दौरान खाद्य तेलों की 72.54 लाख मी. टन की अनुमानित मांग की तुलना में लगभग 66.70 लाख मी. टन खाद्य तेलों का उत्पादन हुआ, जिससे यह प्रकट होता है कि खाद्य तेलों की कुल आवश्यकता तथा सभी घरेलू स्रोतों से प्राप्त खाद्य तेलों में लगभग 6 लाख मीटरी टन का अंतर रहा गया है। तथापि तिलहनों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है बल्कि वर्ष 1995-96 के दौरान 22.9 मिलियन मी. टन के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इसके कारण जनवरी से जुलाई, 1996 तक तिलहनों का थोक मूल्य सूचकांक जो वर्ष 1995 की इसी अवधि में मूल्य सूचकांक 284.9 था गिरकर 279.8 आ गया।

(ख) राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन **विवरण-I** में दिया गया है।

(ग) उनके उत्पादन में न कोई कमी आई है और न ही उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(घ) तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के जरिए एक सुपरिभाषित उत्पादन कार्यनीति चलाई जा रही है। यह कार्यक्रम देश के 22 राज्यों में चलाया जा रहा है। बीजों के उत्पादन और वितरण, बीजों के मिनिकिटों, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/पाइराइट, उन्नत कृषि उपकरणों, पादप रक्षण उपकरणों, पादप रक्षण उपस्करों, स्प्रिंकलर्स सैटों आदि के वितरण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा उत्पादन में प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन एवं सामान्य प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(ङ) **विवरण-II** संलग्न है।

विवरण-I

(लाख मी. टन)

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन का लक्ष्य	उत्पादन में उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	30.06
2.	असम	1.90	1.94
3.	बिहार	1.80	1.54
4.	गुजरात	29.00	22.63
5.	हरियाणा	8.50	8.97
6.	जम्मू और कश्मीर	0.50	0.43
7.	कर्नाटक	18.70	15.82
8.	मध्य प्रदेश	42.00	49.82
9.	महाराष्ट्र	22.00	21.10
10.	उड़ीसा	7.50	3.28
11.	पंजाब	2.70	2.93
12.	राजस्थान	27.20	31.46
13.	तमिलनाडु	17.20	17.40
14.	उत्तर प्रदेश	15.50	15.00
15.	पश्चिम बंगाल	4.60	5.49
16.	अन्य	0.90	1.10
	कुल	225.00	228.97

विवरण-II

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1433.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.33
3.	असम	206.66
4.	बिहार	133.33
5.	गुजरात	666.66
6.	हरियाणा	233.33
7.	हिमाचल प्रदेश	40.00

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	93.33
9.	कर्नाटक	800.00
10.	केरल	66.66
11.	मध्य प्रदेश	1613.33
12.	महाराष्ट्र	1366.66
13.	मणिपुर	106.66
14.	मेघालय	20.00
15.	उड़ीसा	600.00
16.	पंजाब	133.33
17.	राजस्थान	1433.33
18.	सिक्किम	66.66
19.	तमिलनाडु	1133.33
20.	त्रिपुरा	33.33
21.	उत्तर प्रदेश	733.33
22.	पश्चिम बंगाल	333.33
	कुल	11291.92

वैगन निर्माण कारखाना

***451. श्री पी. कोदंडरमैय्या** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक वैगन निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त कारखाने के कब तक कार्यरत होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

''जड़ी-बूटियों की तस्करी''

***452. श्री अनंत कुमार :**
श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1996 के ''स्टेट्समैन'' में ''स्मगलिंग डिप्लीटिंग प्रेशस फ्लोरा'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को वाणिज्यिक एवं चिकित्सीय महत्व वाली बहुमूल्य जड़ी-बूटियों की तस्करी के कितने मामलों की राज्यवार जानकारी मिली है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान देश से चोरी/तस्करी की गई ऐसी जड़ी-बूटियों का मूल्य क्या है; और

(घ) भारतीय जड़ी-बूटियों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय के तहत वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान औषधीय पौधों और उनके उत्पादों की तस्करी के अभिज्ञात मामलों के ब्यौरे सदन के पटल पर **विवरण-I** के रूप में रखे गए विवरण में दिए गए हैं। चूंकि इन मामलों का पता सीमित निर्यात केन्द्रों पर ही लगता है, जो कि विभिन्न राज्यों से संबंधित होते हैं इसलिए इन मामलों को राज्यवार वर्गीकृत कर पाना संभव नहीं होता है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान तस्करी के प्रयास में पकड़े गए उत्पादों का अनुमानित मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए है।

(घ) भारतीय वनस्पतिजात की तस्करी की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख सदन के पटल पर **विवरण-II** के रूप में रखे गए एक विवरण में किया गया है।

विवरण–I

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय उप निदेशक (मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता) द्वारा अभिज्ञात मामले

क्र.सं.	पकड़ी गई वस्तु	मुंबई			दिल्ली			कलकत्ता		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	टेक्सस बकाटा की पत्तियां/ टेक्सॉल रेसिन	2510 कि.ग्रा.	109.5 कि.ग्रा.	-	10750 कि.ग्रा.	-	-	-	-	-
2.	नारडोस्टेचिस जटामांसी/तेल	8357 कि.ग्रा.	103 कि.ग्रा.	229.45 कि.ग्रा.	3.200 कि.ग्रा.	22.85 कि.ग्रा.	-	-	-	-
3.	देवदार तेल	-	-	-	-	430 कि.ग्रा.	-	-	-	-
4.	पोडोफिलम इमोडी	-	-	-	-	100 कि.ग्रा.	101.50 कि.ग्रा.	-	-	-
5.	कास्टस तेल	-	-	-	-	2 कि.ग्रा.	25 कि.ग्रा.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	स्वर्तिया चिराता	-	30 कि.ग्रा.	55 कि.ग्रा.	-	1000 कि.ग्रा.	4214.5 कि.ग्रा.	-	-	-
7.	राओल्फाया सरपेंटिना	-	50 कि.ग्रा.	265 कि.ग्रा.	-	-	5 कि.ग्रा.	5.64 कि.ग्रा.	-	-
8.	एलो एसपीपी	235 कि.ग्रा.	-	-	-	-	10 कि.ग्रा.	-	-	-
9.	बरबरिस एरिस्टाटा	1191 कि.ग्रा.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कूठ मूल (सॉसूरियलप्पा)	-	97 कि.ग्रा.	-	-	-	-	-	-	-
11.	एरिस्टोलोचिया एसपीपी	-	-	-	-	2.3 कि.ग्रा.	10 कि.ग्रा.	-	-	-
12.	अगर काष्ठ	5000 कि.ग्रा.	41668 कि.ग्रा.	-	-	-	3.390 कि.ग्रा.	-	-	-
13.	केमिफोरा	-	-	172 कि.ग्रा.	-	625 कि.ग्रा.	4 कि.ग्रा.	-	-	-
14.	साइसस-पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	34 पैकेट
15.	चंदन की लकड़ी का बुरादा/लट्ठे/ चंदन की वस्तुएं	1000 कि.ग्रा.	36 कि.ग्रा.	556.44 कि.ग्रा.	9.500 कि.ग्रा.	1119.50 कि.ग्रा.	-	-	-	-

विवरण-II

भारतीय जड़ी-बूटियों की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. किसी भी वन भूमि या विशेष क्षेत्र से वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 6 के अंतर्गत शामिल वन्य वनस्पति प्रजातियों के एकत्रण पर कानूनी प्रतिबंध है।

2. दिनांक 30.3.94 के पीएन सं. 47 (पीएन/92-97) के अंतर्गत वनों से प्राप्त वनस्पतियों की 56 प्रजातियों या उनके हिस्सों तथा उनसे प्राप्त सामान के निर्यात पर प्रतिबंध है।

3. उपरोक्त 56 प्रजातियों के अलावा पौधों के निर्यात के लिए क्षेत्रीय निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय या संबंधित राज्य जहां से इन जड़ी-बूटियों को प्राप्त किया गया है, के मुख्य वन संरक्षक, या उप वन संरक्षक से कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाणपत्र (एलपीसी) लेना अपेक्षित है।

4. पी.एन. 47 के अंतर्गत शामिल पौधों की कृष्ट किस्म/ पौधों के हिस्सों के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि इसके लिए कृषि का प्रमाण-पत्र तथा जहां लागू हो, साइट्स का परमिट प्रस्तुत किया जाए।

5. तैयार, प्रसंस्कृत हस्तशिल्प उत्पादों, मशीन द्वारा तैयार उत्पादों को छोड़कर किसी भी रूप में चन्दन का निर्यात निषिद्ध है।

6. किसी भी रूप में लाल चन्दन का निर्यात चाहे वह कच्चा हो, शोधित या अशोधित हो तथा इसके किसी भी उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है।

7. पौधों या पौधों के हिस्सों के निर्यात की अनुमति केवल बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, तूतीकोरिन तथा मद्रास के छह प्रमुख बन्दरगाहों से है।

8. साइट्स के परिशिष्ट-I के अंतर्गत शामिल प्रजातियों के संबंध में यह साइट्स के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

9. वन्य पौधों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

10. पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा-शुल्क, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षकों आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तर विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। इन सभी के लिए 1995 में नई दिल्ली और देहरादून में वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कच्चे काजू का उत्पादन

***453. श्री एन. डेनिस:**
श्री सुरेश कोडीकुनील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कच्चे काजू का राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार परती भूमि पर काजू की खेती के लिए तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारत सरकार ने 8वीं योजना के दौरान 47.85 करोड़ रु. के योजना परिव्यय से समेकित काजू विकास कार्यक्रम संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरु की है, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. उन्नत तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की रोपण सामग्री का बहुलीकरण तथा उसकी आपूर्ति।
2. मौजूदा बागानों की उत्पादकता में सुधार लाना।
3. उन्नत उत्पादन तथा कीट प्रबंध पद्धतियों को अपनाना।
4. कृषकों को प्रशिक्षण।

(ख) कच्चे काजू के उत्पादन का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1995-96 के दौरान काजू के पौधों की खेती तथा बंजरभूमि पर पौध रोपण के लिए केरल राज्य के लिए 362.26 लाख रुपये तथा तमिलनाडु राज्य के लिए 144.94 लाख रुपये जारी किये गये थे। वर्ष 1996-97 के लिए केरल राज्य के लिए 162.71 लाख रुपये और तमिलनाडु राज्य के लिए 315.75 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें से केरल को 41.06 लाख रुपये और तमिलनाडु को 51.38 लाख रुपये जारी कर दिये गये हैं।

विवरण

(उत्पादन मीटरी टन में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
केरल	143200	151600	140200	149000	140000
कर्नाटक	26750	31260	31540	33000	37600
गोवा	14490	33810	34590	37000	17800
महाराष्ट्र	31960	25590	28280	31200	69900
तमिलनाडु	12710	19190	19200	20000	30930
आंध्र प्रदेश	40360	44880	40570	50000	71700
उड़ीसा	31840	39060	43420	46500	43000
पश्चिम बंगाल	3660	3660	3990	4100	6960
अन्य	340	340	360	370	340
कुल	305310	349390	348150	371170	417830

[हिन्दी]

महिलाओं से पूछताछ

*454. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाल श्रमिक प्रथा और सूर्यास्त के पश्चात पुलिस स्टेशन में महिलाओं से पूछताछ करने की प्रवृत्ति पर आपत्ति व्यक्त की है और इस संबंध में सुधार हेतु आवश्यकता पर भी जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को सुझाव/निदेश दिये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को निदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो निदेश कब तक दे दिये जायेंगे; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) ने जोखिम भरे उद्योगों में कार्यरत बाल मजदूरों सहित बाल मजदूरी के प्रचलन पर अपनी चिंता और आपत्ति प्रकट की है तथा इसको समाप्त करने के लिए सिफारिशें की हैं। तथापि, आयोग ने सूर्यास्त के बाद थानों में महिलाओं से पूछताछ करने के बारे में किसी सामान्य विधि की पहचान नहीं की है तथा इस संबंध में सामान्य अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) बाल मजदूरी की समस्या और उसे समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क है और इससे अवगत है। बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। अगस्त, 1987 में बाल मजदूरी पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है :-

- एक वैधानिक कार्रवाई योजना;
- जब कभी संभव हो बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना;
- ऐसे क्षेत्रों में जहां मजदूरी/अर्ध-मजदूरी पर अधिकतर बाल श्रमिकों को लगाया जाता है, उनके लिए परियोजना आधारित कार्रवाई योजना।

भारत-सरकार द्वारा अगस्त, 1994 में जोखिम भरे धन्धों से सन 2000 तक इनमें कार्यरत बाल श्रमिकों को पूरी तरह हटाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन, लगभग 20 लाख बाल मजदूरों को धन्धों से हटा कर विशेष स्कूलों में भेजने की योजना है। 1995-96 के दौरान, बाल मजदूरी से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 34.40 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। 1995-96 के अन्त तक, कुल मिला कर 76 बाल श्रमिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ताकि विशेष स्कूलों के माध्यम से करीब 1.5 लाख बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वीजफा इत्यादि दिया जा सके। चालू वर्ष के दौरान, इस प्रयोजनार्थ, 56 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का आबंटन किया गया है।

बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण (एन. ए. ई. सी. एल.) का गठन किया गया है। देश में बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए एन. ए. ई. सी. एल. ने "आईडेन्टीफिकेशन, रिलीज एण्ड रिहैबिलिटेशन आफ चाईल्ड लेबर" नामक योजना अपनाई है। संक्षिप्त में यह केन्द्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं को कार्यान्वयन स्तर, जिला स्तर पर अभिमुख करती है ताकि बाल श्रमिकों की पहचान और उनका पुनर्वास तथा बाल मजदूरी पर आश्रित परिवार का आर्थिक रूप से पुनर्वास प्रभावकारी ढंग से किया जा सके और संबद्ध कानूनों को कड़ाई से लागू किया जा सके। इस कार्ययोजना को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपनाने हेतु भेज दिया गया है।

अब सर्वव्यापक आई.सी.डी.एस. नेटवर्क और आई.एम.वाई. नेटवर्क के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करके कि 0-6 वर्ष की उम्र के बच्चे, आई.सी.डी.एस. आंगनवाड़ी केन्द्रों, जो उन क्षेत्रों में हैं, जहां बच्चों को अधिकतर मजदूरी में लगाया जाता है, में जाएं तथा उनकी माताओं को अपने बच्चे इन आंगनवाड़ियों और तब स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करके बच्चों को बाल मजदूरी करने से रोकने में मदद कर रही है। वर्ष 1995-96 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना की सर्वव्यापकता के अधीन ऐसे पहचाने गए जिलों, जहां बाल मजदूरी अधिक होती है, में सभी ब्लाकों को कवर किया गया है ताकि इन जिलों में बाल मजदूरी को समाप्त किया जा सके।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाल मजदूरी के प्रश्न पर अपनी वर्ष 1994-95 और 1995-96 की वार्षिक रिपोर्टों में सिफारिशें की हैं। वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसे 26-8-1995 को संसद के दोनों सदनों में, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित, रखा गया था, आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, (i) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर, इस प्रयोजना हेतु अपेक्षित अनिवार्य संसाधनों सहित, उचित विधायन बनाने, (ii) बाल मजदूरी (निषेध) और विनियमन अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन करने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने ताकि इसके उपबन्धों को और मजबूत बनाया जा सके, और (iii) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, के कांच-उद्योगों के लिए बाल श्रमिक परियोजनाओं की शीघ्रता से और प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने, जिसके लिए आयोग ने, कई केन्द्रीय मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य के समन्वित प्रयासों से एक समेकित कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने पर, बल दिया है।

जहां तक अनिवार्य शिक्षा के लिए उचित विधान अपनाने संबंधी सिफारिशों का प्रश्न है, सरकार इस बात से सहमत है कि शिक्षा के बढ़ाने से बाल-मजदूरी समाप्त करने में सहायता मिलती है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक शिक्षा के सहायतार्थ राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, जिला शिक्षा कार्यक्रम आदि शामिल हैं, की सर्वव्यापकता हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनके अलावा सरकार ने प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अनेक कदम भी उठाए हैं, जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर (श्रेणी-1 से I/III) तक के लिए शिक्षण शुल्क में छूट देना, मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान, मुफ्त वर्दी तथा उपस्थिति छात्रवृत्ति का प्रावधान शामिल हैं। सन 2000 ई. तक सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में, संयुक्त मोर्चा सरकार ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का संकल्प किया है। सरकार ने वित्तीय, प्रशासनिक तथा कानूनी उलझनों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के लिए राजनैतिक स्तर पर एवं शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श शुरु किया है। 9-10 अगस्त, 1996 को हुए राज्य के शिक्षा मंत्रियों तथा राज्य के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया, में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के वास्ते इस प्रस्ताव के अनेक कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक तथा शैक्षणिक उलझनों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री (शिक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की सिफारिश की। यह समिति अब गठित की जा चुकी है।

जहां तक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के लिए त्वरित कार्रवाई से संबंधित सिफारिश का सवाल है, सरकार इस अधिनियम को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए तथा इसमें सुधार लाने हेतु अनेक सुझावों की समीक्षा कर रही है। भारत सरकार, बालश्रम से संबंधित कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों पर भी जोर डालती रही है।

जहां तक बाल-श्रम परियोजना, फ़िरोजाबाद का सवाल है, बच्चों को जोखिम भरे कार्य से हटाकर विशेष स्कूलों में भेजा गया

है, जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफे, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोषणाहार आदि प्रदान किये जाते हैं। इस परियोजना हेतु अभी तक 40 विशेष स्कूल स्वीकृत किए गये हैं ये सभी स्कूल चालू हो चुके हैं। मार्च, 1996 के अंत तक कुल 2926 बच्चे कार्य से हटाए गए हैं और विशेष स्कूलों में रखे गए हैं। ऐसे बच्चों के माता-पिता को उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत "कवर" किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को हाल ही में प्रस्तुत वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी बाल श्रम के सवाल को उठाया है। इस रिपोर्ट को, आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

(ङ) से (छ) जैसाकि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित है, एन. ए. ई. सी. एल. द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजना, समस्त राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अपनाने हेतु भेज दी गई हैं। साथ ही, जैसा कि ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित है। भारत सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों पर बाल श्रम से जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए जोर भी डालती रही है।

[अनुवाद]

जेलों में नजरबन्द व्यक्ति

***455. श्री संतोष मोहन देव :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सम्बद्ध न्यायालयों को आदेश दिया है कि जेल में नजरबन्द उन सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये जिन्हें उनके द्वारा किये गये अपराध के लिए सात वर्ष तक की कैद हो सकती है परंतु उनके मुकदमें एक वर्ष या उससे अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) इस समय राज्य-वार विचाराधीन कैदी कितने है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में नजरबन्द व्यक्तियों को शीघ्र छोड़े जाने एवं उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) "कॉमन काज" बनाम भारत सरकार और अन्य, 1986 की रिट याचिका (सी.) सं. 1128 में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 1.5.1996 को दिए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए थे :

(I) जहां, वर्तमान में लागू भा.द.स. या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध में, जिसके लिए अपराधी पर किसी फौजदारी न्यायालय के समक्ष मुकदमा चल रहा है, जिसमें जुर्माने के साथ या बगैर जुर्माने के तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है, और यदि इस प्रकार के अपराधों का विचारण एक या एक से अधिक वर्षों से लम्बित पड़ा हो और संबंधित अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया गया हो और वह 6 माह या 6 माह से अधिक समय से जेल में हो तो, संबंधित फौजदारी न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर या अभियुक्त द्वारा दिए गए वैयक्तिक मुचलके पर और इस प्रकार की किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, जिन्हें आवश्यक समझा जाय पर दण्ड प्रक्रिया सं. की धारा 437 को ध्यान में रखते हुए रिहा करेगा।

(II) जहां, वर्तमान में लागू भा.द.स. या किसी अन्य कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध में, जिसके लिए अपराधी पर किसी फौजदारी न्यायालय के समक्ष मुकदमा चल रहा है, जिसमें जुर्माने के साथ या जुर्माने के बगैर 5 साल तक की सजा हो सकती है, और यदि इस प्रकार के अपराधों का विचारण दो या दो से अधिक वर्षों से लम्बित पड़ा हो और संबंधित अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया गया हो, अपितु 6 या 6 से अधिक महीनों से जेल में हो तो संबंधित फौजदारी न्यायालय, अभियुक्त द्वारा दिए गए वैयक्तिक मुचलके पर और उपयुक्त शर्तें लगाकर, यदि कोई हो, दण्ड प्रक्रिया सं. की धारा 437 को ध्यान में रखते हुए रिहा करेगा।

(III) जहां, वर्तमान में लागू भा.द.स. या किसी अन्य कानून के अंतर्गत जिसके कारण अभियुक्त पर किसी फौजदारी न्यायालय के समक्ष मुकदमा चल रहा हो, जिसमें जुर्माने सहित या बगैर जुर्माने के साथ सात वर्ष या इससे कम की सजा हो सकती हो, और यदि इस प्रकार के अपराधों का विचारण दो या दो से अधिक वर्षों से लम्बित पड़ा हो और संबंधित अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया गया है अपितु वह एक या एक से अधिक वर्षों से जेल में हो तो, संबंधित फौजदारी न्यायालय, अभियुक्त को, जमानत पर या अभियुक्त द्वारा दिए गए वैयक्तिक मुचलके पर और उपयुक्त शर्तें लगाकर, यदि कोई हो, दण्ड प्रक्रिया सं. की धारा 437 को ध्यान में रखते हुए रिहा करेगा।

(ख) इस प्रकार की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित न्यायालयों/राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जानी है।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1983

*456. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री द्वारका नाथ दास :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में विदेशी नागरिकों संबंधी मामले में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1983 भेदभावपूर्ण है;

(ख) क्या इस अधिनियम के कारण असम बंगलादेशी घुसपैठियों के लिए आदर्श शरण स्थली बन गया है और यह भारत के हित और अखंडता के प्रतिकूल है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम को रद्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ) अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत इस प्रश्न को, कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं, निष्पक्ष तरीके से तय करने हेतु न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है जिससे कि सरकार अवैध प्रवासियों को भारत से निष्कासित कर सके; साथ ही इन न्यायाधिकरणों का काम, इस सवाल से जुड़े अथवा इसके अनुषंगी मामलों को देखने का भी है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है परन्तु इस समय इसे केवल असम राज्य में ही प्रवर्तित किया जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों में "अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983" के निरसन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

सड़क दुर्घटनायें

*457. **श्री राम सागर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंड संहिता की सड़क दुर्घटनाओं संबंधी कुछ धाराओं में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मोटर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने एवं दंड को और कठोर बनाने का प्रस्ताव है जिन्होंने तीन घातक सड़क दुर्घटनाएं की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अलाभप्रद रेलमार्ग

*458. **डॉ. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेलगाड़ियां अलाभप्रद रेलमार्गों पर चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अलाभप्रद रेलमार्गों पर गाड़ियां चलाए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग को मार्च, 1996 तक कुल कितना घाटा होने की संभावना है;

(ग) क्या 1993-94 से गत तीन वर्षों के दौरान अलाभप्रद मार्गों को लाभप्रद मार्गों में बदलने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई गई थीं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान 166 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) अलाभप्रद मार्गों पर हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/करने का विचार है:-

(क) मीटर तथा छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव।

(ख) रेल बस सेवा शुरू करना।

(ग) उन लाइनों पर पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना जहाँ इसकी संभावना हो।

(घ) यात्री यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित पर्वतीय खंडों पर बढ़ी हुई दूरी पर किराया-वसूली की समाप्ति:-

(1) कालका-शिमला

(2) पठानकोट-जोगिन्दर नगर

(3) मेट्टुपालयम-उदगमंडलम

(4) सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग

इस संबंध में उपायों को अमल में लाना एक सतत प्रक्रिया है। इससे पहले, केवल एक इंजन प्रणाली लागू करना, कर्मचारियों की संख्या में कमी, अलाभप्रद स्टेशनों को बन्द करना, स्टेशनों को ठेकेदार द्वारा चलाए जाने वाले हाल्टों में बदलना, आदि उपाय किए गये थे।

असम में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

*459. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान असम में कृषि विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही एवं प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि का आबंटन किया गया एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कृषि के विकास के लिए असम में क्रियान्वित की जा रही नई योजनाओं की सूची तथा योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96 में जारी की गई धनराशि (रु. लाख में)
1.	सुदूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों के लिए समंकित बीज विकास	1.06
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	43.66

उपर्युक्त योजनाओं को 1996-97 के दौरान भी जारी रखे जाने की सम्भावना है, जिसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने पर धनराशि जारी की जायेगी।

1996-97 के दौरान कोई नई योजना शुरु करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त योजनायें 1995-96 के दौरान शुरु की गई हैं, इस लिये इस स्थिति में उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का समय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

*460. **श्री सत्यदेव सिंह** :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में चिकित्सक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों में उपरोक्त सुविधाएं कब से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) लंबी दूरी की गाड़ियों में नियमित रेलवे डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यात्रा के दौरान अचानक अस्वस्थ अथवा घायल हो जाने वाले यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था मौजूद है। लंबी दूरी की सभी गाड़ियों में गाड़ी/खानपान अधीक्षक को प्राथमिक चिकित्सा बाक्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इन बाक्सों में रखी वस्तुओं को किसी भी डाक्टर द्वारा, जो गाड़ी में यात्रा कर रहा हो, अथवा गार्डों द्वारा, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

3940. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चालू परियोजनाओं के पूरा होने अथवा नए रेल सम्पर्कों के लिए मीटर लाइन से बड़ी लाइन बदलने के संबंध में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों को प्राथमिकता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के एकलाखी-बलूरघाट रेल परियोजना तथा बिहार के बारसोई रेल जंक्शन से पश्चिम बंगाल के राधिकापुर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता आधार पर लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कार्यों को शुरु करने के लिए यह प्रमुख मानदण्ड नहीं है। बहरहाल, यातायात संभाव्यता वाली लाइनों, जो आदिवासी और

पिछड़े क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) और (ग) एकलाखी-बालूरघाट परियोजना पहले से ही प्रगति पर है। कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। जहां तक बरसोई-राधिकापुर के आमान परिवर्तन का संबंध है, इसे एक आमान परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल, जब अगला चरण शुरू किया जाएगा तब शेष लाइनों के साथ-साथ इस खंड के बारे में विचार किया जाएगा।

हिन्दी माह

3941. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1996 को हिन्दी माह के रूप में मनाया जा रहा है;

(ख) क्या इस माह में हिन्दी के प्रयोग के बारे में कोई आंकलन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) इस वर्ष 1 से 15 सितम्बर, 1996 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उनके यहां राजभाषा हिंदी में किए गए कार्यों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षा करना, वार्षिक कार्यक्रम बनाकर लक्ष्य निर्धारित करना व उनके बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आदि विभाग के नियमित कार्य हैं। राजभाषा हिन्दी में किये जा रहे कार्य की प्रगति का कोई विशेष आंकलन प्रस्तावित नहीं है।

बी.एस.एफ. के स्टाफ का स्थानान्तरण

3942. श्री सुशील चन्द्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुदासपुर, अमृतसर तथा फिरोजपुर में स्थित बी.एस.एफ. की खुफिया शाखा के समस्त स्टाफ को हाल ही में विभाग के संयुक्त सहायक निदेशक के कथित रूप से स्वापक दवाओं की तस्करी में शामिल होने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के पश्चात अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन अधिकारियों तथा उनके कुछ पूर्व अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अत्यधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के लिए कोई जांच-पड़ताल शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) सीमा सुरक्षा बल ने सूचित किया है कि स्वापक दवाओं की खेप की तस्करी में तथाकथित रूप से अंतर्ग्रस्त होने के कारण एक संयुक्त सहायक निदेशक की गिरफ्तारी के बाद, अमृतसर में तैनात आसूचना ब्रांच के सभी सदस्यों को वहां से बदल दिया गया है। जहां तक गुरुदासपुर और फिरोजपुर में तैनात अधिकारियों का संबंध है यह सूचित किया गया है कि केवल उन्हीं अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है, जिन्होंने अपना तैनाती का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल ने सूचित किया है कि जब कभी इस प्रकार के मामले ध्यान में आते हैं तो सतर्कता शाखा द्वारा सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है और यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या अंतर्ग्रस्तता पायी जाती है तो चूक करने वाले के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की जाती है। तदनुसार ही एक अधिकारी की सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा आदेश दिए गए हैं।

जाली रेल पास

3943. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गत कई वर्षों से बिहार में सुनियोजित ढंग से जाली रेल पास बनाने का धंधा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और जाली रेलवे पास बनाने वाले इस गिरोह से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतपाल महाराज) : (क) से (ग) सरकार को बिहार में जाली रेल पासों के धंधे में संलिप्त किसी सुसंगठित गिरोह की जानकारी नहीं है। बहरहाल, पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान जाली रेल पासों की बिक्री/उन पर यात्रा के 7 अलग-अलग मामले पकड़े गए थे और चूंकि इन मामलों में बाहरी व्यक्ति संलिप्त थे इसलिए उन्हें जांच के लिए सी बी आई/पुलिस के पास दिया गया था। उनसे रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए आरक्षण कार्यालयों, चलती गाड़ियों और प्लेटफार्मों पर सतर्कता/वाणिज्य विभागों द्वारा बार-बार जांच की जा रही है।

कर्नाटक में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि

3944. श्री अनंत कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को लागू किए जाने हेतु आठवीं योजना के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार को राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आठवीं योजना के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह कहना कठिन है कि इस योजना के क्रियान्वयन से कितने किसानों को लाभ पहुंचा है क्योंकि लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्राप्त होता है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक को जारी की गयी वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आठवीं योजना के दौरान जारी की गयी धनराशि
1	2	3
1.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा योजना	8848.38
2.	ऊष्ण, शुष्क तथा समशीतोष्ण फल विकास	304.16
3.	काजू का विकास	342.53
4.	सब्जियों का विकास	56.55
5.	मसालों का विकास	541.20
6.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास	69.61
7.	मूल तथा कंद फसलों का विकास	4.85
8.	सुपारी का विकास	169.24
9.	पान के पत्तों का विकास	12.64
10.	कोको का विकास	60.96
11.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	2320.43
12.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	384.00
13.	तिलहन विकास कार्यक्रम	2533.58
14.	आयल पाम विकास कार्यक्रम	1423.79
15.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	347.62
16.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटा अनाज	709.73
17.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	196.54
18.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	247.92
19.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग	58.66
20.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	5.69
21.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	2130.57
22.	सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में सहकारी साख संस्थाओं को सहायता	163.50
23.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	130.00
24.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना	11.00
25.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	40.99
26.	छोटे किसानों में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन	144.60
27.	दुर्गम/सुदूर क्षेत्रों में समेकित बीज विकास	5.21
28.	छोटे तथा सीमांत किसानों के लाभार्थ आधारभूत ढांचे का विकास	3690.00
29.	कृषि संरचना योजना	87.69
30.	महिला सहकारी समितियों को सहायता	91.00
31.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता	48.00
32.	फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान की यथा समय रिपोर्टिंग संबंधी योजना	112.98
33.	फसल सांख्यिकी का सुधार	13.99
34.	फलों, सब्जियों तथा छोटी फसलों से संबंधित फसल अनुमान सर्वेक्षण तथा नैदानिक अध्ययन	157.42
35.	जैव-उर्वरक संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	4.50
36.	महत्वपूर्ण अभिजात सब्जी फसलों के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन को सरल बनाना	1.36
	कुल	25470.89

[हिन्दी]

चावल अनुसंधान केन्द्र

3945. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कोटा-बूंदी में एक चावल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो कोटा-बूंदी में इस केन्द्र की स्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि वहां उन्नत किस्म के चावल उत्पादन की व्यापक संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) बांसवाड़ा, दुर्गापुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा श्रीगंगानगर के जिले राजस्थान के प्रमुख चावल उगाने वाले क्षेत्र हैं।

(ख) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के तहत कृषि अनुसंधान केन्द्र, कोटा में पहले से ही एक अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना चालू है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बांकुरा-दामोदर रेलवे

3946. श्री सुनील खान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे की बांकुरा-दामोदर गाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) श्रीमन्, बांकुड़ा-दामोदर रेलवे निजी स्वामित्व वाली रेल है और यह दक्षिण पूर्व रेलवे का हिस्सा नहीं है। बांकुड़ा दामोदर रेल गाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"डाल्फिन की संख्या"

3947. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या संबंधी कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डॉल्फिन का शिकार किए जाने संबंधी मामले दर्ज किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो 1995 तथा 1996 में अभी तक मिली ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण की 1991 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की चंबल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डाल्फिन बहुतायत में पाई जाती हैं। नदी के डाल्फिनों की अनुमानित संख्या गंगा और इसकी सहायक नदियों में 500-750, ब्रह्मपुत्र में 500, चंबल में 43-47 और नदी मुख पट्टी में 3000 3500 है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनारक्षित डिब्बे

3948. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल मंत्री** अनारक्षित डिब्बों के बारे में 16 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनारक्षित डिब्बों एवं थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ठहरने वाली गाड़ियों को कब तक और कहां से कहां तक चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन गाड़ियों के क्या नाम हैं जिनमें अतिरिक्त अनारक्षित डिब्बे जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों पर गाड़ियों का चलाया जाना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक संभाव्यता हो, यातायात का औचित्य हो तथा संसाधनों की उपलब्धता हो, बहरहाल, 1996-97 के दौरान कम दूरी की निम्नलिखित गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :-

1. अजमेर तथा जयपुर के बीच एक शटल गाड़ी।

2. दिल्ली तथा शामली के बीच एक यात्री गाड़ी।

3. मदुरै तथा कोयम्बटूर के बीच एक तीव्र यात्री गाड़ी।

4. रतनगढ़ एवं देगाना के बीच एक यात्री गाड़ी।

5. आसनसोल एवं दुर्गापुर के बीच मुख्य लाइन की बिजली चालित एक अतिरिक्त गाड़ी सेवा।

6. निम्नलिखित खंडों पर मुख्य लाइन की बिजली चालित गाड़ी सेवाएं चलाने का प्रस्ताव है:-

1. पानीपत-अंबाला
2. दाहोद-रतलाम
3. आणन्द-गोधरा
4. नागपुर-बडनेरा

7. निम्नलिखित खंडों पर डीजल चालित गाड़ी/पुश-पुल/वात ब्रेक शटल सेवा चलाने का प्रस्ताव है:-

1. अमृतसर-पठानकोट
2. विजयवाडा-नरसापुर
3. सतना-रीवा
4. सतना-मानिकपुर
5. अहमदाबाद-मेहसाणा-आबूरोड
6. न्यूजलपाई गुड़ी क्षेत्र
7. शोरुवण्णूर-निलाम्बुर
8. कटक-पारादीप
9. कटिहार-मानसी-बरौनी

(ख) 1.10.1996 से 6039/6040 मद्रास-वाराणसी एक्सप्रेस तथा 6043/6044 मद्रास-पटना एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के एक अतिरिक्त अनारक्षित सवारी डिब्बे की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, अक्तूबर 96 से पठानकोट एवं बरकाकाना के बीच चलने वाली 8101/8102 मुरी एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के एक अनारक्षित सवारी डिब्बे की व्यवस्था की जाएगी।

3039/3040 दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को पुनः चलाने के अलावा अक्तूबर 96 से 5209/5210 अमृतसर-बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस की वारम्वारता भी सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए अनारक्षित स्थान में वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

मुलंतुरुत्ति रेलवे स्टेशन पर ठहराव

3949. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुलंतुरुत्ति में केरल से होकर गुजरने वाली वानचीनद अथवा वेनद एक्सप्रेस को ठहराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह वाणिज्यिक-दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

निम्न कोटि का उर्वरक

3950. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान लीवर के लिए आयातित लगभग 14,00 टन यूरिया फसलों के लिए निम्न कोटि का और हानिकारक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से यूरिया का आयात किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सागौर पत्तन पर "सी वीनस" जलयान से उतारी गई कुल सामग्री में से क्वालिटी जांच के पश्चात, 6514 मीटरी टन यूरिया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में यथानिर्धारित क्वालिटी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया गया। शेष 11,376 मीटरी टन मात्रा पोषक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप थी, किन्तु दानों के आकार की दृष्टि से कम पाई गई।

(ख) यूरिया की यह खेप रोमानिया से आयात की गई थी।

(ग) से (घ) क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला, कल्याणी जिसके द्वारा क्वालिटी जांच की गई के निष्कर्षों के आधार पर, अवमानक घोषित की गयी सम्पूर्ण मात्रा के किसानों में वितरण पर रोक लगा दी गई। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन. एफ. एल.) को दानों के आकार में भिन्नता के कारण जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

मिल्क पाउडर

3951. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं तथा निजी अभिकरणों से मिल्क पाउडर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आपूर्तिकर्त्ता देशों/अभिकरणों के क्या नाम हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में मिल्क पाउडर का आयात किया गया;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि आयातित मिल्क पाउडर अपेक्षित मानक गुणवत्ता का हो?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

हावड़ा कोच परिसर में विक्रेता स्टाल

3952. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा के नये कोच परिसर में रेलवे के विक्रेता स्टालों के न होने के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों तथा अप्राधिकृत हॉकरों द्वारा यहां बेचे जा रहे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के संबंध में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो नये परिसर में रेल विक्रेता स्टाल खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वापसी यात्रा हेतु आरक्षण सुविधायें

3953. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विशेषकर आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया, बाली, सेवड़ाफुली, जाधवपुर, साल्ट लेक क्षेत्रों में आरक्षण केन्द्रों पर वापसी यात्रा हेतु आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) आसनसोल, दुर्गापुर, सनीगंज, पुरुलिया, बॉली, शेवड़ाफुली, जाधवपुर तथा साल्ट लेक क्षेत्रों से, कलकत्ता की आरक्षण प्रणाली से जुड़े स्टेशनों से शुरु होने वाली सभी गाड़ियों में जावक तथा वापसी यात्रा संबंधी आरक्षणों के लिए बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा, इन स्टेशनों से गुजरने वाली अन्य गाड़ियों में भी वहां उपलब्ध कोटे के भीतर आरक्षण कराया जा सकता है।

मुंबई, दिल्ली, सिकंदराबाद तथा मद्रास की चार आरक्षण प्रणालियों से जुड़े स्टेशनों से आगे की यात्रा तथा वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधा, पांच आरक्षण प्रणालियों के नेटवर्क से जुड़े सभी आरक्षण कार्यालयों से उपलब्ध हो सकती है। इस प्रयोजनार्थ, आवश्यक नेटवर्किंग साफ्टवेयर के विकास का कार्य शुरु किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक मिश्रण का उपयोग

3954. डा. जी. आर. सरोदे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मिश्रित उर्वरक संयंत्र यूरिया, डी ए पी तथा एम ओ पी जैसे रियायती उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहायता राशि"

3955. डा. देवी प्रसाद पाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रदूषण रोकने के लिए राज्य को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) प्रदूषण निवारण के

लिए केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई सहायता के ब्यौरे विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम और ब्यौरे	1993-94	1994-95	1995-96
1.	प्रदूषण नियंत्रण उपायों, श्रेणी-2 और श्रेणी 3 के नगरों में स्वच्छ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां और मल-जल शोधन प्रणालियां अपनाने के लिए औद्योगिक यूनिटों को सहायता देने हेतु जल उपकर की प्रतिपूर्ति	1,23,47,674	1,34,85,886	2,42,40,782
2.	प्रदूषण का उपशमन-विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं और अनुसंधान अध्ययनों के लिए सहायता अनुदान	–	–	8,00,000
3.	प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्रों की स्थापना की स्कीम (स्कीम 1995-96 में शुरु हुई)	–	–	25,000

मछुआरों हेतु राहत योजना

3956. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मछुआरों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित बचाव एवम् राहत योजना संबंधी कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मंदिर गिराना

3957. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोल शासकों द्वारा मैसूर जिले के पेरिया पाटन तालुक में रावान्दुर गांव में निर्मित ऊमा-माहेश्वरी-लक्ष्मी कान्ता जैन मंदिर को गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि रावान्तूर गांव स्थित एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर के कुछ पत्थर, कल्याण मंडप के निर्माण हेतु हटाए गए थे।

(ग) स्थानीय पुलिस से कहा गया है कि अवैध रूप से पत्थर हटाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें और मंदिर से पत्थरों को हटाने भी न दें।

(घ) कर्नाटक सरकार ने अपने पुरातत्व विभाग से कहा है कि उक्त मंदिर को संरक्षित स्मारक अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिग्रहीत करने के बारे में जांच करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्र

3958. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अधिक उत्पाद देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान केन्द्र अथवा बीज फार्मों की स्थापना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में करने को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। अधिक उपज वाली किस्मों तथा संकरों के बीजों को विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाये जाते हैं और स्थान विशिष्ट मांगों वाली विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपयुक्त क्षमता वाली प्रौद्योगिकियां विकसित की जाती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल किया जाता है। ये कार्यक्रम देश के कमजोर वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए भी हैं जिसमें वैज्ञानिक तथा किसान एक दूसरे के पूरक बनकर उपभोक्ता वर्ग के लिए उपयोगी बीज सामग्री तथा प्रौद्योगिकियां विकसित करते हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य के लिए निम्नलिखित तीन बीज प्रायोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :

(I) सब्जियों पर राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, पेडांन।

(II) संकर बीज (चावल), चिनसुंरा।

(III) पटसन तथा संकर रेशा बैरकपुर से संबंधित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय बीज प्रायोजना।

सिक्किम से रेल सम्पर्क

3959. श्री आर. बी. राई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्र सरकार से सिक्किम तक रेल लाइनों का विस्तार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सिक्किम के लिए सिलीगुड़ी से सिवोक तक छोटी लाइन को बहाल करने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश हाल ही में दिया गया है।

सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

गोहत्या प्रतिबंध (संशोधन) विधेयक, 1992

3960. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहत्या प्रतिबंध (संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त विधेयक केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु कब से विचाराधीन है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश गो-हत्या प्रतिबंध (संशोधन) विधेयक, 1992 भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ और अनुमति के लिए 1.6.1992 को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की टिप्पणियां स्पष्टीकरण के लिए 24.6.1996 को राज्य सरकार को भेजी गई हैं। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

अनधिकृत अतिथि गृह

3961. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रहे अनधिकृत अतिथिगृहों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) 24.7.1996 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 369 अनधिकृत गैस्ट हाउस/होटल चल रहे हैं। इन 369 मामलों में से 326 के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही पहले ही शुरु की जा चुकी है।

विद्रोही गतिविधियां

3962. श्री बादल चौधरी :
श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश में शरण लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपद्रव फैला रहे विद्रोहियों को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को नई सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) सरकार को पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोही ग्रुपों द्वारा बंगला देश के क्षेत्र का दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है। बंगलादेश की सरकार को विभिन्न अवसरों तथा विभिन्न स्तरों पर हमारी चिंताओं के बारे में

सुग्राही बनाया गया है। इस मुद्दे पर अगस्त, 1996 में बंगलादेश के विदेश सचिव के दिल्ली के पिछले दौरे के दौरान भी बातचीत हुई थी। आशा की जाती है कि ऐसी नकारात्मक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए उनसे सहयोग मिलेगा।

इशहान अनुसंधान प्रयोगशाला

3963. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधी नियंत्रण विभाग के इशहान अनुसंधान प्रयोगशालाओं (आई.आर.एल.) पर बायोटिक श्रेणी के उत्पाद के निर्माण के लिए प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या पूर्व में औषधी नियंत्रण विभाग तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने आई.आर.एल. को इस प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दो मंजिली कोचों का निर्माण

3964. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो मंजिली कोचों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बेहतर डिजाइन के दो मंजिली कोचों का विकास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, कुछ वर्ष पूर्व प्रोटोटाइप दुमंजिले सवारी डिब्बे कुछ गाड़ियों में परीक्षण के तौर पर लगाए गये थे। धूल और आवाज प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इसलिए नियमित रूप से उत्पादन नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) आवाज और धूल प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए वातानुकूलित दुमंजिले सवारी डिब्बों का विकास किया जा रहा है। मौजूदा वातानुकूलन पैकेज के साथ विकसित अभिकल्प की समस्या ऊपरी डेक पर अपर्याप्त हैड-रूम का होना तथा वहन क्षमता का कम होना है और इसलिए वाणिज्यिक दृष्टि से आकर्षक नहीं है। अधिक क्षमता के वैकल्पिक अभिकल्प के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल उत्पीड़न के बारे में सिफारिशें

3965. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल उत्पीड़न की कोई जांच करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्। बाल उत्पीड़न की समस्या की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई है।

(ख) बाल श्रम, बाल वेश्यावृत्ति तथा बालिका भ्रूणहत्या एवं शिशु हत्या की समस्याओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान जाता रहा है।

(ग) बाल श्रम उन्मूलन की दृष्टि से आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ये सिफारिशें की (1) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में उपयुक्त कानून अपनाया जाना और इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, (2) बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम को संशोधित करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करना जिससे कि इसके उपबंधों को मजबूत बनाया जा सके और (3) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग के लिए बाल श्रम परियोजना का तेजी से एवं प्रभावी कार्यान्वयन। इस परियोजना के लिए आयोग ने अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों के समन्वित प्रयासों को शामिल करते हुए एक समेकित कार्यक्रम तैयार किये जाने और इसे लागू किये जाने के काम को प्रोत्साहित किया था।

जहां तक बाल वेश्यावृत्ति का सवाल है, आयोग ने बाल वेश्यावृत्ति के धंधे में बच्चों की आपूर्ति बंद करा दिये जाने जैसे निवारक कदम उठाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। आयोग ने इस क्षेत्र में बच्चों की आपूर्ति रोकने को वरीयता देने की जरूरत के साथ साथ इन्हें पुनर्वासित करने की बात को भी रेखांकित किया है। आयोग ने खासतौर से अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, कानून का अधिक कड़ाई से प्रवर्तन, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को प्रेरित करने को उपयुक्त बताया है। आयोग ने बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय अवैध क्रय-विक्रय के बारे में चिंता

व्यक्त की है और इसे रोकने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय प्रयासों की जरूरत पर बल दिया है।

जहां तक बालिका भ्रूणहत्या और शिशुहत्या का सवाल है, आयोग ने कार्रवाई हेतु सिफारिशें तैयार करने की दृष्टि से समस्या के सभी पक्षों की गहराई से जांच करने का निश्चय किया है। इस कार्य में आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं महिला तथा बाल विकास विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसकी सहायता मद्रास सामाजिक कार्य स्कूल द्वारा भी की जा रही है जो कि तमिलनाडु संबंधी अपने अध्ययन को देश के अन्य भागों तक फैला रहा है ताकि आयोग को सर्वोत्तम संभव अनुसंधान आंकड़े उपलब्ध हो सकें जिनके आधार पर वह अपना मत निश्चित कर सके।

[हिन्दी]

लम्बित विधेयक

3966. श्री दत्ता मेघे :
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बहुत सारे विधेयक प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विधेयकों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के राज्य विधान मण्डलों में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए विभिन्न राज्यों के विधेयकों तथा उन विधेयकों के इस मंत्रालय में प्राप्त होने की तारीख का एक विवरण संलग्न है। राज्य विधेयकों पर भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां राज्य सरकारों के परामर्श से विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता होती है। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा मामले पर अपने विचार शीघ्रता से प्रकट करने के संबंध में लगातार स्मरण कराया जाता है। विधेयकों को शीघ्रता से क्लीयर करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, चर्चा भी की जाती है।

विवरण

(29.8.1996 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.7.1996	निजा मूस इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साईंसिज (एमेण्डमेंट) बिल, 1994
2.	"	8.2.1995	आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1995
3.	"	17.1.1996	आंध्र प्रदेश भवन (पट्टा भाड़ा और बेदखली) नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995
4.	"	17.1.1996	पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995
5.	"	23.1.1996	द इंडियन स्टैम्प (आंध्र प्रदेश थर्ड एमेण्डमेंट) बिल, 1995
6.	"	7.3.1996	आंध्र प्रदेश विशेष भूमि प्राधिकरण विधेयक, 1995
7.	"	22.5.1996	द यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साईंसिज (संशोधन) विधेयक, 1996
8.	"	10.7.1996	द इंडियन स्टैम्प (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1996
9.	"	1.8.1996	द आंध्र प्रदेश असाईण्ड लैण्डस (स्थानांतरण प्रतिबंधन संशोधन) विधेयक, 1996
10.	असम	22.4.1996	बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्टस (असम संशोधन) विधेयक, 1996
11.	"	30.5.1996	द असम टी प्लाण्टेशन प्रोवीडेंट फण्ड (एण्ड पेंशन फण्ड) (एण्ड डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फण्ड) स्कीम, (संशोधन) विधेयक, 1996

1	2	3	4
12.	गोवा	15.5.1996	द गोवा यूनिवर्सिटी (संशोधन), विधेयक, 1996
13.	गुजरात	19.8.1996	आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1996
14.	हरियाणा	3.8.1995	द इंडियन स्टैम्प (हरियाणा एमेंडमेंट) बिल, 1995
15.	हरियाणा	31.7.1996	द रजिस्ट्रेशन (हरियाणा एमेंडमेंट) बिल, 1996
16.	केरल	9.1.1996	ट्रावणकोर और कोचीन क्रिश्चियन उत्तराधिकार (पुनर्जीवन और वैधीकरण) विधेयक, 1995
17.	"	28.5.1996	दंड प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) विधेयक, 1996
18.	मध्य प्रदेश	26.8.1994	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1994
19.	"	23.9.1994	दंड प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994
20.	"	10.4.1996	मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (वित्तीय संशोधन) विधेयक, 1996
21.	"	12.7.1996	मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व विधेयक, 1996
22.	महाराष्ट्र	27.9.1991	महाराष्ट्र अग्निशमन एवं अग्नि सुरक्षा उपाय विधेयक, 1991
23.	"	12.11.1993	महाराष्ट्र किराया नियंत्रण विधेयक, 1993
24.	"	24.6.1994	महाराष्ट्र विश्वविद्यालय विधेयक, 1992
25.	"	15.9.1994	हिन्दू अल्पसंख्यक तथा संरक्षण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1994
26.	"	22.8.1994	हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1994
27.	"	27.11.1995	दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1995
28.	"	7.5.1996	अपमृत्यु विचारण (संशोधन) विधेयक, 1996
29.	उड़ीसा	14.6.1993	विद्युत (आपूर्ति) उड़ीसा संशोधन विधेयक 1993
30.	"	28.7.1995	उड़ीसा पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु. जा. तथा अनु. जनजाति हेतु संशोधन) विधेयक, 1994
31.	"	31.7.1996	दंड प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 1996
32.	तमिलनाडु	17.10.1992	तमिलनाडु शहरी भूमि (हदबंदी और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1992
33.	"	22.7.1993	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ निधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 1993
34.	"	21.2.1995	तमिलनाडु शहरी भूमि (हदबंदी और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1995
35.	"	24.4.1996	तमिलनाडु स्वामित्वाधिकार वाले फ्लैट्स और भूखंड (निर्माण और विकास, विक्रय तथा स्थानांतरण संबर्द्धन विनियमन) विधेयक, 1995

1	2	3	4
36.	तमिलनाडु	30.5.1995	तमिलनाडु मूर्ति चोरों की खतरनाक गतिविधियां निवारण विधेयक, 1995
37.	"	30.5.1995	तमिलनाडु भूमि सुधार (हदबंदी का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 1995
38.	"	31.7.1995	तमिलनाडु गंदी बस्ती (विकास और निकासी संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1995
39.	"	30.1.1996	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि हदबंदी का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 1995
40.	"	4.3.1996	तमिलनाडु बागवानी पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1996
41.	"	18.4.1996	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1996
42.	पश्चिम बंगाल	21.9.1990	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1989

रेलगाड़ियों से कोयले की चोरी

3967. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में रेलगाड़ियों से कोयले की चोरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह के कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान बिहार में रिपोर्ट किए गए चोरी के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	रिपोर्ट दिये गये मामलों की संख्या
1993-94	88
1994-95	99
1995-96	149

(ग) रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अपराधियों से निपटने के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं :-

(1) कोयला ले जाने वाले ब्लाक रैकों का, जहां तक संभव हो, सशस्त्र रेल सुरक्षा बल द्वारा भाग रक्षण।

(2) यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों की गहन गश्त बीट पेट्रोलिंग।

(3) क्षेत्रीय रेलों के "इंटर-चेंज प्वाइंट" पर कोयला ले जाने वाले माल के डिब्बों के स्टाक का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त जांच।

(4) संवेदनशील खंडों में, जहां तक संभव होता है, सशस्त्र रेल सुरक्षा बल टुकड़ियों की तैनाती।

(5) संवेदनशील यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ता दस्ते तैनात किये जाते हैं।

(6) अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से अपराध आसूचना इकट्ठा करने के लिए सादे कपड़े में रे.सु.ब. कर्मियों को तैनात किया जाता है।

(7) अपराध आसूचना के आधार पर, चुराए गए कोयले का पता लगाने के लिए अपराधियों/प्राप्तकर्त्ताओं के ठिकानों पर छापा मारा जाता है और उनकी तलाशी ली जाती है।

(8) अपराधियों और चुराए गये कोयले के प्राप्तकर्त्ताओं को पकड़ने के लिए रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

एसिड संयंत्र में रिसाव

3968. श्री ओ. भारथन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रेवनकोर टिटेनियम उत्पाद कम्पनी के सल्फारिक एसिड संयंत्र में रिसाव होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस एसिड संयंत्र के निर्माण का ठेका मुम्बई की जिस निजी फर्म को दिया गया था उसने इस कार्य को सावधानी से निष्पादित नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान रिसाव के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

3969. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्र में कपास की खेती होती है;

(ख) क्या देश में कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि जैसे देशों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन ईयर बुक, 1994 के अनुसार भारत में 1994 में कपास की खेती का क्षेत्र विश्व के 31.118 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में 7.67 मिलियन हेक्टेयर था।

(ख) जी, हां। 1993 में कपास की औसत पैदावार अमरीका में 679 कि.ग्रा./हेक्टे. तथा चीन में 750 किलोग्राम/हेक्टे. की तुलना में भारत में 264 किलोग्राम/हेक्टेयर थी।

(ग) भारत में कपास की कम उत्पादकता के कारण इस प्रकार हैं :-

(1) कपास की खेती के क्षेत्र का लगभग एक तिहाई वर्षा सिंचित है, जिसका मुख्य कारण है वर्षा की अनियमितता।

(2) भारत में संकर किस्म की कपास की खेती का क्षेत्र कुल क्षेत्र का 35% है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

(3) प्रमाणीकृत बीजों का सीमित उपयोग।

(4) किसानों आदि द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दर कम होना।

(5) कपास की खेती अधिकांशत: काली मृदा में की जाती है जिसमें पानी भर जाता है और पानी की निकासी की व्यवस्था खराब होती है, फलत: पैदावार बहुत कम होती है।

(6) कपास की फसल पर कीटों तथा रोगों का हमला होता रहता है, जिससे फसल आदि को नुकसान होता है।

(घ) कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में फील्ड प्रदर्शनों, के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण, समेकित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण आदानों के उपयोग जैसे संकर बीज, कृषि उपस्कर छिड़काव यंत्र, फेरोमोन ट्रैप आदि पर प्रोत्साहन शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप कपास की पैदावार 1980-81 में 152 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 267 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गयी तथा उत्पादन 170 किलोग्राम की 7.01 मिलियन गांठों से बढ़कर 1995-96 में 13.03 मिलियन गांठें हो जाने की आशा है।

काली मिर्च का उत्पादन

3970. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काली मिर्च का उत्पादन पड़ोसी देशों में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या काली मिर्च की कृषि के क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि होने के बावजूद गत पांच वर्षों के दौरान इसका उत्पादन 1989-90 के स्तर पर बना हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में तथा विशेषरूप से कर्नाटक राज्य में काली मिर्च के उत्पादन में सुधार करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत में 1989-90 से 1994-95 के दौरान काली मिर्च का क्षेत्र तथा उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	उत्पादन (हजार मीटरी टन)
1989-90	171.50	55.20
1990-91	173.40	48.00
1991-92	184.20	52.00
1992-93	189.40	50.90
1993-94	190.99	51.32
1994-95	195.05	53.11

उत्पादन में स्थिरता के कारण नीचे दिये गये हैं:

(1) काली मिर्च बहुवार्षिक फसल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 3 से 4 वर्ष है और यह 8 वर्षों में ही पूरी तरह परिपक्व होती है।

(2) कीटों और रोगों का प्रकोप।

(3) पुराने तथा नकारा बगीचों के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र होना।

(ङ) मसालों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 8वीं योजना के तहत 125.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 63.50 करोड़ रु. की धनराशि काली मिर्च के विकास के लिए निर्धारित है। देश में काली मिर्च की उत्पादकता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) उच्च पैदावार देने वाली किस्मों की जड़युक्त काली मिर्च की कलमों का उत्पादन एवं वितरण, (2) काली मिर्च के पुराने बगीचों का पुनरुद्धार, (3) आदान किटों का वितरण, (4) क्विक विल्ट रोग के लिए पौध संरक्षण, (5) लिटिल लीफ रोगों का उन्मूलन, (6) प्रदर्शन भूखण्ड, (7) उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, एवं (8) क्षेत्र विस्तार/लिटिल लीफ रोगों के उन्मूलन, आदान किटों के वितरण तथा उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन को छोड़कर उक्त सभी कार्यक्रम कर्नाटक में चलाए जा रहे हैं। कर्नाटक में काली मिर्च के विकास के लिए 8वीं योजना के दौरान 415.29 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। काली मिर्च के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को आठवीं योजना के दौरान 1995-96 के अंत तक 259.55 लाख रुपये जारी किये गये हैं।

गाड़ियों का विलम्ब से चलना

3971. श्री दरबारा सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर को जाने वाली अधिकतर गाड़ियां जिनमें शान-ए-पंजाब और अन्य रेल गाड़ियां शामिल हैं, सामान्यतः देरी से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत छः माह के दौरान पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर को पहुंचने वाली कितनी एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियां कितनी बार अपने गंतव्य पर देरी से पहुंची; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) बहरहाल, 2497/2498 शाने-पंजाब, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली अन्य गाड़ियों का चालन कई बार दुर्घटनाओं, आंदोलनों, उपस्कर की खराबियों, खतरे की जंजीर खींचे जाने, शरारती गतिविधियों तथा खराब मौसम आदि जैसे कारणों से प्रभावित हुआ है।

(ग) कड़ी नजर तथा विभिन्न स्तरों पर दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षकीय तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर समय-पालन संबंधी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

"घाट का निर्माण"

3972. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांघी सीमेंट ने कच्छ, गुजरात में तटीय विनियमन जोन में एक घाट का निर्माण किया है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा इसके लिए किसी स्तर पर अनुमति दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या तटीय विनियमन जोन का उल्लंघन करने के लिए कोई मुकदमा किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ) मैसर्स सांघी उद्योग लिमिटेड ने कच्छ, गुजरात में एक जैटी के प्रस्तावित निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन किया है। एक विशेषज्ञ समिति इस प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है और अनुमति अभी नहीं दी गई है।

रेल सम्पत्ति को क्षति

3973. श्री छतर सिंह दरबार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा रेलों की तोड़फोड़ और इन्हें पहुंचाई गई क्षति का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले छः महीनों (फरवरी, 1996 से जुलाई, 1996) के दौरान असामाजिक तत्वों के कारण रेल सम्पत्ति को हुए नुकसान तथा तोड़फोड़ का जोनवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

रेलवे	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	क्षतिग्रस्त रेल संपत्ति का मूल्य (रुपयों में)
मध्य	67	7,070
पूर्व	4	1,71,00,000
उत्तर	5	1,500
पूर्वोत्तर	4	1,070
पूर्वोत्तर-सीमा	5	2,750
दक्षिण	3	33,57,500
दक्षिण-मध्य	12	1,75,73,000
दक्षिण-पूर्व	–	–
पश्चिम	1	5,000
जोड़	101	3,80,47,890

(ख) 103 व्यक्ति उत्तरदायी पाए गए और कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।

(ग) यद्यपि रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है तथापि रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्थापनाओं तथा स्टेशनों पर रे.सु.ब. के कार्मिक भी तैनात किए जाते हैं। राजकीय रेल पुलिस तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। राज्य के उच्चधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

हिन्दी का प्रयोग

3974. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में सरकारी काम करने वाले कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न प्रकार के प्रोत्साहन देय हैं :-

(1) मूलतः हिन्दी में टिप्पण/आलेखन करने पर।

(2) अधिकारियों द्वारा हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर।

(3) आशुलिपिकों/टंककों द्वारा हिन्दी में आशुलिपि तथा टंकणों/कंप्यूटरों पर कार्य करने पर।

गांधीधाम में टर्मिनल सुविधायें

3975. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर इसके कांडला पत्तन से समीप होने को ध्यान में रखते हुए, सभी सवारी और मालगाड़ियों के लिए टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि करने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात के वर्तमान स्तर के लिए सुविधाएं पर्याप्त हैं। बहरहाल, गांधीधाम-भुज खंड के आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है तथा बड़ी लाइन का आमान परिवर्तन होने के बाद यातायात संभालने के लिए यथा अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था आमान परिवर्तन के कार्य के साथ-साथ कर दी जाएगी।

पोल्ट्री फार्म

3976. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या पशुपालन और डेरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र से राज्यों में पोल्ट्री फार्मों को बेहतर बनाने में सहायता करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस विभाग के पास राज्यों में कुक्कुट फार्मों को सहायता देने की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

[हिन्दी]

समन्वित डेरी विकास

3977. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा समन्वित डेरी विकास के अंतर्गत डेरी उद्योग रहित पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी सहायता दी गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार प्राप्त उपलब्धि क्या रही?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना एक एकीकृत योजना है जिसमें विशेष क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए दुग्ध उत्पादन में अभिवृद्धि तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए आदान सेवाओं के प्रावधानों के साथ-साथ डेयरी विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 20 राज्यों में 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन हैं। सभी परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत तथा निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण पर संलग्न है।

विवरण

गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र योजना की एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत तथा निर्मुक्त धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

सं.	राज्य	परियोजना की अनुमानित लागत	के दौरान निर्मुक्त निधि			1995-96 तक कुल
			1993-94	1994-95	1995-96	
1	2	3	4	5	6	7
(क)	1993-94 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं					
1.	अरुणाचल प्रदेश	458.5	100	150	–	250
2.	गुजरात	679.95	150	0–	150.00	300
3.	मध्य प्रदेश केन्द्रीय बस्तर गुना नरसिंगपुर	781.06	225	290	150.00	665
4.	मणिपुर	224.1	25	100	–	125
5.	मिजोरम परियोजना-1	367.99	100	146	–	246
6.	नागालैंड	337.71	100	150	–	250
7.	उड़ीसा परियोजना-1	631.00	50	142	300.00	492

1	2	3	4	5	6	7
8.	सिक्किम सिक्किम (उत्तरी) सिक्किम (पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी)	678.47	125	200	–	325
9.	त्रिपुरा परियोजना-1	304.9	25	100	100.00	225
10.	उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र तराई क्षेत्र	1242.89	190	200	310.00	700
उप-योग (क)		5706.57	1090	1478	1010.00	3578
ख. 1994-95 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं						
1.	असम	1260.76	0	400	0	400
2.	बिहार परियोजना-1	158.61	0	75	0	75
3.	मेघालय	141.29	0	75	0	75
4.	उड़ीसा परियोजना-2	443.21	0	150	100	250
5.	त्रिपुरा परियोजना-2	319.51	0	113	0	113
6.	पश्चिम बंगाल	498.88	0	200	150	350
उप-योग (ख)		2822.26	0	1013	250	1263
उप-योग (क)+(ख)		8528.83	1090	2491	1260	4841
ग. 1995-96 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं						
1.	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	239.41	-	–	91.00	91.00
2.	आंध्र प्रदेश	447.32	–	–	250.00	250.00
3.	बिहार परियोजना-2	729.00	–	–	150.00	150.00
4.	हरियाणा	203.75	–	–	15.00	15.00
5.	जम्मू	635.120	–	–	75.00	75.00
6.	कश्मीर	608.108	–	–	75.00	75.00
7.	मध्य प्रदेश परियोजना-4 (छत्तरपुर, खरगोन, सतना एवं रीवा)	599.850	–	–	163.00	163.00
8.	महाराष्ट्र	1985.235	–	–	200.00	200.00
9.	मिजोरम (परियोजना-2)	349.190	–	–	75.00	75.00
10.	तमिलनाडु	336.630	–	–	150.00	150.00
उप-योग (ग)		6133.673	–	–	1244.00	1244.00
सकल-योग (क+ख+ग)		14662.503	1090	2491	2504.00	6085.00

[अनुवाद]

बंगलादेश में भारतीय नागरिक

3978. श्री आर. रायप्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश में भारतीय एन्कलेव में रह रहे भारतीय नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने संबंधी मामला सरकार के साथ लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) बंगलादेश में 119 और भारत में 72 बंगलादेशी अन्तः क्षेत्र हैं जिनकी अदला-बदली की जा सकती है। भारत-बंगलादेश थल सीमा समझौता, 1974 के तहत किए गए विनिर्धारण के अनुसार इन अन्तः क्षेत्रों की अदला-बदली भारत और बंगलादेश के बीच, क्षतिपूर्ति के किसी दावे के बिना की जानी है। कोई भी पक्ष कभी भी अपने उन अन्तः क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हुआ जो दूसरे देश में स्थित हैं। अन्तः क्षेत्रों की अदला-बदली में कानूनी एवं संवैधानिक उलझनें हैं जोकि 1974 के समझौते से संबद्ध अन्य बकाया मुद्दों से जुड़ी हुई है जैसे कि प्रतिकूल कब्जों का हस्तांतरण, सीमा निर्धारण और समझौते की पुष्टि। अन्तः क्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता से संबंधित मुद्दा भी सुलझाया जाना है। सरकार का, बंगलादेश के अंदर पड़ने वाले अंतः क्षेत्रों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है और इसलिए इन निवासियों को मताधिकार देना संभव नहीं हुआ है।

''विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का निष्पादन''

3979. श्री विजय गोयल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों के विरुद्ध विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी एजेंसियों द्वारा विभिन्न वानिकी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने/दुरुपयोग किए जाने एवं ऐसी परियोजनाओं के असंतोषजनक निष्पादन के संबंध में शिकायतें/रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ङ) विश्व बैंक, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, ओवरसीज़ आर्थिक सहयोग निधि, जापान, ओवरसीज विकास प्रशासन, (इंग्लैंड), जर्मनी रिपब्लिक संघ, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तपोषित चालू विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं की समग्र प्रगति पूरी तरह से संतोषप्रद है।

इन परियोजनाओं का तिमाही प्रगति रिपोर्ट और संदाता एजेंसियों के नियमित पुनरीक्षण मिशन द्वारा समय-समय पर मानीटर और पुनरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा संदता एजेंसियों के मिशन और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अविवरणी बैठकों के द्वारा मंत्रालय में इन परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर किया जाता है। विदेशी सहायता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए इन परियोजनाओं का समय समय पर विस्तार किया जाता है।

[हिन्दी]

यात्रियों को परेशानी

3980. श्री पवन दीवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी की गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को मासिक सीजन टिकट वाले दैनिक यात्रियों द्वारा परेशान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) विशिष्ट शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा, उपयुक्त प्राधिकार पत्र के बिना यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए वाणिज्य तथा सतर्कता विभागों द्वारा रे.सु.ब. तथा रा.रे.पु. के निकट समन्वय से निरंतर आकस्मिक जांचें की जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। उन गाड़ियों तथा खंडों जो भेद्य पाए जाते हैं, में टिकट जांच गतिविधियां गठन की जाती हैं।

आरक्षण कोटा

3981. श्री काशीराम राणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस का वलसाड स्टेशन पर ठहराव होने के बावजूद इस रेलगाड़ी से वलसाड के लिए टिकट नहीं दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी में वलसाड के लिए शायिका के आरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वलसाड स्टेशन पर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के टिकट जारी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी के लिए इस स्टेशन को कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है। वलसाड में 2953/2954 निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूल 2-टियर और वातानुकूल 3-टियर प्रत्येक में 2 शायिकाओं और वातानुकूल कुर्सीयान में 4 सीटों का आरक्षित कोटा यथासंभव तारीख से आबंटित करने के लिए अब उत्तर और पश्चिम रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

मछली पत्तन

3982. श्री एन. जे. राठवा :
श्री ए. सम्पत:
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने मछली पत्तन हैं;

(ख) क्या कुछ तटवर्ती राज्यों में मछली पत्तनों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन पत्तनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पूरा किए गए मत्स्य बन्दरगाहों की संख्या	केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता (रु. लाख में)
1.	गुजरात	3	1376.00
2.	महाराष्ट्र	1	1107.00
3.	कर्नाटक	5	568.59
4.	केरल	4	2953.10
5.	तमिलनाडु	7	1728.56
6.	आंध्र प्रदेश	4	3608.59
7.	उड़ीसा	4	5188.30
8.	पश्चिम बंगाल	3	1033.18
9.	अण्डमान व निकोबार	1	67.00

[अनुवाद]

जासूसी गतिविधियां

3983. श्री सुरेश प्रभु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जासूसी गतिविधियों में लिप्त राज्य-वार कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया;

(ख) पकड़े गये व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जासूसी गतिविधियों के लिए कई भारतीय तथा विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। तथापि, इस संबंध में और जानकारी देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा आसूत्तना तंत्र को सुग्राही तथा सक्रिय बनाकर, राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करके तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों के इरादों को नाकाम करने और उनका मुकाबला करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

''हेरीटेज ट्रेन''

3984. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''पैलेस ऑन व्हील्स'' की तरह ''हैरीटेज ट्रेन'' शुरु करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी देश के किन-किन क्षेत्रों से होकर चलेगी;

(ग) राजस्थान के शेखावत क्षेत्र के लिए लंबित ''हैरीटेज ट्रेन'' योजना के संबंध में क्या प्रगति है;

(घ) क्या सरकार का विचार जोधपुर-जैसलमेर के लिए नई वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

3985. श्री एस. पी. जायसवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कोई परियोजना शुरु की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई परियोजना शुरु नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेशनों का सौंदर्यीकरण

3986. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्टेशनों का स्थान-वार नाम क्या है जिनका प्राईवेट पार्टियों द्वारा सौंदर्यीकरण किए जाने की संभावना है;

(ख) इस योजना में रुचि दिखाने वाली प्राईवेट पार्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राईवेट पार्टियों द्वारा इन स्टेशनों पर वास्तव में कार्य कब तक शुरु किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और रख-रखाव संबंधी कार्य निजी पार्टियों को देने का रेलवे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुलिस सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण

3987. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जुलाई तथा अगस्त में कितने आई.पी.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया;

(ख) जुलाई तथा अगस्त में स्थानान्तरित किये गये जिला मजिस्ट्रेटों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के नाम क्या-क्या हैं, साथ ही कितने अधिकारी एक वर्ष से कम समय में स्थानान्तरित किये गये हैं; और

(ग) जुलाई और अगस्त में कितने कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्ता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सूरत में बुकिंग कार्यालय

3988. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में रेलवे बुकिंग कार्यालय खोले जाने संबंधी मांग काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक वहां बुकिंग कार्यालय खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी थी परंतु भूमि पर अतिक्रमण और सूरत नगर निगम द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के कारण इसे हाथ में नहीं लिया जा सका।

(ग) यह कार्य 1996-97 के बजट में शामिल कर लिया गया है क्योंकि अब स्वीकृति दे दी गई है।

मेहसाना-तारंगा रेल सेवा

3989. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरी-पाटन की मेहसाना-तारंगा पहाड़ियों के बीच चलने वाली रेल सेवा रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पुनः बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां 141/142 मेहसाना-तारंगा हिल पैसेंजर गाड़ी को 10.6.92 से रद्द कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वाणिज्यिक औचित्य का अभाव।

[अनुवाद]

उच्चाधिकार प्राप्त समिति

3990. डा. कृपासिंधु भोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ औषधियों के मूल्य नियंत्रण के संबंध में औषधि उद्योग के अभ्यावेदनों का अध्ययन करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या समिति के निदेश पद में परिवर्तन लाने की कोई मांग की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गया है।

(ङ) जी, नहीं।

''तमिलनाडु में पर्यावरणीय परियोजनाएं''

3991. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण तथा वन के विकास के लिए तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में परियोजनावार प्राप्त उपलब्धि क्या है; और

(ग) परियोजनावार इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों, पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिए तमिलनाडु में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी आर्थिक और भौतिक उपलब्धियों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	विस्तृत उद्देश्य	निधियों की सीमा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों में 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उपलब्धियां	
					आर्थिक	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	100%	जारी	91.59	14 राष्ट्रीय उद्यान कवर किए गए।
2.	संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास-परिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों के किनारों पर रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	8.62	2 राष्ट्रीय उद्यान कवर किए गए।
3.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तर-जीविता सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	43.92	वित्तीय बंटन के आधार पर निर्धारित किए गए।
4.	वनस्पतिक उद्यानों को सहायता	वनस्पतिक उद्यानों का उन्नयन करना	100%	जारी	18.55	3 वनस्पतिक उद्यान कवर किए गए।
5.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति को सहायता	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल पर नियंत्रण करना	100%	जारी	12.72	वित्तीय बंटन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए।
6.	औषधीय पौधों सहित नॉन-टिम्बर उत्पाद	औषधीय पौधों सहित नॉन-टिम्बर उत्पाद को बढ़ाना	100%	जारी	78.80	1918 है. क्षेत्र कवर किया गया।
7.	बीज विकास योजना	उन्नत बीजों के लिए अवसंरचना का विकास करना	100%	जारी	10.42	वित्तीय बंटन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए।
8.	समन्वित वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100%	जारी	132.31	1051 है. क्षेत्र कवर किया गया।
9.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	अभिनिर्धारित जलाऊ लकड़ी की कमी वाले जिलों में जलाऊ लकड़ी और चारा की सप्लाई में वृद्धि करना	50%	जारी	276.60	9305 है. क्षेत्र कवर किया गया।
10.	जीवमंडल रिजर्व स्कीम	राज्य में स्थापित 2 जीवमंडल रिजर्वों के लिए प्रबंधन कार्य योजना कार्यान्वित करना	100%	जारी	110.26	2 जीवमंडल रिजर्व कवर किए गए।
11.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	94.46	एक बाघ रिजर्व कवर किया गया।
12.	बाघ रिजर्व के आस-पास पारि-विकास	बाघ रिजर्व के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	4.76	-वही-
13.	पर्यावरण वाहिनी	जनता के सक्रिय रूप से भाग लेने के द्वारा पर्यावरणीय जागरुकता पैदा करना	100%	जारी	1.26	7 जिलों में गठित की गई।
14.	कच्छ वनस्पति का संरक्षण	कच्छ वनस्पति का संरक्षण एवं प्रबंधन	100%	जारी	13.33	2 कच्छ वनस्पति कवर किए गए।
15.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	वैज्ञानिक लाइनों पर चिड़ियाघरों का विकास करना	100%	जारी	22.64	2 चिड़ियाघर कवर किए गए।
16.	राष्ट्रीय नदी कार्य योजना (कावेरी नदी कार्य योजना)	कावेरी नदी का प्रदूषण उपशमन	तमिलनाडु के पांच शहरों अर्थात् कुमारपलायम् भवानी, इरोड, त्रिची और पल्लीपलायम को कवर करते हुए 38.2 करोड़ रुपये की कुल लागत से केन्द्रीय और राज्य सरकार के बराबर हिस्से पर कावेरी नदी के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए एक योजना आरम्भ की गई है। अभी तक 105.98 लाख रुपये की राशि का बंटन हो चुका है।			

रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3992. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विशेषरूप से गुजरात में रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टर बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं तथा 30 सितंबर, 1990 की तारीख तक कितने क्वार्टर बनाए जाने की आवश्यकता थी;

(ग) इन क्वार्टरों को कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) इनमें से कितने क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं;

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के कर्मचारियों को कम संख्या में क्वार्टर आबंटन किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या गुजरात में तथा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में रेलवे क्वार्टर रेल कर्मचारियों की संख्या से कम हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (छ) भारतीय रेलों पर लगभग 40% कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकाधिक कर्मचारियों को क्वार्टर सुलभ कराने के लिए अधिक से अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है और जो धनराशि की उपलब्धता के आधार पर इस संबंध में उपर्युक्त निर्माण कार्यों को रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल करके निष्पादित की जाती है।

क्वार्टरों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

रेलें यह सूचना राज्य-वार नहीं रखती हैं।

आई.पी.सी.एल.

3993. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ प्रबंधन परामर्शदात्री निकाय जैसे कि ए.एस.सी.आई. और टी.एम.टी.सी. 30% अतिरिक्त श्रमशक्ति के संबंध में 1985 से ही आई.पी.सी.एल. को रिपोर्ट दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आई.पी.सी.एल. के प्रबंधन ने बड़ौदा और गंधार की परियोजनाओं में 15% श्रमशक्ति को पुन: बहाल करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अतिरिक्त श्रमशक्ति के बावजूद आई.पी.सी.एल. ने गुजरात राज्य के बाहर से भारी पैमाने पर सीधी भर्ती की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (ज) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) ने सलाह दी है कि उनकी प्रथम विनिर्माण सुविधा बड़ौदा में स्थापित की गई थी जहां पर विस्तार योजनाएं चरणबद्ध आधार पर लागू की गई हैं। प्रत्येक नए संयंत्र व प्रौद्योगिकी के संयोजन से आशय है नियोजित जनशक्ति में वृद्धि। तेजी से वृद्धि व विस्तार के कारण भी जन-शक्ति में कुछ असंतुलन पैदा हुआ, जिससे आवधिक पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया। जनशक्ति में असंतुलन की पहचान करने के उद्देश्य से आई. पी. सी. एल. के बड़ौदा काम्प्लेक्स में मौजूदा जनशक्ति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 1986 में ए. एस. सी. आई. को कहा गया था। ए. एस. सी. आई. ने 1988 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न स्तरों पर फालतू जनशक्ति का प्रतिशत 30% तक है जबकि कुछेक स्तरों पर यह शून्य है या मामूली है। बड़ौदा काम्प्लेक्स की जनशक्ति के अध्ययन में टी एम टी सी सम्मिलित नहीं था। उन्हें आई पी सी एल के नागोथाणे काम्प्लेक्स (महाराष्ट्र) के संगठनात्मक ढांचे के अभिकल्प के लिए अंशत: सम्मिलित किया गया था।

2. आई. पी. सी. एल. प्रौद्योगिकी के लिहाज से संवेदनशील कंपनी है। इच्छुक पर्यवेक्षी कर्मचारियों को हमेशा नए स्थलों पर कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है। इसलिए कुछ अनुभवी पर्यवेक्षी कर्मियों को बड़ौदा से नागोथाणे और गंधार परियोजनाओं में स्थानांतरित किया गया है। बड़ौदा स्थित विस्तार परियोजना के लिए गैर पर्यवेक्षी जरूरतों को बड़ौदा काम्प्लेक्स में पहले से ही तैनात जनशक्ति से पूरा करने की योजना बनाई गई है। पिछले कुछ समय से ये कार्य बड़ौदा काम्प्लेक्स के विभिन्न प्रभागों में उपलब्ध फालतू जनशक्ति की छंटनी करने के लिए किए गए हैं।

3. यह भर्ती गुजरात में बनने जा रहे गंधार काम्प्लेक्स और महाराष्ट्र में नागोठाणे काम्प्लेक्स और बड़ौदा काम्प्लेक्स के लिए उनकी उचित जरूरतों के अनुसार की जाती है। पर्यवेक्षी जनशक्ति की भर्ती भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर की जाती रही है।

प्रत्येक काम्प्लेक्स के लिए गैर पर्यवेक्षी स्टाफ की भर्ती रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना (रोजगार कार्यालय) अधिनियम में दिए गए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के बाद संबंधित राज्य जिसमें कि कोई परियोजना स्थित है, से की जाती है।

सूखा/बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र

3994. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री एल. रमना :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखा और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य में कितनी राशि खर्च की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश के 13 राज्यों में 745 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र तथा 20 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 400 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। बहरहाल यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सूखा और बाढ़ आती है।

(ख) सूखे के दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा सिंचाई विकास, पनधारा विकास तथा मृदा एवं जल संरक्षण जैसे अनेक अन्य कार्यक्रमों से भी सूखे की समस्या के दीर्घावधी समाधान में सहायता मिलती है। योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण उपाय जैसे तटबंध निर्माण, ड्रेनेज चैनल, कस्बों का बचाव, गांवों के ऊंची जगह पर बसाना अपरदन रोधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	सूखा प्रवण क्षेत्र-कार्यक्रम			बाढ़ नियंत्रण-कार्यक्रम		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	24.05	23.55	28.48	126.87	40.15	48.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	1.43	2.50	3.12
3.	असम	–	–	–	17.40	20.60	23.76
4.	बिहार	8.80	6.32	3.75	30.41	28.57	50.00
5.	गोवा	–	–	–	0.30	0.40	0.30
6.	गुजरात	11.94	11.91	8.30	2.46	1.60	1.60
7.	हरियाणा	2.04	2.24	0.20	12.59	9.08	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	0.43	1.38	1.54	2.00
9.	जम्मू और कश्मीर	4.04	5.03	4.79	8.83	11.28	12.38
10.	कर्नाटक	16.09	17.19	14.71	11.05	10.10	9.72
11.	केरल	–	–	–	27.56	15.00	18.00
12.	मध्य प्रदेश	13.39	10.65	14.89	0.48	1.00	1.00
13.	महाराष्ट्र	18.26	23.83	13.87	0.31	0.46	0.55
14.	मणिपुर	–	–	–	2.61	5.29	5.28

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	–	–	–	0.96	11.00	8.23
16.	मिजोरम	–	–	–	0.10	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	0.05	–	0.20
18.	उड़ीसा	11.26	8.90	6.76	7.79	7.00	6.80
19.	पंजाब	–	–	–	10.85	13.53	15.79
20.	राजस्थान	7.30	10.13	10.02	5.72	7.08	8.65
21.	सिक्किम	–	–	–	0.12	0.12	0.26
22.	तमिलनाडु	10.74	13.96	8.21	0.82	1.27	3.49
23.	त्रिपुरा	–	–	–	2.20	2.00	2.20
24.	उत्तर प्रदेश	19.44	20.91	17.81	9.00	11.99	13.23
25.	पश्चिम बंगाल	4.32	6.72	1.97	32.00	36.00	47.00

विश्वव्यापी निविदा

3995. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1995 में टी.एल.एम. फ्रांस नाम की बहुराष्ट्रीय कम्पनी को फैब्रीकेटर और कैडमियम कॉपर कैटेनरी वायर के लिए निर्धारित दर से चालीस प्रतिशत अधिक दर पर ठेका दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और औचित्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड द्वारा ऋण"

3996. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड जापान ने कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर, गुलबर्ग, बिदर सहित सूखा प्रवण क्षेत्र में वन लगाने के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ.ई.सी.एफ. द्वारा कितना ऋण दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या ओ.ई.सी.एफ. के पास परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक उपर्युक्त ऋण प्राप्त होने तथा कार्य शुरु किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ) जी, हां। समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.), जापान "कर्नाटक के पूर्वी मैदानों के लिए वानिकी और पर्यावरणीय परियोजना" नामक वानिकी परियोजना को सहायता देने का इच्छुक है। इस परियोजना में कर्नाटक के पूर्वी मैदानों के 16 जिले शामिल होंगे जिनमें बेलारी, रायचूर, गुलबर्गा तथा बीदर जिले भी आते हैं।

पांच वर्षों के लिए इस परियोजना जिसमें कि राज्य के 16 पूर्वी जिलों में लगभग 5,48,000 है. क्षेत्र शामिल है, के लिए कुल लागत 355.41 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य पूर्वी मैदानों के अद्वितीय पारिस्थितिकीय रूप से संवेदन क्षेत्रों का परिरक्षण, भूमि, और जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंध, कार्यक्रम तैयार करना, लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखना, निर्धनता कम करना तथा निर्धन लोगों की अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और आयोजना एवं प्रबंधन की भागीदारी प्रक्रिया की स्थापना करके भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग कोष से एक तथ्यान्वेशी मिशन ने परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए फरवरी, 1996 में राज्य का दौरा किया। इस परियोजना का समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग कोष जापान द्वारा जुलाई, 1996 में पुन: मूल्यांकन किया गया और इसे 1997-98 में चलाए जाने की संभावना है।

शिकोहाबाद स्टेशन पर रेल दुर्घटना

3997. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया एवं भटिंडा के बीच 8 जुलाई को शिकोहाबाद स्टेशन पर माल गाड़ी की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की सम्पत्ति की उक्त दुर्घटना में कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना के कारण रेल संपत्ति को 36,40,000/- रु. की हानि हुई।

(ग) जी हां।

(घ) जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना सी बी सी लिफ्ट के टूटने से हुई।

नेमी ओवरहालिंग डिपो, मुगलसराय, पूर्व रेलवे के कर्मचारी उत्तरदाई पाए गए हैं। उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

गया तथा क्यूल के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3998. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के गया जंक्शन तथा क्यूल के मध्य कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मार्ग पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एकहरी लाइन खंड पर परिचालनिक कठिनाइयों के कारण पूर्वी रेलवे गया-क्यूल खंड पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चल रही है। यह खण्ड पैसेंजर गाड़ी से पर्याप्त रूप से सेवित है तथा कोई नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

औषधि मूल्य नियंत्रण

3999. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों के गलत शामिल किए जाने के संबंध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) औषधियों को शामिल किए जाने/बाहर किए जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं;

(घ) क्या औषधियों को गलती से सूची से बाहर किए जाने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) से (ङ) मूल्य नियंत्रण के अधीन 19 औषधों को शामिल करने के विरुद्ध 27 कम्पनियों और एक उद्योग संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से कुछ अभ्यावेदनों में, शामिल किए जाने के विरुद्ध दिए गए तर्कों का समर्थन करने के लिए कुछ अन्य औषधों को मूल्य नियंत्रण से बाहर करने पर भी प्रश्न उठाया गया है। सरकार ने, औषधों को मूल्य नियंत्रण में शामिल करने/बाहर रखने के संबंध में इन अभ्यावेदनों से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। बाद में, 3 और औषधों को शामिल करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अब समिति की अवधि 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गई है। 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष तक सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में दिए गए मापदण्ड को लागू करके पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों से सूचना प्राप्त करना

4000. श्री शिवराज सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कट्टर आतंकवादियों/उग्रवादियों से सूचना प्राप्त करने हेतु मानवीय तकनीक को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) कानून में यह प्रावधान है कि किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचाए बगैर पूछ-ताछ मानवीय तरीके से की जानी चाहिए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को पूछताछ करने के मानवीय तरीकों, अर्थात् पूछताछ करने के आधुनिक तरीके जैसे कि पोलीग्राफ मशीनों (लाई डिटेक्टर्स) का प्रयोग, संदिग्ध व्यक्ति का विश्वास जीतना, उससे लम्बी, विशेषज्ञ और लगातार पूछताछ के द्वारा सच्चाई कबूल करवाना तथा सच्चाई उगलवाने के लिए वास्तविक तथ्यों को उसके समक्ष रखने जैसे तरीकों को अपनाने हेतु अभिमुख किया जा रहा है और सुग्राही बनाया जा रहा है।

बयाना में ठहराव

4001. श्री गंगा राम कोली : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 2925/2926 बम्बई डीलक्स एक्सप्रेस को बयाना में रोकने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों का कल्याण

4002. श्री चर्चिल अलेमाओं :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में मछुआरों के कल्याण के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इन योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मछुआरों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसे राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है, तैयार की गयी है। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं :

(1) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा।

(2) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास।

(3) बचत एवं राहत।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए किये गये आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह योजना वर्ष दर वर्ष के आधार पर क्रियान्वित की जाती है और इसे 1995-96 तक क्रियान्वित किया गया है।

(घ) इस योजना के घटक (1) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा और (2) बचत एवं राहत मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान आवंटित धन		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	150.00	74.50
2.	असम	–	19.95	–
3.	बिहार	12.00	–	2.25
4.	गुजरात	–	–	67.02
5.	गोवा	–	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.21
7.	जम्मू व कश्मीर	–	0.02	18.59
8.	कर्नाटक	82.08	79.40	94.26
9.	केरल	152.85	251.58	273.34
10.	मध्य प्रदेश	10.06	2.34	10.04
11.	महाराष्ट्र	–	–	25.00
12.	मणिपुर	–	0.11	12.87
13.	उड़ीसा	20.08	46.82	22.55
14.	तमिलनाडु	578.44	519.28	522.00
15.	उत्तर प्रदेश	11.08	36.66	19.00
16.	पश्चिम बंगाल	7.00	38.00	8.00

1	2	3	4	5
17.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.87	0.34
18.	लक्षद्वीप	–	0.03	0.03
19.	पाण्डिचेरी	53.00	100.00	69.46
20.	त्रिपुरा	6.31	10.48	20.37
21.	राजस्थान	–	–	2.00
		959.01	1255.64	1241.83

झींगा पालन

4003. श्री के. एस. रायुडू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उन झींगा उत्पादकों को, जो कि देश के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, क्या प्रोत्साहन तथा छूट दी गई है;

(ख) क्या झींगा उत्पादकों को वैज्ञानिक तरीके से झींगा उत्पादन करने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कोई सरकारी संस्थाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तीन मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यथा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुम्बई, केन्द्रीय ताजा जल कृषि संस्थान, भुवनेश्वर और केन्द्रीय खारा जल-कृषि संस्थान, मद्रास झींगा पालकों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। "केन्द्रीय प्रायोजित समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास योजना" के अंतर्गत समुद्रतटीय राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के लिए अब तक 39 खारा जल मत्स्य फार्म विकास एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। खारा जल मत्स्य फार्म विकास एजेन्सियां वित्तीय और विस्तार आदान मुहैया करने के अलावा भावी मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण भी देती हैं। झींगा पालकों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहन और रिआयतें

क्र.सं.	मद	उपलब्ध अधिकतम सब्सिडी
(1)	खारे जल क्षेत्र का विस्तार/पुनरुद्धार करके उन्हें झींगा फार्मों में बदलना तथा लघु क्षेत्रों के लिए पहली फसल हेतु आदान देना	30,000 रु./है.
(2)	अर्ध गहन झींगा फार्मों का निर्माण (सभी वर्गों के किसानों के लिए, सार्वजनिक/ निजी क्षेत्रीय उद्यमों/उद्यमियों सहित)	अधिकतम 10 है. जोत वाले प्रति लाभानुभोगी के लिए 30,000 रु./है.
(3)	2-5 मिलियन डिम्ब/वर्ष तक की छोटी प्रान हैचरियों की स्थापना (निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए)	प्रति हैचरी 1,00,000/- रु. या लागत का 10% दोनों में जो भी कम हो।

लघु पैमाने के झींगा पालकों के लिए उपलब्ध अन्य प्रोत्साहन

झींगा पालकों के प्रशिक्षण के लिए वजीफा	प्रति प्रशिक्षु 25 रु. प्रति दिन तथा प्रति प्रशिक्षु 140 रु. क्षेत्रीय दौरों के लिए एक मुश्त भुगतान

[हिन्दी]

उर्वरकों/कीटनाशकों का उपयोग

*4004. **श्री ललित उरांव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों का विचार है कि रसायन उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी में कॉपर, मैंगनीज, मैग्निशियम, लौह, जिंक आदि की मात्रा कम हो जाती है तथा कीटनाशक से खाद्य पदार्थों में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) यह प्रदर्शित करने के लिए कोई आनुभाविक साक्ष्य नहीं है कि संस्तुत मात्रा में तथा समेकित ढंग से यदि रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग किया जाए तो वे मृदा की उर्वरता को नष्ट करते हैं तथा मृदा में तांबा, मैंगनीज, मैगनेशियम, लोहा, जस्ता आदि की मात्रा को कम करते हैं। इसके दीर्घावधिक प्रयोगों के निष्कर्षों से यह पता चला है कि मृदा संसाधन आधार तथा इसकी स्थिति के अनुरक्षण के लिए कार्बनिकों तथा जैव उर्वरकों के उपयोग के जरिये रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण फसल उत्पादकता में लाभ को स्थायी बनाया जा सकता है। अत: संतुलित रूप से उर्वरकों के उपयोग तथा कार्बनिकों और जैव उर्वरकों के उपयोग तथा कार्बनिकों और जैव उर्वरकों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के समेकित उपयोग पर हमेशा जोर दिया जाता है। अम्लीय मृदाओं में अम्लीयता को कम करने के लिए तथा संतुलित उर्वरक की क्षमता प्राप्त करने के लिए चूना मिलाना आवश्यक है। इसे प्रदर्शित करने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि संस्तुत कम खुराकों पर कीटनाशकों के प्रयोग करने से मृदा की उर्वरता में कोई नुकसान होता है। यदि समेकित कृमि प्रबंध प्रणाली के अनुसार कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो वे खाद्य उत्पादों में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। अत: भारत सरकार द्वारा समेकित कृषि प्रबंध का व्यापक प्रचार किया गया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम

4005. श्री नन्द कुमार साय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन किए जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरन प्रत्येक वर्ष में कितने पौधे लगाए गए हैं; और

(ग) इनमें से कितने पौधे जीवित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वृक्षारोपण कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत् वनीकरण कार्यकलाप दो श्रेणियों में चलाए जाते हैं अर्थात (क) वनीकरण के अंतर्गत लाई गई सार्वजनिक भूमि, और (ख) निजी भूमि पर रोपण हेतु पौध का वितरण। इन दो श्रेणियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की उपलब्धियां निम्न प्रकार रहीं:-

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(पौध लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1.	1993-94	439.00	125187.19
2.	1994-95	438.12	135000.00
3.	1995-96*	294.60	55362.36

* सितम्बर, 1995 को समाप्त हुई अवधि तक किए गए कार्य की सूचना।

यादृच्छिक नमूना जांच से पता चलता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रोपित पौधों की जीवितता दर अनुमानित: 57.5% रही।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वृक्षारोपण योजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची

1. गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार विभाग

(i) रोजगार बीमा योजना

(ii) जवाहर रोजगार योजना

(iii) सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम

(iv) मरु-विकास कार्यक्रम

2. कृषि और सहकारिता विभाग

(i) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित जलाशय प्रबंध

(ii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना

3. पर्यावरण और वन मंत्रालय

(i) समेकित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम
(ii) जलावन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम
(iii) इमारती लकड़ी से इतर वनोपज स्कीम
(iv) अनुदान सहायता स्कीम

4. बंजर भूमि विकास विभाग

(i) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम

(ii) अनुदान सहायता स्कीम।

[हिन्दी]

रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

4006. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हटिया और पटना के बीच चलने वाली गाड़ी गत तीन वर्षों से लगातार विलम्ब से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस गाड़ी को निर्धारित समय से चलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल दुर्घटनाओं, आंदोलनों, उपकरण की विफलताओं, खतरे की जंजीर खींचे जाने, शरारती गतिविधियों और खराब मौसम आदि कारणों से कभी-कभी गाड़ियों का चालन प्रभावित होता है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर गहन जांच और दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तरों पर समयपालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन योजना

4007. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान-निकोबार के लिए कृषि क्षेत्र संबंधी बजटीय आवंटन का पूर्व वर्ष में उपयोग नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बगैर खर्च की गई राशि वापस कर दी गई थी अथवा इसका अन्य क्षेत्र में उपयोग कर लिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के मामले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) से (च) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले में 1995-96 के दौरान अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह को दी गई धनराशि तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसे संघशासित क्षेत्रों के मामले में जहाँ विधान सभा नहीं है, उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि से केन्द्र सरकार के लिए बचत होती है और अप्रयुक्त धनराशि यदि कोई हो, आगामी वर्ष में उपयोग किये जाने के लिए उपलब्ध नहीं होती।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि	प्रयुक्त धनराशि
1	2	3	4
1.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	150.00	32.13
2.	राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठनों को मजबूत बनाना	10.00	4.20
3.	काजू का विकास	1.70	1.58
4.	उष्ण कटिबंधीय, शुष्क तथा समशीतोष्ण फलों का विकास	10.95	1.23
5.	मसालों का विकास	15.00	5.21
6.	सब्जी बीजों का विकास	1.50	1.06
7.	पान की बेलों का विकास	1.55	1.42
8.	देश में विस्तार प्रशिक्षण को मजबूत बनाना	35.00	17.36
9.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	1.00	0.70
10.	जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना	20.00	शून्य

1	2	3	4
11.	कृषि संगणना तथा आदान सर्वेक्षण संबंधी योजना	3.20	2.58
12.	समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास	5.00	शून्य
13.	मछुआरों का कल्याण	0.34	शून्य
	योग	255.24	67.47

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

4008. श्री मोहन रावले :
श्री बी. धर्मभिक्षम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के पुनरुद्धार करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) जो एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, नये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई), बम्बई को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और आई.डी.पी.एल. के लिए दीर्घकालीन पुनर्वास उपाय सुझाने के लिए संचालन एजेन्सी नियुक्त किया है। संचालन एजेन्सी ने अभी तक अध्ययन पूरा नहीं किया है। अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एवं उसकी जांच करने के बाद सरकार द्वारा भावी कार्रवाई तय की जाएगी।

संकर सब्जियां

4009. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् महत्वपूर्ण सब्जियों के संकर किस्म तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरु कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना द्वारा किन-किन सब्जियों को तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितना खर्च होने का अनुमान है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "सब्जी फसलों में संकर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान नेटवर्क" नामक एक परियोजना पहले ही शुरु कर दी है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत संभवत: सब्जी फसलों की निम्नलिखित किस्में/संकर किस्में विकसित की जायेंगी:

टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिण्डी, प्याज, खीरा, ककड़ी, करेला और बंदगोभी।

(ग) इस पर होने वाला अनुमानित खर्च 330.38 लाख रुपये है।

अवशिष्टों के आयातकों की सूची

4010. श्री सनत मेहता :
श्री विजय हाण्डिक :
श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" :
श्री सुशील चन्द्र :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में खतरनाक अवशिष्टों का गैर-कानूनी तरीके से नियमित रूप से आयात किया जा रहा है जिससे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को भयंकर क्षति हो रही है, जैसाकि 21 जुलाई, 1996 के "संडे टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार से पता चलता है;

(ख) क्या देश में विषैले अवशिष्टों के प्राधिकृत आयातक मात्र सात हैं जबकि सीमा शुल्क विभाग के रिकार्ड के अनुसार इनकी संख्या 151 है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 के नियम-11 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी भी देश से भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात ढेर लगाने तथा निपटान के लिए अनुमति नहीं है तथापि, प्रसंस्करण या कच्ची सामग्रियों के रूप में पुन: प्रयोग के लिए इस प्रकार के अपशिष्टों के आयात की अनुमति है। इस मंत्रालय ने इन नियमों के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्टों के सात निर्यातकों को अनुमति दी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यात की अनुमति नहीं है।

आयात लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किये जाते हैं। सभी नौभारों की निकासी इसी लाइसेंस के आधार पर की जाती है। 29 अप्रैल, 1995 तक सभी अपशिष्टों का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाता था। अप्रैल, 1995 में निर्यात-आयात नीति का संशोधन किया गया और परिसंकटमय अपशिष्टों को प्रतिबंधित सूची में रखा गया था। नीति के अनुसार आयातों की अनुमति लाइसेंस पर दी जाती है और वह भी केवल प्रसंस्करण अथवा पुनः प्रयोग के प्रयोजनार्थ। ऐसे अपशिष्टों के आयात के लिए अब लाइसेंस की अपेक्षा होगी।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा निपटाए गए परेषणों के आधार पर वास्तविक आयात संबंधी सूचना का संकलन वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

कोच जोड़ा जाना

4011. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई मेल, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जोधपुर एक्सप्रेस एवं रांची एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त गाड़ियों में कब तक अतिरिक्त कोच जोड़ दिये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंटरसिटी एक्सप्रेस

4012. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद-गुंटूर इन्टरसिटी एक्सप्रेस को बढ़ाकर मद्रास तक चलाने और गुंटूर और मद्रास के बीच इंटरसिटी रेल सेवा शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

बकाया राशि की वसूली

4013. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 1996 के "स्टेट्समैन" में "रेलवेज सीक रिकवरी ऑफ एरियरस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए शुरु किया गया "कैश-एण्ड-कैरी" तरीका अप्रभावी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) मालभाड़े के आवश्यक पूर्व-भुगतान की शर्त चुनिंदा रूप से लगाई जाती है ताकि बकाया देय-राशि के संचलन से बचा जा सके। महत्व तथा आवश्यकता की दृष्टि से यह शर्त डेसू तथा राष्ट्रीय ताप बिजली घर के बदरपुर ताप बिजली संयंत्र पर नहीं लगाई गई ताकि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की बाधारहित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, विशेषकर इन दो संगठनों पर ही बकाया देय राशि का संचय हो गया।

(ग) 1.10.1996 से बिजली घरों के लिए संचलित कोयला यातायात पर पूर्व भुगतान की शर्त लगाने का सिद्धांत रूप में अब निर्णय किया गया है ताकि और संचय से बचा जा सके। जहाँ तक लंबित बकाया देय राशि का संबंध है, उसके समापन के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल पुल

4014. **डॉ. अरविन्द शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अम्बाला के बीच स्टेशनों पर पुलों की संख्या कितनी है और रेलवे द्वारा स्टेशनों पर पुलों के निर्माण के लिए क्या मानक तैयार किए हैं;

(ख) क्या रथधारा स्टेशन पर आमतौर पर माल गाड़ियां खड़ी रहती है जिसके कारण यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इसके कारण अनेक बार रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन पर पुल का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिल्ली और अंबाला के बीच 7 स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था की गई है। प्लेटफार्मों को जोड़ने हेतु ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था के लिए उच्च स्तर के प्लेटफार्मों वाले स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) इस स्टेशन पर परिचालनिक कारणों से मालगाड़ियां कभी कभी रुकती है। इस कारण से कोई रेल दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) इस कार्य को वर्ष 1996-97 के बजट में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और इसे वर्ष 1997-98 तक पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की संयुक्त वन प्रबंधन योजना

4015. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की संयुक्त वन प्रबंधन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश की संयुक्त वन प्रबंधन योजना को स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने 31-10-1995 को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में संयुक्त वन प्रबंधन की एक व्यापक स्कीम भेजी है जिसमें उक्त स्कीम को मंजूरी देने तथा भारत सरकार के रोजगार सृजन स्कीमों के तहत अपेक्षित बजट आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत 743000 हे. के क्षेत्र को कवर करके 1995-96 से 1999-2000 तक छः वर्षों की अवधि में कुल 1965 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा 1 जून, 1990 को जारी दिशा निर्देशों के तहत निर्मित संयुक्त वन प्रबंधन स्कीमों के लिए भारत सरकार को मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं है। राज्य सरकार को पहले ही विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना सहित विभिन्न गरीबीउपशमन स्कीमों के तहत उपलब्ध बजट संसाधनों से ही जलाऊ लकड़ी, चारा और वन आधारित फलदार वृक्षों और गैर-इमारती वनोपज उगाने की स्कीम क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है।

राजीव गांधी हत्या की जांच

4016. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी हत्या के मामले में जांच के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस जांच में कितनी राशि खर्च हो चुकी है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) सामग्री एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चट्टानों का उत्खनन

4017. **श्री के. वी. सुरेन्द्रनाथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृष्णा नदी सहित देश भर में व्यापक पैमाने पर तथा अनियंत्रित ढंग से चट्टानों तथा नदी के बालू के किए जा रहे उत्खनन तथा मिट्टी हटाए जाने की जानकारी है जिससे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) खनिज रियायत प्रयोजनों के लिए चट्टानों, साधारण बालू और मृदा लघु खनिजों के उत्खनन को राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तटीय विनियमन क्षेत्र में नदियों के किनारे चट्टानों, बालू और मृदा के असीमित उत्खनन के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के उपशमन के लिए 19 फरवरी, 1991 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ समुद्र के तटीय भागों, खाड़ियों, नदी-मुखों, संकरी खाड़ियों नदियों और पश्चजलों में ऐसी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। साथ ही, जहां कहीं वन भूमि से बालू का उत्खनन और निष्कर्षण किया जाता है तो ऐसे मामलों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उपबंध और दिशा-निदेश लागू होते हैं।

सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा

4018. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों के विदेश दौरों पर हो रहे खर्च पर मितव्ययता बरतने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विदेश दौरे महंगे होते हैं और इनसे काम में रुकावट आती है। ये निर्देश जारी किए गए हैं कि विदेशी दौरों को अनिवार्य रूप से कम से कम रखा जाए। यह भी कहा गया है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब विदेश दौरों को यथासंभव टाला जाना चाहिए।

[हिन्दी]

लखनऊ-सीतापुर-बरेली खण्ड के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य

4019. श्री इलियास आज़मी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-सीतापुर-मिलानी-बरेली खण्ड की मीटर गेज के लिए अब तक आमान परिवर्तन संबंधी कार्य आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि इस संबंध में अनेक वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ख) इस कार्य में कितना समय लगने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यह अभी तक अनुमोदित योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए विगत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, इस लाइन के आमान परिवर्तन को कार्य योजना के प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया है और इसे नौवीं योजना अवधि में शुरु करने की योजना है।

नए पुल का निर्माण

4020. श्री हरिवंश सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर डिवीजन में नोनापार, भाटपार और रानी स्टेशन के बीच गंडक नदी पर रेल लाइन के गुजरने के लिए नए पुल के निर्माण हो जाने के बाद सीमेंट के सभी पुराने खंभे बेकार पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पुराने खंभों को राज्य सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का जनहित में आवागमन के लिए उन खंभों पर एक पुल का निर्माण करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव

4021. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धनबाद डिवीजन के पारसनाथ स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस-अप एवं डाउन गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जैन मतावलंबियों के इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान पर उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैकल्पिक गाड़ी सेवाओं की उपलब्धता।

[हिन्दी]

दौन्ड से मनमाड तक रेल लाइन का दोहरीकरण

4022. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दौन्ड-मनमाड सैक्शन पर रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन का दोहरीकरण कब तक किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दौन्ड-मनमाड़ रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एकल लाइन खंडों का दोहरीकरण उस समय शुरु किया जाता है जब खंड की वहन क्षमता संतृप्त हो गयी हो और अधिक माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है दौन्ड-मनमाड खंड पर मौजूदा उपलब्ध क्षमता वर्तमान स्तर के यातायात के लिए पर्याप्त है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। दौन्ड-मनमाड रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाओं में सुधार

4023. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर प्रदत यात्री सुविधाओं में सुधार और इनमें वृद्धि करने के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, ये अभ्यावेदन आसनसोल मंडल के कुछ स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था/विस्तार करने के संबंध में है।

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप आसनसोल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था पहले से की गई है। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में और विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी अपेक्षित होता है तब स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा, धनराशि की लागत उपलब्धता तथा अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर इनकी व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में निजी क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा खानपान सेवाएं उपलब्ध कराना

4024. श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) क्या इन निजी ठेकेदारों द्वारा रेल अधिकारियों की मिली भगत से खाना पकाने के लिए सरकारी बिजली के अवैध उपयोग के कारण सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच करवाने का है और यदि हां, तो यह जांच कब तक कराई जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों के लिए आवासों का निर्माण

4025. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए आवास निर्माण हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इन आवासों का निर्माण कब तक कराए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के आवासों का निर्माण कराने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के 'आदर्श मछुआरा गांव' संबंधी घटक के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य-वार मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मछुआरों के लिए घरों के निर्माण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा उनके निर्माण कार्यक्रमों के अनुसार किया जाता है और निर्माण कार्य पूरा कर लेने के पश्चात् कोष उपयोगिता प्रमाण-पत्र मंत्रालय को भेजे जाते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मंजूर किये गये 16,659 घरों में से 31 मार्च, 1996 तक लगभग 8,500 घरों का निर्माण कर लिया गया है।

(ङ) से (च) मछुआरों के लिए घरों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। इस मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् धनराशि जारी की जाती है। इस योजना के लिये बजटीय प्रावधान तथा परिव्यय की सीमा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घरों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं होगा।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दी गई धनराशि		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	150.00	40.00
2.	असम	–	19.95	–
3.	बिहार	10.00	–	–
4.	गुजरात	–	–	64.82
5.	जम्मू व कश्मीर	–	–	18.59
6.	कर्नाटक	78.70	76.02	80.00
7.	केरल	50.00	–	40.00
8.	मणिपुर	–	–	12.87
9.	मध्य प्रदेश	8.00	–	7.00
10.	उड़ीसा	8.00	25.00	–
11.	तमिलनाडु	138.53	100.00	47.29
12.	त्रिपुरा	5.60	10.27	20.00
13.	उत्तर प्रदेश	10.31	34.96	17.20
14.	पश्चिम बंगाल	–	30.00	–
15.	पाण्डिचेरी	00.23	39.26	–
16.	राजस्थान	–	–	2.00
17.	महाराष्ट्र	–	–	25.00
	योग	334.37	485.46	374.77

[अनुवाद]

प्रदूषण संबंधी अध्ययन

4026. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1996 के 'स्टेट्समैन' में 'डेल्ही टॉप्स इन पुअर पोल्यूशन मेनेजमेंट : सी आई आई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय उद्योग संघ द्वारा औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में कराए गए अध्ययन से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय उद्योग संघ ने दिल्ली में प्रदूषण के किसी विशेष स्तर का कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, सी आई आई द्वारा भारत में पर्यावरण व्यापार अवसरों का अनुमान करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा अभिनिर्धारित घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के बारे में अनुपालन स्तर का भी सी आई आई अध्ययन में उल्लेख किया गया है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मार्च, 1995 में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट के आधार पर देश के बड़े और मध्यम क्षेत्र के कुल 1551 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों में से 209 इकाइयों के पास प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे 5 उद्योग स्थित हैं। सी. आई. आई. द्वारा किए गए प्रदूषण स्तर से पता चलता है कि गुजरात में लगभग 94 प्रतिशत, तमिलनाडु में 91 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 87 प्रतिशत और राजस्थान में 85 प्रतिशत उद्योगों ने उपयुक्त उत्सर्जन और बहिस्राव उपचार सुविधाएं लगा ली हैं। पैट्रोकैमिकल सेक्टर में, शत-प्रतिशत उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपना लिए हैं।

(घ) भारतीय उद्योग संघ ने भारत में प्रदूषण स्तर पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किए हैं, परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का केवल संदर्भ एवं विश्लेषण किया है।

सुन्दरगढ़ और झारसगुडा के बीच रेल सम्पर्क

4027. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुन्दरगढ़ जिला मुख्यालय को झारसगुडा से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

वन्य जीव संरक्षण संबंधी समिति

4028. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार वन्य जीव संरक्षण संबंधी किसी समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने वन्य जीव संरक्षण हेतु अनेक सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यथा वांछित प्रत्येक सिफारिश पर टिप्पणियां समाविष्ट करके एक शपथ पत्र दायर किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पुनरीक्षा करने तथा इसके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक अंत: राज्य समिति गठित की गई है।

विवरण

वन्य जीव संरक्षण संबंधी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. प्राकृतिक संसाधनों (वन तथा वन्यजीव) के लिए पृथक मंत्रालय का सृजन।
2. भारतीय वन्य जीव-बोर्ड को सांविधिक सहायता दी जाए और प्रस्तावित प्राकृतिक संसाधन (वन तथा वन्य जीव) मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक, पर्याप्त शक्तियां, निधीयन और सचिवालय हों।
3. सभी राज्यों में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड गठित करने होंगे और उनकी नियमित बैठकें होंगी। अवैतनिक वन्यजीव वार्डन नियुक्त किये जाने होंगे।
4. भारतीय और राज्य वन सेवाओं में वन्यजीव स्कंधों का सृजन।
5. अखिल भारतीय वन सेवा और राज्य वन अधिकारियों, फारेस्टरों और वन गार्डों को वन्यजीव प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और वन्यजीव स्कंध में काम करने वाले लोगों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए।
6. एम. के. राय पर्यटन रिपोर्ट तथा सुब्रमणियन समिति रिपोर्ट के साथ-साथ इस रिपोर्ट के अनुवर्ती सुझावों का क्रियान्वयन।
7. सन् 2000 ई. तक भारत के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की 7.5 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
8. संपूर्ण भारत के पांच वन्य जीव क्षेत्र बनाना और प्रत्येक के लिए कार्य योजनाएं बनाना जिनका क्रियान्वयन क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर होगा।
9. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क से बाहर के वन्यजीवन के लिए वन्यजीव सुरक्षा स्कीमों का निर्माण।
10. गैंडा संरक्षण योजना आदि जैसे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है।
11. संरक्षित क्षेत्रों को निधियों के उपयोग के लिए अधिक स्वायत्ता दी जाए।
12. फील्ड स्टाफ के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं बनाना और अन्य कल्याणकारी उपाय करना।
13. वैज्ञानिक अनुसंधान सुधार तथा वन्यजीवन के फील्ड प्रबंधन में उसका समन्वयन।
14. शिकाररोधी उपायों में सुधार।
15. चोरी-छिपे शिकार और वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने के लिए गुप्त सूचना नेटवर्क स्थापित करना।
16. वन्य जीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी सहायता प्रणाली में सुधार।
17. विशेष अदालतें नियुक्त करके, गुप्त सूचना नेटवर्क स्थापित करके, सूचना के आदान-प्रदान, अन्य प्रवर्तन अभिकरणों को राहयोजित करके वन्यजीवों के अंगों से निर्मित वस्तुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना।
18. वन समुदायों का वन्य जीवन से संबंध को सद्भावपूर्ण बनाने हेतु कदम उठाना।
19. संवेदनशील वन्यजीव वास स्थलों पर मानव और पशुओं के टकराव को कम करने के लिए कदम उठाना।

20. संरक्षण और सामुदायिक विकास में अल्प प्रभाव पर्यटन के राजस्व को लगाना।

21. वन्यजीव वास स्थलों पर शहरीकरण और आर्थिक विकास के दबाव को कम करना।

22. वन्य जीव संरक्षण हेतु शिक्षा और जागरूकता सुधार।

23. नए वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाना।

24. वन्यजीव प्रबंधन के लिए वानिकी संबंधी कुल बजट में से न्यूनतम 15 प्रतिशत की राशि निर्धारित की जाए। वित्तीय तथा अन्य प्रकार के संसाधनों को बढ़ाना होगा।

25. वन्य जीव फील्ड कर्मचारियों का स्तर अर्द्ध सैनिक और सशस्त्र बल के कर्मियों के समान होना चाहिए।

26. इनके अतिरिक्त अध्याय 6 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम को संशोधित करने संबंधी प्रस्तावों पर ब्यौरेवार सिफारिशें हैं।

रेलवे की भूमि को पट्टे पर दिया जाना

4029. डॉ. प्रबीण चंद्र शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की भूमि का करीब 38 बीघे का एक भूखंड पांडु कालेज, गुवाहाटी को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त भूखंड का एक हिस्सा अनाधिकृत अतिक्रमण के अंतर्गत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों को हटाने तथा अतिक्रमण मुक्त भूखंड का कब्जा कालेज प्राधिकारी को देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) कालेज प्राधिकारी को उक्त भूखंड पर कब्जा कब तक दे दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 38 बीघे रेलवे भूमि असम राज्य सरकार को दी गई थी जो पांडु कालेज प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के अंतिम उद्देश्य से दी गई थी।

(ग) से (च) चूंकि प्रश्नगत रेलवे भूमि पहले ही राज्य सरकार को दी जा चुकी है इसलिए रेलवे का इससे कोई संबंध नहीं है।

खान-पान सेवा

4030. श्री येल्लैया नंदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए. पी. एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस में प्रमुख स्टेशनों/जंक्शनों पर, इन दो गाड़ियों के मार्गों पर निजी ठेकेदारों द्वारा खान-पान सेवा उपलब्ध करवाई जाती है;

(ख) क्या इन गाड़ियों में ही यात्रियों को तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए खान-पान यान नहीं लगाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार प्रमुख स्टेशनों पर खान-पान ठेका निजी ठेकेदारों की बजाय रेल विभाग को ही देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में और इन गाड़ियों में नियमित रूप से खान-पान यान लगाने के बारे में सकारात्मक निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) दोनों गाड़ियों में रसोई यान के माध्यम से खान-पान सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। ए.पी. एक्सप्रेस में रसोईयान विभागीय तौर पर तथा दक्षिण एक्सप्रेस में निजी ठेकेदार द्वारा चलाई जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सेवाओं में बाधा

4031. श्री अनिल बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा कार शैड में रेल लाइन पर पानी जमा होने के कारण पूर्व रेलवे के हावड़ा स्टेशन से छूटने वाली और हावड़ा पहुंचने वाली रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेल सेवाओं में पड़ रही बाधा के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कभी-कभी तीव्र वर्षा के समय हावड़ा यार्ड के अन्दर हावड़ा कार शैड के नजदीक, बाढ़ के कारण गाड़ियों के संचलन में बाधा उत्पन्न होती है।

(ख) इस प्रकार की असामान्य स्थितियों में पानी के जमाव को हटाने के लिए पानी के पंपों द्वारा पानी निकाल दिया जाता

है और गाड़ियों का सुचारु रूप से संचलन शुरु कर दिया जाता है।

रेल लाइन का विस्तार

4032. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने रौघाट से भिलाई इस्पात संयंत्र तक लौह अयस्कों की ढुलाई हेतु दल्ली-राजहरा रेल लाइन के रौघाट तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिव्यय तथा प्रस्तावित रेल लाइन की लम्बाई सहित इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) दल्लीराजहरा-रोघाट-जगदलपुर नई बड़ी लाइन (235 कि.मी.) के निर्माण कार्य को 3369 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर रेल बजट 1995-96 में शामिल किया गया है। दल्लीराजहरा और रोघाट के बीच (95 कि.मी.) की वास्तविक निर्माण लागत सेल वहन करेगी। सेल और अन्य पार्टियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और धन जमा कराने के बाद कार्य शुरु किया जायेगा। इस्पात मंत्रालय को बेलाडिला खान का उपयोग करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है और उन्होंने सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे और धन राशि जमा करायेंगे।

डाक्टरों का स्थानान्तरण

4033. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्हें पश्चिम रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अकारण बार-बार स्थानान्तरित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 44 (चौवालीस)

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजभाषा हेतु मशीनों का उपयोग

4034. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्जनों मशीनें जैसे कि कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि द्विभाषी बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो रोमन वर्णमाला की मशीनों पर किए गए कार्य की तुलना में देवनागरी मशीनों पर किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या विभागीय फाइलें केवल अंग्रेजी भाषा में होने के कारण देवनागरी वर्णमाला की मशीनों पर होने वाले कार्य में रुकावट उत्पन्न होती है;

(घ) यदि हां, तो देवनागरी वर्णमाला की मशीनों का समान रूप से उपयोग किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन प्रभागों/विभागों जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 10(4) और 8(4) के अंतर्गत हिन्दी का ध्यान रखने वाला विभाग अधिसूचित किया गया है, में राजभाषा में शत-प्रतिशत कार्य करने हेतु क्या कदम उठाया गया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1996 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों में प्रयोग में लाए जा रहे इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों और कंप्यूटरों की कुल संख्या का 73.3 प्रतिशत और 57.7 प्रतिशत क्रमशः द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर और कम्प्यूटर हैं। इन मशीनों पर हिन्दी में किए जा रहे काम का प्रतिशत 36.5 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी किए जाते हैं कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान है उनको अपना कार्य केवल हिन्दी में ही करना चाहिए। इसे इस विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान भी सुनिश्चित किया जाता है। जहां कहीं भी कमियाँ पाई जाती हैं, उनको संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की निगाह में लाया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे अस्पतालों द्वारा खरीद

4035. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय सामान प्रयोज्य और इलैक्ट्रानिक उपकरणों की खरीद में कोई तकनीकी विशिष्टताएं अथवा गुणवत्ता संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेलवे अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय प्रयोज्य सामानों की खरीद संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है· और

(घ) विभिन्न रेलवे अस्पतालों को उक्त मदों की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं के नाम क्या हैं जो इस कार्य के लिए पंजीकृत अथवा नियमित आपूर्तिकर्त्ता हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों पर गुणवत्ता मानकों और अन्य तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप एक सुपरिभाषित खरीद प्रणाली उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

4036. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री ए. सी. जोस :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को चलाने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की कोई नई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) शताब्दी एक्सप्रेस बैठने के स्थान वाली पूर्णतया वातानुकूलित रेलगाड़ी है और उन स्थलों के बीच चलाई गई है जहां दिन के समय इंटरसिटी किस्म का पर्याप्त यात्री यातायात हो।

राजधानी एक्सप्रेस पूर्णतया वातानुकूलित रेलगाड़ी है और राज्य की राजधानी और दिल्ली के बीच चलती है।

(ख) और (ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान निम्नानुसार राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की योजना है :-

1. नई दिल्ली-पटना बरास्ता लखनऊ (सप्ताह में दो दिन)
2. दिल्ली-अहमदाबाद लाइन के आमान परिवर्तन के बाद नई दिल्ली-अहमदाबाद (साप्ताहिक)
3. हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस बरास्ता गोवा का मार्ग परिवर्तन।

अजमेर-मेहसाणा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के बाद मद सं. 2 शुरू की जाएगी और कोंकण रेल के शुरु हो जाने और अतिरिक्त सवारी डिब्बों के निर्माण के बाद मद सं. 3 शुरु की जाएगी।

रेलगाड़ी का बढ़ाया जाना

4037. श्री टी. गोविन्दन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नुर-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस को मंगलौर तक चलाने की मांग पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई लेकिन परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

हिमगिरी एक्सप्रेस

4038. डॉ. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमगिरि एक्सप्रेस को सुपरफास्ट गाड़ी घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुपरफास्ट गाड़ी के मानदंड को पूरा नहीं करती।

[हिन्दी]

बुकिंग विंडो

4039. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों और गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोटा स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग विंडो खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा काउंटर कोटा स्टेशन पर सम्भाले जा रहे यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त हैं।

वन्य गांव

4040. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्य गांव के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति ले ली गई है;

(ख) क्या शेष गांवों को राजस्व गांव बनाने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति ले ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के 30 जिलों में 1346 वन ग्राम हैं जिनके संबंध में इन वन ग्रामों में निवासियों के पट्टों के नवीकरण के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने 216 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए 10 प्रस्ताव पहले भेजे थे, परन्तु इन पर कार्रवाई के दौरान, ये प्रस्ताव बाद में राज्य सरकार द्वारा राजस्व क्षेत्र की वन भूमि के अधिसूचित किये जाने के बजाए वन भूमि पर पट्टों के नवीकरण के बारे में प्राप्त हुए थे। संशोधित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में बदले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

रेल विद्युतीकरण

4041. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धित उत्पादकता और तेल के आयात में कटौती की उद्देश्यपूर्ति के लिए रेलवे का विद्युतीकरण आरंभ किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा रेल गाड़ियों की मरम्मत के कारण उत्पादकता लक्ष्य पूरा नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो डीज़ल और इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव की गति और खींचे जाने वाले भार का ब्यौरा क्या है;

(घ) मुंबई (सेंट्रल रेल तथा प.रे.), मद्रास (द. रे.), दिल्ली (उ.रे.), हावड़ा/सयालदा (पू.रे. तथ द.पू.रे.) में उपनगरीय लाइनों को छोड़कर मुख्य लाइनों पर विद्युतीकरण करने में कुल कितनी लागत आई है;

(ङ) क्या विद्युतीकरण परियोजनाओं का कभी कोई आर्थिक लागत लाभ विशेषण किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। विद्युतीकरण से भारतीय रेलें अधिक भार वाली गाड़ियां तेज गति से कर्षित करने और थ्रूपुट बढ़ाने में समर्थ हुई हैं। भारतीय रेलों पर मात्र 18.79% विद्युतीकृत मार्ग से वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युतकर्षण द्वारा 54.4% माल यातायात और 49% यात्री यातायात का संचलन करना संभव हुआ था।

(ग) एक स्पर्शी स्तर रेलपथ पर डीज़ल रेल इंजन डब्ल्यू डी एम-2 द्वारा कर्षित माल गाड़ी का औसत पुच्छल भार 4195 टन और संतोलन गति 60 कि.मी. प्रति घंटा है। बिजली रेल इंजन डब्ल्यू. ए. जी-7 के मामले में आंकड़े क्रमशः 5236 टन और 90 कि.मी. प्रति घंटा है।

(घ) 31.3.95 तक मुख्य लाइन के विद्युतीकरण पर किया गया कुल निवेश लगभग 2663.52 करोड़ रु. है।

(ङ) से (छ) हर विद्युतीकरण परियोजना का वित्तीय, आर्थिक और परिचालनिक पहलुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। केवल उन्हीं परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाता है जो इन संबंधों में लाभप्रद पायी जाती हैं, विद्युतीकरण के बाद वित्तीय बचतों का अभी तक विशिष्ट रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। बहरहाल, रेलों को कहा जा रहा है कि वे पूर्णतः विद्युत कर्षण अपनाने के पांच वर्ष बाद विद्युतीकृत खंडों पर उत्पादकता परीक्षण करें।

खेती के अंतर्गत भूमि

4042. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में कुल कितनी भूमि में इस समय अधिकांशतः गन्ना, कपास तथा पटसन की खेती की जाती है; और

(ख) कुल क्षेत्र में सिंचित भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1994-95 के दौरान गन्ना, कपास तथा पटसन की खेती के तहत क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ख) भूमि उपयोग सांख्यिकी, 1992-93 अद्यतन उपलब्धता के अनुसार देश में कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र 35.7 प्रतिशत है।

विवरण

1994-95 के दौरान पटसन, कपास तथा गन्ने के तहत क्षेत्र

(क्षेत्र हजार हैक्टे. में)

राज्य	कपास	जूट	गन्ना
आंध्र प्रदेश	837.1	–	209.0
असम	1.7	90.9	35.6
बिहार	0.3	122.3	123.2
गुजरात	1204.7	–	154.7
हरियाणा	557.0	–	120.0
हिमाचल प्रदेश	0.1	–	2.4
जम्मू और कश्मीर	0.1	–	0.3
कर्नाटक	643.9	–	315.2
केरल	12.3	–	5.3
मध्य प्रदेश	491.5	–	41.9
महाराष्ट्र	2759.9	–	517.5
उड़ीसा	6.6	23.7	20.3
पंजाब	606.0	–	83.0
राजस्थान	485.9	–	21.9
तमिलनाडु	295.8	–	309.3
उत्तर प्रदेश	11.1	0.4	1831.5
पश्चिम बंगाल	0.1	507.9	10.6
अन्य	10.9	5.9	10.6
अखिल भारत	7925.0	751.1	3814.8

दार्जिलिंग रेल का डीज़लीकरण

4043. श्री आर. बी. राई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जीलिंग हिमालयन रेलवे के डीज़लीकरण के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलों ने निर्णय लिया है कि पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से कुछ खंडों जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरि पर्वतीय रेलवे पर भाप कर्षण जारी रखा जाएगा। इन खंडों के डीजलीकरण के लिए पुनरीक्षण सन् 2000 के बाद किया जाएगा।

[हिन्दी]

घरेलू पर्यटकों पर प्रतिबंध

4044. कुमारी उमा भारती
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा के ग्लेशियर पर घरेलू पर्यटकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों की यात्रा की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सभी पर्यटकों को प्रवेश परमिट जारी किये जाते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

1989 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

4045. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 के दंगों के दौरान जम्मू में सिक्ख समुदाय के अनेक व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच आयोग का गठन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग की किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1989 के दंगा पीड़ितों को 1984 के दिल्ली दंगा पीड़ितों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ट्रेन ड्राइवरों को पुरस्कार

4046. श्रीमती शीला गौतम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों के दौरान रेल गाड़ियों को दुर्घटना से बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवरों को पुरस्कार देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) रेल दुर्घटनाओं को रोकने में अदम्य साहस और सजग बुद्धि का परिचय देने वाले व्यक्तियों जिसमें ड्राइवर भी शामिल होते हैं को पुरस्कृत करने की रेलवे की एक संस्थापित नीति है। जब कभी कोई ऐसा अभ्यावेदन या सूचना प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है और तथ्यों का पता लगाने के बाद पुरस्कार की स्वीकृति दी जाती है।

[अनुवाद]

विशेष कार्य बल

4047. श्री एन. डेनिस :
डा. सी. सिल्वेरा :
श्री अशोक प्रधान :
श्री ई. अहमद :
श्री सुरेश कोडीकुन्नील :
श्री वी. वी. राघवन :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री की देखरेख में दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संबंधी विशिष्ट एवं विशेष मामलों से निपटने हेतु विशेष कार्य बल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बल के निदेश पद एवं संगठनात्मक स्वरूप क्या हैं एवं कहां-कहां से कर्मी भर्ती किये जाते हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार की इस विशेष कृतिक बल में कोई भागीदारी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विशेष कार्य बल में लोगों की सीधे भागीदारी हेतु कोई मानदंड तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गम्भीर अपराधों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने का निर्णय किया गया है। इस बल को गठित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

महिला पर अत्याचार

4048. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारी निकेतन में रहने वाली उषा नामक महिला पर हुए अत्याचार के संबंध में जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को कुछ सामाजिक संगठनों/संसद सदस्यों से इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के संबंध में सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) प्रश्नगत मामले की अभी भी जांच चल रही है। श्रीमती उषा, उसके बच्चे और दो संदिग्ध व्यक्तियों के रक्त के नमूने, डी.एन.ए. परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जांच को तेजी से पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) से (च) कुछ क्षेत्रों से ऐसे सुझाव आए थे कि इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया जाए। तथापि, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है; दिल्ली पुलिस, ऐसे मामलों से निपटने में सक्षम है।

रेल परिवहन

4049. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में सीमेंट, खाद्यान्नों तथा उर्वरकों की ढुलाई खुले माल डिब्बों में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में ढुलाई की गई तथा इसके फलस्वरूप कितनी आय हुई;

(ग) क्या रेलवे को उक्त वस्तुओं के खुले मालडिब्बों में ढुलाई के दौरान हुई चोरी के फलस्वरूप आर्थिक हानि उठानी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मद के लिए कितनी राशि का दावा किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां, विभिन्न स्थानों को सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरकों की कुछ मात्रा खुले मालडिब्बों में ढोई जाती है।

(ख) खुले मालडिब्बों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। विगत दो वर्षों में पण्यवार (प्रारंभिक आधार पर) लदान और आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

पण्य	लदान (मिलियन में)		आमदनी (करोड़ रु. में)	
	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
सीमेन्ट	31.45	31.80	1119.97	1211.68
खाद्यान्न	20.72	25.81	854.90	1085.76
उर्वरक	21.47	23.24	671.70	725.32

(ग) और (घ) पण्यों की चोरी पर रेलवे द्वारा लावे की प्रतिपूर्ति के भुगतान के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा लदान के लिए बुक किए गए सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरकों की हानि/चोरी के दावे की प्रतिपूर्ति के भुगतान इस प्रकार हैं :-

पण्य	वर्ष	अदा की गई राशि (लाख रुपये में)
सीमेंट	1993-94	31.28
	1994-95	46.29
	1995-96	39.48
अनाज एवं दालें	1993-94	99.01
	1994-95	149.27
	1995-96	186.62
रासायनिक खाद	1993-94	1.72
	1994-95	13.20
	1995-96	27.88

(ङ) वार्षिक आधार पर और अधिक मालडिब्बे खरीदे जा रहे हैं। रेलें खुले मालडिब्बों में पण्यों के परिवहन के लिए 5% की छूट देती है। खुले मालडिब्बों का उपयोग करने वाली पार्टियां इन्हें तिरपाल से ढक सकती हैं और रस्सी से कस सकती हैं।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन

4050. डा. अरुण कुमार शर्मा :
डा. प्रवीन चंद्र शर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगीघोपा एवं गुवाहाटी के बीच निर्माणाधीन नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को 1996-97 में पूरा कर लिया जाएगा जैसा कि 23 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4042 के उत्तर में आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और यह कब तक चालू हो जाएगा;

(ग) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी नहीं। ब्रह्मपुत्र पुल के 17 और 18 पायों की नींव में अप्रत्याशित भूवैज्ञानी समस्याओं के कारण इस योजना को पूरा होने में कुछ विलंब हुआ है। रेलें इस कार्य के लिए धनराशि की पूरी आवश्यकता को पूरा करवाने में भी समर्थ नहीं है।

अब जोगीघोपा-गोलपाड़ा खंड सहित जोगीघोपा पुल मार्च 97 तक पूरा होने की आशा है। गोलपाड़ा से गुवाहटी तक लाइन को पूरा करने का अब लक्ष्य 1997-98 रखा गया है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कृषि क्षेत्र में प्रवेश

4051. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पाद के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ताकि किसानों का हित सुरक्षित रहे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) जी नहीं। कृषि उत्पादों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की गिरफ्तारी

4052. श्री दरबारा सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भ्रष्ट आचरण के लिए राज्य-वार भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को गिरफ्तार/निलंबित किया गया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से इन अधिकारियों के कामकाज पर और अधिक निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/एहतियात बरते गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

ठेका खानपान सेवा के कर्मचारी

4053. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ठेका खानपान सेवा के कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) महासचिव, खानपान ठेका कामगार यूनियन, केरल ने रेलवे स्टेशनों पर खानपान ठेकेदारों द्वारा तैनात कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया है।

(ग) ज्ञापन, जो अगस्त, 1996 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था, की जांच की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य बल

4054. श्रीमेती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण एवं देश में प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को रोकने हेतु समन्वित कार्य बल की स्थापना पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कार्य बल की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फरवरी, 1996 में दिल्ली में आयोजित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों और सदस्य-सचिवों के सम्मेलन के दौरान देश में प्रदूषण रोकने के लिए एक कृतक बल गठित करने की आवश्यकता को दोहराया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने प्रदूषण के उपशमन में जनता और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए एक गैर-सरकारी संगठन कक्ष खोला है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी अपने राज्यों में इसी प्रकार के कक्ष खोलने की सलाह दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर प्राथमिकता भागीदारी कार्यक्रमों के लिए एक प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र खोला गया है।
- क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विज्ञान के छात्रों को जल परीक्षण किट वितरित किये जाते हैं।
- जनता को प्रदूषण उपशमन की विभिन्न तकनीकों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "परिवेश" नामक तिमाही न्यूज-लैटर प्रकाशित किया जाता है।
- प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए सूचीबद्ध किए गए गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशनों पर रियायत दी जाती है।

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए समन्वित कृतक बल के गठन के लिए उत्प्रेरक निधि सहायता प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला

4055. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व में आतंकवाद के मुकाबले के लिए उपाय करने के संबंध में हाल ही में आयोजित प्रमुख राष्ट्रों की बैठक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक राष्ट्रों के समूह-सात और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों की पेरिस में हुई एक दिन की बैठक के द्वारा 25 व्यावहारिक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें आतंक विरोधी संकल्प और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इन्टरनेट में पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल है;

(ग) क्या भारत सरकार ने प्रमुख राष्ट्रों की बैठक की इस रिपोर्ट की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत में आतंकवाद के मुकाबले के लिए उनमें से कुछ उपायों को अपनाने का है; और

(च) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किन उपायों को अपनाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) आतंकवाद पर जी-7 मंत्रीस्तरीय सम्मेलन द्वारा जारी किए गए वक्तव्य की मुख्य बातों में अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पूर्ण वरीयता प्रदान करने हेतु इसमें भाग लेने वालों का दृढ़ निश्चय, आतंकवाद में नई प्रवृत्तियों का पूर्ण पुनरीक्षण, सरम-अल-शेक शिखर सम्मेलन के बाद रेखांकित व्यावहारिक उपायों को अपनाने के लिए सभी देशों को आमंत्रित करना और आतंकवाद को रोकने के लिए अनेक प्रकार के आन्तरिक उपाय, जैसे सभी सरकारी एजेन्सियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, आतंकवादियों पर रोक, मुकदमा चलाना और उन्हें दण्डित करने के लिए सभी राष्ट्रों को निमंत्रित करना, आतंकवादियों की व्यक्तिगत और ग्रुपों में गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त उपाय करना, आतंकवाद आदि पर सूचना में आदान-प्रदान में सुधार करने हेतु सभी देशों का आह्वान करना इत्यादि सम्मिलित है।

(ङ) और (च) 30 जुलाई, 1996 को लियो (पेरिस) में आतंकवाद पर हुए जी-7 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किए गए वक्तव्य की मुख्य बातों की भारत सरकार जांच कर रही है।

विकलांग व्यक्तियों को यात्रा में रियायत

4056. श्री एन. एस. वी. चित्तन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में अब तक कितने विकलांग व्यक्तियों को मानार्थ (कम्पलीमेंट्री) पास जारी किए गए हैं;

(ख) क्या वातानुकूलित शयनयान और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों को यात्रा रियायत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोटे के रूप में विकलांग व्यक्तियों को कोई मानार्थ पास जारी नहीं किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री सुविधाएं

4057. श्री अनंत कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां प्रतीक्षालय, रेस्टोरेंट, पीने के पानी के टॉयलेट, रिटायरिंग रूम तथा प्लेटफार्मों पर शैड उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इन स्टेशनों पर ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) पेयजल, प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, और शौचालयों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सभी स्टेशनों पर की जाती है। सुविधाएं यथा अल्पाहार गृह, विश्रामालय, और छतदार प्लेटफार्म आदि स्टेशन के महत्व, स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा और लम्बी दूरी की गाड़ियों के ठहरने, स्टेशन पर आरंभ होने तथा समाप्त होने की संख्या के अनुसार व्यवस्था की जाती है। अत: स्टेशनों पर सुविधाओं की उपलब्धता एक समान नहीं होगी। महत्वपूर्ण स्टेशनों और अधिक मात्रा में यातायात सम्हालने वाले स्टेशनों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जबकि छोटे स्टेशनों पर सापेक्षत: कम यातायात की मात्रा वाले स्टेशनों पर उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं। तथापि, यह एक सतत् प्रक्रिया है, प्रत्येक स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे सर्वेक्षण करती है और जब कभी कोई कमी पाई जाती है उसका रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में यथोचित निर्माण सम्मिलित करके किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

तथापि, रेल मंत्रालय राज्यवार ऐसी सूचना नहीं रखता है।

[हिन्दी]

मुफ्त रेलवे पास

4058. श्री विजय गोयल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रत्याशित पत्रकारों को मुफ्त रेलवे पास उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने की फसल

4059. श्री काशीराम राणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष दक्षिण गुजरात में गन्ने की फसल को बीमारी लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दक्षिण गुजरात के किसानों को राहत और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी गुजरात में 1995-96 के दौरान गन्ने की फसल विल्ट एंड रेड रॉट रोगों से प्रभावित हुई थी। इस फसल के अंतर्गत कुल 90.953 हेक्टेयर क्षेत्र में से 11.615 हेक्टेयर क्षेत्र इन रोगों से प्रभावित था।

(ग) राज्य कृषि विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विस्तार कर्मचारियों एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि किसानों को निम्नलिखित उपचारात्मक उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके :

1. स्वस्थ बीजों का उपयोग।
2. फफूंदनाशी से उपचारित बीजों का प्रयोग।
3. नम गर्म वायु से उपचारित बीजों का प्रयोग।
4. मुरझान अवरोधी किस्मों की खेती।
5. चावल तथा हरी खाद फसलों के साथ "क्रॉप रोटेशन" अपनाना।
6. रोपित फसल में रोग पाए जाने पर "रेट्निंग" से बचना।
7. रोग के आरंभिक चरणों में रोगग्रस्त पौधों को निकालना।
8. गन्ने के खेतों में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था बनाए रखना।

रोग की समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, ऊष्मा उपचार यूनिटों, ऊतक संवर्द्धन, बीज बहुगुणन कार्यक्रम आदि के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता

4060. श्री एन. जे. राठवा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु सहायतार्थ कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित स्कीमें हैं जिनके तहत गुजरात सरकार सहायता प्राप्त कर सकती है :-

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के नगरों में स्वच्छ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां और मल-जल शोधन प्रणालियां अपनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए जल उपकर की प्रतिपूर्ति।
2. प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता-प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्य सरकार और संस्थाओं की विशिष्ट प्रदूषण संबंधित परियोजनाओं और स्कीमों तथा अनुसंधान अध्ययनों के लिए सहायता अनुदान।
3. साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र।
4. विदेशी सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण स्कीमें (विश्व बैंक परियोजनाएं)।
5. पर्यावरण संपरीक्षा।
6. पर्यावरणीय सांख्यिकी और मानचित्रण।
7. छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियां।
8. राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजनाएं।

(ग) इन स्कीमों के तहत किसी भी राज्य के लिए राशि आबंटित नहीं की जाती। तथापि, गुजरात राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त की है।

बड़ी रेल लाइन

4061. श्री ताराचंद भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर और उदयपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने की योजना शुरु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रथम चरण में कौन सा कार्य शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत भविष्य में उदयपुर-अहमदाबाद वाया डुंगरपुर-हिम्मतनगर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) आवश्यक स्वीकृति और अनुमोदन, जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरु कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के बाद अजमेर और उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरु करने का विनिश्चय किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल अस्पताल, कटनी

4062. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रेल अस्पताल, कटनी में अर्थात् हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, औषधि चिकित्सक तथा महिला चिकित्सक उपलब्ध होने जैसी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं तथा छोटी-मोटी बीमारियों के रोगी भी जबलपुर भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल की हालत सुधारने तथा मेडिकल स्टॉफ द्वारा रोगियों का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टालों का आबंटन

4063. श्री छीतुभाई गामीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बुक स्टालों तथा स्वल्पाहार स्टालों की जोनवार संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने स्टाल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल लाइन का विस्तार

4064. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे के अंतर्गत तारंगा रेल लाइन का अम्बाजी तक विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

केन्द्रीय मत्स्यन अनुसंधान परियोजना

4065. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बुरला स्थित केन्द्रीय मत्स्यन अनुसंधान परियोजना को मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संस्था का स्थानान्तरण उड़ीसा के लोगों के हितों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसंधान केन्द्र को बुरला में ही रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.एफ.टी.) का बुरला केन्द्र 1963 में स्थापित किया गया था जिससे कि हीराकुंड जलाशय में मात्स्यिकी तकनीकों का विकास किया जा सके। चूंकि सी.आई.एफ.टी. की वर्ष 1986-93 तक के लिए गठित चौथी पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों के मुताबिक केन्द्र ने अपना कार्य पूरा कर लिया है इसलिए इसे मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.एफ.टी.) के बुरला केन्द्र ने 32 वर्ष से भी अधिक समय तक उड़ीसा में मात्स्यिकी का काम किया है और उड़ीसा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि संरक्षण हेतु धनराशि

4066. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को भूमि संरक्षण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार की गई प्रगति का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग विभिन्न राज्यों में मृदा संरक्षण और भूमि विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:-

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध।

(3) धारीय मृदा का सुधार।

(4) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।

(5) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची तथा वर्ष 1994-95 के दौरान निर्मुक्त निधि विवरण-I पर है। राज्यों के अलावा नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की योजना के क्रियान्वयन के लिए दामोदर घाटी निगम को सीधे ही निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग के अलावा बंजर भूमि विकास विभाग समेकित बंजर भूमि विकास नामक योजना क्रियान्वित करता है। इस योजना के अधीन शुरु किए गए कार्यकलापों में शामिल हैं:-

(1) प्राकृतिक पुनर्सृजन (2) वनरोपण और बागबाह विकास (3) बागवानी (4) ईंधन बचत युक्तियों का वितरण (5) मृदा और नमी संरक्षण (6) प्रशिक्षण और विस्तार। वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अधीन राज्यों को क्रमश: 53.00 करोड़ और 51.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। परिव्यय के 20% तक निधियां मृदा संरक्षण कार्यों पर खर्च की जा सकती हैं।

(ख) तीन योजनाओं, नामत: नदी घाटी परियोजना, बाढ़ प्रवण नदियों तथा क्षारीय मृदा के सुधार के संबंध में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्राप्त वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-II पर दी गई हैं। क्षारीय मृदाओं के सुधार की योजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों में वर्ष 1995-96 की प्रथम तिमाही के दौरान क्षारीय मृदाओं के सुधार की योजना शुरु की गई जहां वास्तविक क्षेत्र उपचार अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना तथा समेकित पनधारा विकास कार्यक्रमों के अधीन कई घटक हैं तथा मृदा संरक्षण के अधीन शामिल क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।

झूम खेती में पनधारा विकास की योजना के अधीन वानस्पतिक झाड़ियों, शुष्क भूमि, बागवानी, कृषि वानिकी और क्षरण नियंत्रण संरचनाएं जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में क्रमश: 3513 है., 1726 है. और 7380 है. क्षेत्र शामिल किया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मामले में क्षेत्रगत कार्य अभी शुरु करना है। मिजोरम और त्रिपुरा, जहां कार्य शुरु हो चुका है, के संबंध में वास्तविक उपलब्धि की अब तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य	आर.वी.पी.		एफ.पी.आर.		आर.ए.एस.		डब्ल्यू.डी.पी. एस.सी.ए.		एन.डब्ल्यू.डी.पी. आर.ए.	
		1994-95	95-96	94-95	95-96	94-95	95-96	94-95	95-96	94-95	95-96
1.	आंध्र प्रदेश	329.00	525.00	–	–	–	–	–	–	636.55	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	5.00	196.00	22.00	80.00
3.	असम	50.00	23.00	–	–	–	–	200.00	–	535.00	512.00
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	435.00	–
5.	गुजरात	259.00	299.00	–	–	–	200.80	–	–	1073.94	–
6.	हरियाणा	–	–	90.00	138.00	170.00	157.00	–	–	–	55.00
7.	हिमाचल प्रदेश	553.00	546.00	307.50	219.00	–	–	–	–	575.00	265.00
8.	जम्मू व कश्मीर	236.00	358.52	–	–	–	–	–	–	–	118.00
9.	कर्नाटक	604.00	767.00	–	–	–	–	–	–	1524.81	467.00
10.	केरल	55.00	211.00	–	–	–	–	–	–	180.00	–
11.	मध्य प्रदेश	1061.50	478.00	469.00	230.00	–	163.50	–	–	500.00	1977.00
12.	महाराष्ट्र	700.00	727.00	–	–	–	–	–	–	3100.00	3290.00
13.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	309.17	500.00	80.00	75.00
14.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	151.00	–	-	55.00
15.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	262.13	300.00	319.77	–
16.	नागालैण्ड	–	–	–	–		–	346.20	470.00	250.00	–
17.	उड़ीसा	326.00	140.00	–	–	–	–	–	–	1250.00	1580.00
18.	पंजाब	20.00	–	50.00	50.00	225.00	249.00	–	–	115.00	–
19.	राजस्थान	660.00	694.00	719.00	957.00	–	26.60	–	–	1900.00	2855.00
20.	सिक्किम	–	240.00	–	–	–	–	–	–	110.00	10.00
21.	तमिलनाडु	337.00	522.00	–	–	–	–	–	–	700.00	420.00
22.	त्रिपुरा	–	–		–	–	–	50.31	134.00	95.00	–
23.	उत्तर प्रदेश	437.00	453.48	1251.50	1445.00	393.00	183.07	–	–	2295.00	2215.00
24.	पश्चिम बंगाल	200.00	264.00	103.00	101.00	–	–	–	–	400.00	1157.00
25.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.00
	दामोदर घाटी निगम	350.00	400.00								

आर वी पी - नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

एफ पी आर - बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध

आर ए एस - क्षारी मृदाओं का सुधार

डब्ल्यू डी पी एस सी ए - झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना

एन डब्ल्यू डी पी आर ए - वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

विवरण-II

(क्षेत्र हजार में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आर.वी.पी.		एफ.पी.आर.		आर.ए.एस.	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	8.25	13.84				
2.	असम	0.67	0.61				
3.	गुजरात	9.62	8.53				उपलब्ध नहीं
4.	हरियाणा			3.28	4.01	15.20	9.92
5.	हिमाचल प्रदेश	8.30	8.97	6.12	5.16		
6.	जम्मू व कश्मीर	4.77	3.84				
7.	कर्नाटक	27.50	27.65				
8.	केरल	1.52	0.56				
9.	मध्य प्रदेश	14.53	5.19	6.45	3.54		उपलब्ध नहीं
10.	महाराष्ट्र	3.30	19.47				
11.	उड़ीसा	5.50	1.02				
12.	पंजाब	उप. नहीं		0.13	1.41	23.60	17.90
13.	राजस्थान	16.47	14.92	20.40	23.19		उपलब्ध नहीं
14.	सिक्किम		0.80				
15.	तमिलनाडु	7.82	7.01				
16.	उत्तर प्रदेश	6.54	5.54	42.97	46.57	10.18	18.66
17.	पश्चिम बंगाल	10.90	1.20	1.47	0.63		
18.	दामोदर घाटी निगम	17.49	12.20				

आर.वी.पी. - नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

एफ.पी.आर. - बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध

आर.ए.एस. - क्षारीय मृदाओं का सुधार

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

4067. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली और अनुपयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ग) ऐसी भूमि को कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा शुरु किए गए अनेक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य को कार्यक्रमवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भू-उपयोग सांख्यिकी,

1992-93 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार देश में 28 मिलियन हैक्टेयर (कुल सूचित क्षेत्र का 9.2%) कृष्य क्षेत्र है, जिसमें पुरानी परती भूमि, कृष्य बंजर भूमि तथा विविध चाय फसलों तथा उपवनों के अन्तर्गत आने वाली भूमि शामिल है।

(ग) और (घ) क्षारीय मृदा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान क्षेत्र के सुधार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	क्षेत्र सुधार (हजार हैक्टेयर)	1995-96 के दौरान जारी धनराशि (लाख रुपये)
हरियाणा	9.92	157.00
पंजाब	17.90	249.00
उत्तर प्रदेश	18.66	183.07
गुजरात	2.20 (लक्ष्य)	200.80
मध्य प्रदेश	8.04 (लक्ष्य)	183.50
राजस्थान	2.00 (लक्ष्य)	26.60

उपर्युक्त के अलावा, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त क्षारीय भूमि सुधार संबंधी परियोजना तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त एक अन्य परियोजना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्षारीय भूमि का सुधार एवं विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत सुधार किए गए क्षेत्र तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है :

परियोजना	राज्य	सुधार किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	उत्तर प्रदेश	3163	17.39
	बिहार	290	3.71
विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश	10332	34.69

[हिन्दी]

रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति

4068. डा. एम. जगन्नाथ, : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में जोनल तथा डिवीजनल स्तर पर रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति को भंग कर दिया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड उक्त समिति को अविलंब पुनर्गठित करने हेतु कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इन समितियों की 1.10.96 से दो वर्षों के लिए पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

प्रतीक्षालयों का किराया

4069. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों में यात्रियों के ठहरने हेतु क्या नियम बनाये गये हैं;

(ख) क्या उपलब्ध सुविधाओं के अलावा कोई और सुविधा दिये बिना शिमला रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय का किराया प्रभार दो गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष सदाशयी यात्रियों द्वारा जावक गाड़ियों या आवक गाड़ियों की प्रतीक्षा करने तथा अगली गाड़ी पकड़ने के लिए अल्पावधि के उपयोग हेतु होते हैं।

(ख) और (ग) प्रतीक्षालयों में प्रतीक्षा के लिए कोई प्रभार नहीं लिये जाते हैं। बहरहाल शिमला में सुधार करने और अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के पश्चात् विश्रामालयों के प्रभारों में वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

कैप्टोप्रिल की कीमत

4070. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स केलाईट द्वारा कैप्टोप्रिल की दस टैबलेट छब्बीस रुपये में बेची जा रही हैं और यदि हां, तो बी.आई.सी.पी. द्वारा वर्ष 1995 में इस पैक के लिए कितनी कीमत की सिफारिश की गई थी;

(ख) बी. आई. सी. पी. द्वारा उक्त सिफारिश कौन सी तिथि को की गई थी और उस पर अमल नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए घोषित मूल्य नियंत्रण आदेश का प्रयोग उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया;

(घ) वर्ष 1994 95 तथा 1995-96 के दौरान बी. आई. सी. पी. द्वारा प्रेषित उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर चार महीनों के अंदर अमल नहीं किया गया और इसमें शामिल किए गए उत्पादों और कम्पनियों के नाम क्या हैं और क्या उनमें से सभी उत्पादों का मूल्य कम किए जाने की सिफारिश की गई थी; और

(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा विलंब के लिए दोषी अफसरों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) और (ख) डी. पी. सी.ओ., 1995 के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के अधीन लाई गई औषधों में से एक कैप्टोप्रिल पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों के संबंध में डी. पी. आर. सी. उप-समिति को सर्वप्रथम 26-10-95 को सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। प्रपुंज औषध कैप्टोप्रिल के अधिसूचित मूल्य की अनुपस्थिति में, समिति को उपलब्ध डी.जी.एच.एस. आंकड़ों के आधार पर इन मूल्यों की स्वत: आधार पर गणना की गई थी। इसी दौरान कैप्टोप्रिल के मूल्य अध्ययन के लिए कदम उठाये गये थे। जबकि सामान्य रूप से अधिसूचित मूल्य, मूल्य नियतन का आधार बनाते हैं, डी जी एच एस आंकड़ों पर आधारित सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की गई थी और इन सूत्रयोगों के मूल्यों की 3-4-96 के बाद प्रपुंज औषध के अधिसूचित मूल्य के आधार पर पुन: गणना की गई थी। सूत्रयोग मूल्यों को 23-8-96 को जारी किया गया है।

(ग) और (घ) इसी आधार पर, अन्य प्रपुंज औषधों जैसे कि सिप्रोफ्लोसासिन, सेफाड्रोसाइल, पेंटोआक्साइलिन, लाइनेस्ट्रोल पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों को घोषित नहीं किया गया था। यह विवेकशील निर्णय था और इससे कोई देरी नहीं हुई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पत्थरों का उत्खनन

4071. श्री शिवराज सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषत: शिवपुरी जिले में केन्द्र सरकार की पर्यावरणीय तथा वानिकी संबंधी स्वीकृति के बिना ही कई एकड़ भूमि पत्थरों के उत्खनन हेतु पट्टे पर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण कई हरे-भरे वृक्ष भी काटे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 930.734 हेक्टेयर वन भूमि में 15 पत्थर खानों का एक प्रस्ताव भेजा है। ऊपर बताए गए प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत औपचारिक अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इस मंत्रालय द्वारा वन क्षेत्र पर खनन के लिए समय-समय पर अस्थायी अनुमति दी जाती है, जो कि पहले ही चल रहा था। नए वन क्षेत्र पर खनन के लिए इस अस्थायी अनुमति के दौरान जो कि 30.6.96 को समाप्त हो चुकी है मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है।

वन्यजीव

4072. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से वन्य जीवों का शिकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रतिबंधित है;

(ख) सरकार द्वारा इन जीवों के संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से इस आशय के आग्रह प्राप्त हुए हैं कि नीलगायों, बंदरों तथा हाथियों द्वारा जान तथा फसल को पहुंचाये जाने वाली क्षति के कारण इस सूची से बाहर किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में शामिल सभी वन्य जीवों को मारना, उक्त अधिनियम की धारा-11 और 12 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजनों को छोड़कर, प्रतिबंधित है।

(ख) इन पशुओं के परिरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी. हां।

(घ) राज्य सरकारों को लोगों के जीवन और फसलों की सुरक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले पशुओं से निपटने के

लिए अधिनियम की धारा-11 (i) (क) और (ख) के तहत कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

विवरण

वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 तक में शामिल वन्य जीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

(ii) बाघों, हाथियों और गैंडों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं।

(iii) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 441 वन्यजीव अभयारण्य और 80 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) वन्य जीव प्राधिकारियों के पास जब भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बारे में सूचना पहुंचती है, वे छापे मारते हैं।

(v) संकटापन्न जीव प्रजातियों, उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत नियंत्रित किया जाता है।

(vi) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए देश के अधिकांश मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(vii) पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्त: विभागीय समन्वय में वृद्धि की गई है। इन सभी संगठनों के लिए 1995 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में वन्य जीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बे का रद्द किया जाना

4073. श्री के. एस. रायुडू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सवारी डिब्बा जो नरसापुर से विजयवाड़ा तक आता है और जिसे विजयवाड़ा में हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस में जोड़ दिया जाता है, रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पुन: जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य जीवों की संख्या

4074. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
श्री सोहनबीर :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीवों की गत तीन बार हुई गणना के अनुसार देश में वन्य जीवों की मुख्य प्रजातियों में से प्रत्येक की राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों सहित राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस संबंध में कठोर कानून के बावजूद भी इन जीवों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन जीवों के संरक्षण हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) राज्यों द्वारा कुछ प्रमुख संकटापन्न प्रजातियों की गणना चार सालों में और कुछ महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में दो सालों में एक बार की जाती है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीवों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। बाघ और गैंडे की आबादी में कुछ कमी हुई है। इनकी आबादी में कमी का कारण वास स्थलों को नष्ट करना और अवैध व्यापार हेतु चोरी-छिपे शिकार करना है।

(घ) वन्य जीवों की आबादी के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना। बाघ, हाथी, गैंडे इत्यादि जैसी संकटापन्न प्रजातियों के लिए विशेष परियोजनाओं को कार्यान्वित करना। अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार का नियंत्रण करना, तथा उपलब्ध संसाधनों के भीतर विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में शिकाररोधी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ 1989-1993		हाथी 1989-1993		शेर 1990-1995		गैंडा 1989-1993		तेंदुआ 1989-1993		बारहसिंघा 1992-1995	
				न्यूनतम	अधिकतम								
1.	दक्षिणी राज्य	632	656	6750 से 8850	12,300 से 15,500	–		–		706	761	–	
2.	दादर और नागर हवेली	–	–	–	–	–		–		10	15	–	
3.	गोआ	2	3	–	–	–		–		18	31	–	
4.	बिहार	157	137	335	500 से 600	–		–		134	203	–	
5.	मिजोरम	18	28	–	–	–		–		38	49	–	
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–		–		199	821	–	
7.	उड़ीसा	243	226	1300 से 2000	1500 से 2000	–		–		279	373	–	
8.	राजस्थान	99	64	–	–	–		–		461	475	–	
9.	गुजरात	9	5	–	–	284	304	–		702	772	–	
10.	महाराष्ट्र	117	276	–	–	–		–		580	417	–	
11.	हरियाणा	–	–	–	–	–		–		19	25	–	
12.	मेघालय	34	53	2750 से 3825	2500 से 3000	–		–		–	–	–	
13.	उत्तर प्रदेश	735	465	725 से 975	750 से 1000	–		9	12	1095	711	–	
14.	अरुणाचल प्रदेश	135	180	2000 से 4300	2000 से 3000	–		–	–	121	98	–	
15.	मध्य प्रदेश	985	912	–	–	–		–	–	2036	1700	–	
16.	पश्चिम बंगाल	353	335	155	155 से 200	–		39	44	108	108	–	
17.	असम	376	325	*3500	5000 से 6000	–		1543	1440	123	246	–	
18.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–		–		37	18	–	
19.	नागालैंड	104	83	–	–	–		–		72	–	–	
20.	सिक्किम	4	2	–	–	–		–		1	–	–	
21.	मणिपुर	31	–	–	–	–		–		–	–	62	152
22.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–		–		4	–	–	

* नागालैंड के हाथियों की आबादी भी शामिल है।

[हिन्दी]

तटीय जोन प्रबंध योजना

4075. डा. जी. आर. सरोदे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों से तटीय जोन प्रबंध योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसी योजना तैयार की है तथा केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजा है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त योजना की जांच के लिए केन्द्र सरकार ने कोई उपसमिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सभी तटीय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है कि वे तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार तटीय प्रबंध योजनाएं तैयार करें।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दमन और दीव, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।

(ग) से (ङ) सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र प्रबंध योजनाओं की संवीक्षा के लिए एक कृत्यक बल गठित किया है जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के प्रतिनिधि, संबंधित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यावरण सचिव, विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञ, व्यक्ति तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सरकार अब तटीय क्षेत्र विनियम अधिसूचना का. आ. 114(ई) दिनांक 19 फरवरी, 1991 की अपेक्षाओं और शर्तों के अनुसार योजनाओं पर कार्रवाई कर रही है। संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी की योजना को पहले ही संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु धनराशि

4076. श्री सनत मेहता : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार प्रदूषण नियंत्रण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक योजना पर वास्तविक रूप से कितना खर्च आया है;

(ख) वे कौन सी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत निधियों का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, 1995-96 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए नियत निधियां और किया गया वास्तविक व्यय निम्नलिखित प्रकार से है :

(लाख रुपये)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 1995-96		वास्तविक व्यय	
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	आयोजना	आयोजना-भिन्न
1	2	3	4	5	6
1.	के.प्र.नि.बो. को सहायतानुदान	373.00	460.00	373.00	465.00
2.	संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षे. प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जल उपकर की प्रतिपूर्ति	–	2500.00	–	3500.00
3.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता रा.प्र.नि.बो./सं. रा.क्षे.प्र.नि.सं./राज्यों/संस्थाओं को विशिष्ट स्कीमों आदि के लिए सहायतानुदान	182.00	–	137.00	–

1	2	3	4	5	6
4.	पर्यावरणीय निगरानी इकाई (मुख्यालय) और अभिकरण स्कीम के तहत आगरा वैध-शाला को जारी रखना	5.43	–	6.81	–
5.	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र का संवर्द्धन-विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमें-सहायता अनुदान	300.00	–	3.55	–
6.	प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमें (विश्व बैंक)-सहायतानुदान	135.00	–	100.01	–
7.	पर्यावरणीय संपरीक्षा	10.00	–	10.00	–
8.	पर्यावरणीय आंकड़े और मानचित्रण	10.00	–	10.00	–
9.	लघु उद्योगों की अनुकूल प्रौद्योगिकियां	10.00	–	10.00	–
10.	गंगा कार्य योजना चरण-1	3500.00	–	1228.15	–
11.	गंगा कार्य योजना चरण-2	3200.00	–	1441.67	–
12.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजनाएं	1200.00	–	1570.40	–

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदान की गई निधियां निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बजट अनुमान 1996-97 (लाख रुपये)	
		आयोजना	आयोजना-भिन्न
1	2	3	4
1.	के.प्र.नि.बो. को सहायतानुदान	475.00	488.00
2.	संबंधित रा.प्र.नि.बो./सं.रा. क्षे.प्र.नि.स. को जल उपकर की प्रतिपूर्ति	–	3825.00
3.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता, विशिष्ट अध्ययनों आदि के लिए रा.प्र.नि.बो./ सं.रा.क्षे.प्र.नि.सं./राज्यों/ संस्थाओं को सहायतानुदान	130.00	–
4.	पर्यावरणीय निगरानी इकाई (मुख्यालय) और अभिकरण स्कीम के तहत आगरा वेधशाला को जारी रखा जाना	6.50	–
5.	साझा बहिस्राव शोध संयंत्रों का संवर्द्धन-विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमें-सहायता अनुदान	300.00	–
6.	प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं- विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमें-सहायता अनुदान (विश्व बैंक)	1400.00	–
7.	पर्यावरणीय संपरीक्षा	10.00	–

1	2	3	4
8.	पर्यावरणीय आंकड़े और मानचित्रण	10.00	–
9.	लघु उद्योगों की अनुकूल प्रौद्योगिकियां	10.00	–
10.	गंगा कार्य योजना चरण-1	2200.00	–
11.	गंगा कार्य योजना चरण-2	7000.00	–
12.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजनाएं	1400.00	–

(ग) से (ङ) कुछ स्कीमों में निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं हुआ है। इसके मुख्य कारण हैं:-राज्य सरकारों द्वारा बराबर की राशि धीमी गति से जारी करना, बाह्य निधीयन अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी में विलंब, प्राप्तकर्ता अभिकर्ताओं द्वारा उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब, अवैध कब्जे/मलजल शोधन संयंत्र-स्थलों का उपलब्ध न होना, मुकद्में और लाभ प्राप्तकर्ता अभिकरणों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब।

केन्द्रीय सरकार गहराई से कार्य निष्पादन की मानीटरी कर रही है। राज्य सरकारों तथा क्रियान्वयी अभिकरणों के बीच विचार-विमर्श को तेज किया गया है।

श्रीलंका के शरणार्थी

4077.श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से तमिल बोलने वाले कुल कितने शरणार्थी इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत आये हैं;

(ख) क्या सरकार ने शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए तमिलनाडु सरकार को कोई विशेष धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों के पूर्ववृत्तों को सत्यापित करने के लिए राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन शरणार्थियों को वापस भेजने के संबंध में यह मामला श्रीलंका सरकार के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार फरवरी, 1996 से लेकर कुल 963 श्रीलंकाई तमिल राज्य में पहुंचे हैं।

(ख) शरणार्थी शिविरों में रखे गए श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने पर आने वाले खर्च के लिए तमिलनाडु सरकार को संस्वीकृति पहले ही जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार को पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि शरणार्थी शिविरों में प्रवेश देने से पहले श्रीलंकाई शरणार्थियों से पूछताछ और उनकी जांच-पड़ताल करें।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार वास्तविक श्रीलंकाई शरणार्थियों को, बिना बल प्रयोग के, स्वैच्छिक आधार पर, श्रीलंकाई सरकार के साथ परामर्श करके, उनके मूल देश वापज भेज दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर नियंत्रण

4078.श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अक्तूबर, 95 में मिस्र के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अक्तूबर, 1995 में प्रधान मंत्री की मिस्र अरब गणराज्य की यात्रा के दौरान समस्त प्रकार के आपराधिक कृत्यों खासतौर से आतंकवादियों से जुड़े, राष्ट्रपारीय एवं संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय/सहयोग विकसित करना जिससे आतंकवाद एवं संगठित अपराध के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

इस समझौते का लक्ष्य आतंकवादी गिरोहों के क्रियाकलापों एवं अपराधों, उनकी सदस्यता, नेतृत्व, अवस्थिति तथा उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले धन एवं हथियारों के साधनों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करना है। यह प्रस्ताव भी है कि आतंकवादी-विरोधी संगठनों के विभिन्न तौर-तरीकों के बारे में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अनुभव से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान किया जाए। इसके अलावा दोनों देश राष्ट्रपारीय संगठित अपराध से मुकाबला करने वाली एजेंसियों के बारे में आधुनिक तौर-तरीकों और तकनीकों से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करने की स्थिति में भी होंगे। धन की तस्करी, पुरानी दुर्लभ

वस्तुओं एवं कलात्मक सामग्री की तस्करी तथा वाहनों के अवैध विपणन जैसे अपराधों और दोषों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त उपायों से संबंधित आंकड़ों की जांच भी की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी रियायत

4079. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अर्हता को कम करके साठ वर्ष करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालन की कीमतों में बढ़ोत्तरी और संसाधनों की तंगी के कारण निर्धारित आयु को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक कम करके रेलवे का रियायतों में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे भर्ती बोर्ड

4080. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भर्ती पटना ने वाणिज्यिक लिपिकों, कार्यालय लिपिकों और टिकट कलैक्टर आदि के पदों के लिए अपने विज्ञापन संख्या आर.आर.बी.पी.ए.टी. 2-90-91 के द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे;

(ख) क्या चुने गए अधिकांश उम्मीदवारों को 1992 से आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का कब तक इन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) विभिन्न रेल इकाइयों में कार्य के संकुचन, पदों के अध्यर्पण और बहुत से कर्मचारियों को फालतू घोषित किये जाने के कारण जिन्हें उन कोटियों सहित जिनके लिए चयन किया गया था, वैकल्पिक कोटियों में पुनः तैनात करना शामिल है। इसे देखते हुए, नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए लक्ष्य-तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

कंप्यूटरीकृत क्लोज सर्किट

4081. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का अनेक जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत क्लोज सर्किट्स लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंप्यूटरीकृत क्लोज सर्किट्स को लगाने का क्या प्रयोजन है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी हां। रेलें पार्सलों की चोरी और रेल उपयोगकर्त्ताओं द्वारा बुक किए गए सामान तथा अन्य रेल सम्पत्ति की चोरी रोकने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों, यार्डों, माल शेडों, पार्सल कार्यालयों और कारखानों, जो अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हैं, में कम्प्यूटरीकृत क्लोज सर्किट टी.वी. स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वित्तीय निहितार्थ और प्रणाली की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की व्यवहारिकता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

स्थानीय गाड़ियों को ठहराना

4082. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेल के कोचगढ़ा स्टेशन (टेलो और चन्दपुरा के बीच) पर स्थानीय गाड़ियों का ठहराना बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लोगों को रेल सेवा से वंचित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त स्टेशन पर स्थानीय गाड़ियों का ठहराव शुरु करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) कोचगढ़ा स्टेशन को कम यातायात होने के कारण 28.1.1970 से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

''स्टाप-लाइन आप्रेशन''

4083. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में ''आप्रेशन स्टाप लाइन'' अभियान शुरु किया था;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में विभिन्न स्थानों पर स्टाप लाइन (ठहराव रेखा) का उल्लंघन करते कितने वाहन पकड़े गए;

(ग) वाहनों के दोषी चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) आम यातायात पर इस अभियान के असर के बारे में सरकार द्वारा क्या आंकलन किया गया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। अभियान 1.4.1996 से चलाया गया था।

(ख) 1.4.1996 से 22.8.1996 तक की अवधि के दौरान ''स्टाप लाईन'' का उल्लंघन करते हुए 13056 वाहन पाये गये थे।

(ग) दोषी चालकों को दिल्ली मोटर वाहन नियम के नियम 113 (1)/177 के अधीन कार्यवाही की गयी है।

(घ) अभियान न केवल दण्डात्मक था बल्कि शिक्षाप्रद भी था। सड़क का प्रयोग करने वालों में यातायत की बेहतर सूझबूझ को बढ़ावा देने में ऐसे अभियानों से मदद मिलती है।

भारतीय आपूर्ति और निरीक्षण संवर्ग सेवा

4084. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भारतीय आपूर्ति और निरीक्षण संवर्ग सेवा बनाए जाने का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा उक्त संवर्ग के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस सेवा का सृजन संविदा प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किया गया था और यदि हां, तो मंत्रालय में इन्हीं कार्यों की जिम्मेदारी अन्य संवर्ग सेवाओं के अधिकारियों को सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय द्वारा कोई क्रय नीति बनाई गई है;

(च) यदि हां, तो क्रय नीति के दिशा-निर्देश न होने के कारण कंपनियों द्वारा संविदान के निष्पादन में असफल रहने पर सरकार के हित की रक्षा किस प्रकार की जाती है;

(छ) क्या ऐसा कोई मामला हुआ है जिसमें रेल विभाग चूककर्ता कंपनी से जोखिम क्रय घाटे की वसूली कर सका है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) श्रीमान् ऐसा कोई संवर्ग मौजूद नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) यदि फर्म संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करती है तो जिन क्रिया विधियों के माध्यम से सरकार के हित की रक्षा की जाती है, वे इस प्रकार हैं:

1. परिनिर्धारित नुकसानियाँ, निषेधात्मक खंडों जैसे दंड संबंधी खंड लागू करना।
2. जोखिम खरीद कार्रवाई के कारण वित्तीय हानि की वसूली।
3. प्रतिभूति निक्षेप/बैंक गारंटी को जब्त करना।

(छ) जी हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रांची और कलकत्ता के बीच दैनिक रेलगाड़ी

4085. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची और कलकत्ता के बीच इस समय सप्ताह में तीन दिन चलने वाली रेलगाड़ी को रोजाना चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 8015/8016 हटिया/रांची हावड़ा एक्सप्रेस पहले ही एक दैनिक गाड़ी के रूप में चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल ब्यूरो जेनेटिक केन्द्रों के लिए निधि

4086. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने आई.सी.ए.आर. के विभिन्न राष्ट्रीय ब्यूरो को संग्रहण केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक राज्य सरकारों को राज्यवार कितना आबंटन किया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपभोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश को और धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भा.कृ.अ.प. के विभिन्न राष्ट्रीय ब्यूरो के संग्रह केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 11.42 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। इसका पृथक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रतिवर्ष उनको कोष प्रदान किया जाता है।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन का राज्यवार ब्यौरा/वर्ष 1995-96 के दौरान किया गया खर्च

राष्ट्रीय ब्यूरो के नाम	स्थान	राज्य	योजनाबद्ध/आवंटन वर्ष (लाख रुपये में)
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	401.38
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का केन्द्र	भौवाली	उत्तर प्रदेश	23.21
-वही-	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	18.53
-वही-	अकोला	महाराष्ट्र	24.19
-वही-	कटक	उड़ीसा	67.04
-वही-	जोधपुर	राजस्थान	14.17
-वही-	शिलांग	ऊ.पू.प. क्षेत्र	34.46
-वही-	शिमला	हिमाचल प्रदेश	20.12
-वही-	रांची	बिहार	11.78
-वही-	त्रिचूर	केरल	22.42
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर	महाराष्ट्र	304.21
राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान के साथ समेकित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	करनाल	हरियाणा	200.00
कुल			1141.51

[अनुवाद]

सिगनल सेवाएं

4087. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मुख्य रेल मार्गों पर सिगनल सेवाओं में सुधार लाने के लिए ''सोलिड स्टेट इंटरलाकिंग'' लागू करके कोई कार्यक्रम शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली से रेलगाड़ियों को किस हद तक पूर्ण सुरक्षा मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) सालिड स्टेट अंतर्पाशन प्रणाली एक माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित अंतर्पाशन प्रणाली है। रेलों पर यह नई प्रणाली पहले ही 7 स्टेशनों पर स्थापित की जा चुकी है और 43 स्टेशनों के लिए खरीद की कार्रवाई चल रही है।

(ग) सालिड स्टेट अंतर्पाशन उप प्रणाली सिद्ध प्रौद्योगिकी पर आधारित है और चूक रहित है। यह अपने कार्यकरण के दौरान गाड़ियों को पूर्ण संरक्षा प्रदान करती है।

डेरी फार्मिंग कोआपरेटिव

4088. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे शहरी क्षेत्रों में डेरी फार्मिंग कोआपरेटिव सोसाइटी खोलने का कार्यक्रम है जहां ये विद्यमान नहीं हैं ताकि इन क्षेत्रों में दूध और डेरी उत्पादों की उचित मूल्य पर आपूर्ति की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अलग से निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सरकार का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन तथा उन्हें शहरी उपभोक्ता केन्द्रों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना है। ऑपरेशन फ्लड के अधीन देश भर में मार्च, 1996 तक लगभग 73,000 ग्राम्य स्तर की सहकारी समितियां स्थापित की गई तथा लगभग 700 शहरी विपणन केन्द्रों के साथ उनका सम्पर्क स्थापित किया गया।

टिकटों के आरक्षण के संबंध में शिकायतें

4089. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कर्नाटक के बंगलौर तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए रेलवे बोर्ड का एक विशेष दस्ता गठित करने का कोई विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कुछ शिकायतें नोटिस में आई हैं।

(ख) रेल मंत्रालय में केन्द्रीय टिकट जांच दस्ता और विशेष सतर्कता दस्ता पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जो स्टेशनों और गाड़ियों में जांच करते हैं, साथ-साथ आरक्षणों में कदाचार के मामलों का पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षण कार्यालयों में कदाचार का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर भी वाणिज्यिक और सतर्कता दोनों संगठनों द्वारा जांच की जाती है। इन प्रबंधों को पर्याप्त समझा जाता है।

तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस की गतिसीमा में वृद्धि

4090. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों द्वारा उनके मंत्रालय से तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस में ए.सी. शयनयान लगाने और इसकी गतिसीमा में वृद्धि करने के संबंध में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। इस संबंध में कुछ मांगे प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) 1996-97 के दौरान 3141/3142 तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस में एक द्वितीय श्रेणी के वातानुकूल शयनायान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, पद्रिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल इस गाड़ी की गति बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे क्वार्टरों पर अनाधिकृत लोगों का कब्जा

4091. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में रेलवे क्वार्टर आबंटियों के बजाय अनाधिकृत लोगों के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ध्वनि प्रदूषण

4092. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन, हृदय गति में तेजी, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, मांस-पेशी में खिंचाव और शारीरिक क्षमता में ह्रास होता है; और

(ख) यदि हां, तो ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अत्यधिक शोर से स्थायी अथवा अस्थायी बधिरता और शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं जो शोर की तीव्रता और उसके बीच रहने की अवधि पर निर्भर करते हैं।

(ख) ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ध्वनि प्रदूषण को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में शामिल किया गया है। विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्रों) के लिए ध्वनि से संबंधित परिवेशी मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किये गये हैं।
- वाहनों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए विनिर्माण स्तर पर ध्वनि सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों और वाहनों से इतर स्रोतों से होने वाले शोर को स्रोत पर ही नियंत्रित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई है।
- आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवा जाही को नियंत्रित करने तथा उद्योगों को अलग करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बे

4093. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर पश्चिम रेलवे में चल रही रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बे पुराने हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके स्थान पर नये तथा अच्छे सवारी डिब्बे बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी नहीं। देश में पश्चिमी रेलवे सहित गाड़ियों में कोई पुराना डिब्बा नहीं चलाया जा रहा है। सवारी डिब्बे की उपयोगी आयु लगभग 25 वर्ष है। अत: किसी भी समय में गाड़ियों में विभिन्न आयु के सवारी डिब्बे सुरक्षित ढंग से चल रहे हैं। जैसे ही सवारी डिब्बे का अनुरक्षण गैर किफायती हो जाता है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाता है और उनके बदले में नये सवारी डिब्बे लगा दिये जाते हैं।

रेल लाइन बिछाना

4094. श्री पी. कोदंड रमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चित्रदुर्ग तथा रायदुर्ग के बीच रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बे समय से लंबित रेल लाइन का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई लाइन का निर्माण कार्य पहले

ही पूरा हो चुका है और इसे 31.8.94 को यातायत के लिए खोल दिया गया है।

रौघाट से जगदलपुर तक रेल सम्पर्क

4095. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला से भिलाई तक लौह-अयस्क की ढुलाई के लिए रेलवे लाइन के विस्तार के लिए रौघाट से जगदलपुर को जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) दल्लीराजहरा-रौघाट-जगदलपुर नई बड़ी लाइन (235 कि.मी.) के निर्माण कार्य को 369 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर रेल बजट 1995-96 में शामिल किया गया है। दल्लीराजहरा और रौघाट के बीच (95 कि.मी.) की वास्तविक निर्माण लागत सेल वहन करेगी। सेल और अन्य पार्टियों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और धन जमा कराने के बाद कार्य शुरु किया जायेगा। इस्पात मंत्रालय को बैलाडिला खान का उपयोग करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है और उन्होंने सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे और धन राशि जमा करायेंगे। कार्य शुरु हो जाने पर लाइन को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

गंगा पर रेल पुल का निर्माण

4096. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पटना और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा पर रेल पुल निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पुल के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत जांच कार्य शुरु कर दिया गया है।

पुरुलिया में हथियार गिराया जाना

4097. श्री सुधीर गिरि : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया में हथियार गिराए जाने से संबंधित सभी दोषी लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हथियार गिराए जाने के उद्देश्यों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जो पुरुलिया में शस्त्र गिराये जाने से संबंधित मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है, ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 13 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए हैं। इन 13 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं और शेष 7 व्यक्ति फरार हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून 1996 में बिहार से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह भी न्यायिक हिरासत में है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गयी जांच से पता लगा है कि अग्नेयास्त्र इत्यादि आनन्दमार्गियों के एक वर्ग के लिए थे, जो प्रोयूटिस्ट यूनिवर्सल के प्रति निष्ठा रखता है और जो एक आनन्द मार्गी संगठन है। प्रोयूटिस्ट यूनिवर्सल के राजनैतिक उद्देश्य हैं और विश्व के बहुत से देशों में इसके कार्यालय हैं।

(ङ) सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और इस संबंध में सभी उपाय कर रही है जिसमें आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वर्तमान विनयमनों का सख्ती से अनुपालन कराना, और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के मध्य गहन समन्वय स्थापित करना सम्मिलित है।

घटिया किस्म की राइफलें

4098. श्री राम सागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना आयुध डिपो, जबलपुर ने सीमा सुरक्षा बल को घटिया गुणवत्ता वाली राइफलों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा बल ने उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किए बिना ही उनको स्वीकार कर लिया है;

(ग) सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों तथा पुलिस को ऐसी कितनी राइफलों की आपूर्ति की गई जिन्हें चालू अवस्था में नहीं पाया गया;

(घ) क्या नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक ने इस संबंध में मंत्रालय के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) सेना आयुध डिपो, जबलपुर ने सीमा सुरक्षा बल एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को दस-दस हजार ए.के.-47 राइफलें सप्लाई की थी जिनमें से क्रमश: 196 और 20 राइफलें दोषयुक्त पाई गई। रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शस्त्रों की सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया छोड़ दी गई थी।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) आपूर्तिकर्ता द्वारा दोषयुक्त राइफलों की बदली के लिए यह मामला रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

तटीय रेल लाइनों का विकास

4099. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी होकर इर्णाकुलम और कायमकुलम के बीच तटीय रेल लाइन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) प्रस्तावित तटीय लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरु कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

पार्सल कुली

4100. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में श्रमिक सहकारी समितियों के अंतर्गत कार्यरत पार्सल कुलियों ने उन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बतौर खपाने के लिए उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में मामले दायर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पार्सल कुलियों को स्थाई दर्जा देकर सामाजिक न्याय देने हेतु उत्तर और दक्षिण-पूर्व रेलवे में ठेका प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित मामले भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए हैं:

1. श्री राघवेन्द्र गुमस्थ बनाम भारत सरकार एवं अन्य-एक याचिका।
2. नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स, वेंडर्स एवं बियरर्स बनाम भारत सरकार-चार याचिकाएं।
3. नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पार्सल पोर्टर्स बनाम भारत सरकार एवं अन्य-एक याचिका।
4. अपने महासचिव के माध्यम से नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एवं अन्य बनाम भारत सरकार-तीन याचिकाएं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गाड़ियों के लिए नए ठहराव

4101. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के विभिन्न स्टेशनों पर एक्सप्रेस एवं अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष कितनी नई ठहराव की व्यवस्था की गई;

(ख) क्या सरकार को केरल में महत्वपूर्ण/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए और अधिक ठहराव की व्यवस्था करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केरल में 1993-94, 94-95 और 95-96 के दौरान एक्सप्रेस गाड़ियों के 6, 6 और 16 अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) रेल प्रशासनों के विभिन्न स्तरों पर ठहरावों हेतु काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनकी विधिवत जांच की जाती है और व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

एयर ब्रेक प्रणाली

4102. डा. असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर ब्रेक प्रणाली युक्त जोन-वार कौन-कौन सी गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या कुछ और गाड़ियों में भी एयर ब्रेक प्रणाली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(क) मेल/एक्सप्रेस वात-ब्रेक गाड़ियों की सूची

मध्य रेल

1.	1005/1006	विदर्भा एक्सप्रेस
2.	1007/1008	दक्कन एक्सप्रेस
3.	1009/1010	सिंहगढ़ एक्सप्रेस
4.	1021/1022	इन्द्रियानी एक्सप्रेस
5.	1023/1024	सिद्धेश्वर एक्सप्रेस
6.	1025/1026	प्रगति एक्सप्रेस
7.	1033/1034	पुष्पक एक्सप्रेस
8.	1063/1064	छेन्नई एक्सप्रेस
9.	1093/1094	महानगरी एक्सप्रेस
10.	2123/2124	दक्कन क्वीन
11.	2179/2180	ताज एक्सप्रेस
12.	1401/1402	पंचवटी एक्सप्रेस

पूर्व रेल

1.	2303/2304	पूर्वा एक्सप्रेस
2.	2381/2382	पूर्वा एक्सप्रेस
3.	2311/2312	कालका मेल
4.	2391/2392	मगध एक्सप्रेस
5.	3029/3030	कोलफील्ड एक्सप्रेस
6.	3035/3036	हावड़ा-आसनसोल एक्सप्रेस
7.	3133/3134	सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस
8.	3467/3468	विक्रमशिला एक्सप्रेस
9.	3317/3318	ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस
10.	3419/3420	जनसेवा एक्सप्रेस

उत्तर रेल

1.	2401/2402	श्रमजीवी एक्सप्रेस
2.	2403/2404	पूजा एक्सप्रेस
3.	2413/2414	दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस
4.	2417/2418	प्रयागराज एक्सप्रेस
5.	2419/2420	गोमती एक्सप्रेस
6.	2471/2472	जम्मू तवी-बंबई एक्सप्रेस
7.	2473/2474	जम्मू तवी-अहमदाबाद एक्सप्रेस
8.	2475/2476	जम्मू तवी-राजकोट एक्सप्रेस
9.	2477/2478	जम्मू तवी-हापा एक्सप्रेस
10.	2497/2478	शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस
11.	4001/4002	दिल्ली-अट्टारी एक्सप्रेस
12.	4003/4004	निज़ामुद्दीन-आगरा एक्सप्रेस
13.	4057/4058	काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
14.	4085/4086	हरियाणा एक्सप्रेस
15.	4227/4228	वरुण एक्सप्रेस
16.	4659/4660	नई दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस
17.	4229/4230	लखनऊ मेल

पूर्वोत्तर रेल

1.	2553/2554	वैशाली एक्सप्रेस
2.	5207/5208	अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस

पूर्वोत्तर सीमा रेल

1.	5621/5622	नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस

दक्षिण रेल

1.	2615/2616	जी.टी. एक्सप्रेस
2.	2621/2622	तमिलनाडु एक्सप्रेस
3.	2639/2640	वृंदावन एक्सप्रेस
4.	2675/2676	कोवाई एक्सप्रेस
5.	6303/6304	वंचीनाद एक्सप्रेस
6.	6089/6090	येलागिरि एक्सप्रेस
7.	6341/6342	एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस
8.	6307/6308	एर्णाकुलम-कन्नानोर एक्सप्रेस
9.	6673/6674	चेरन एक्सप्रेस
10.	6053/6054	मद्रास-तिरुपति एक्सप्रेस
11.	6057/6058	सप्तगिरि एक्सप्रेस

दक्षिण मध्य रेल

1.	7001/7002	हुसैन सागर एक्सप्रेस
2.	7007/7008	गोदावरी एक्सप्रेस
3.	7031/7032	हैदराबाद-मुम्बई एक्सप्रेस
4.	7059/7060	चारमीनार एक्सप्रेस
5.	2723/2724	आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
6.	7405/7406	कृष्णा एक्सप्रेस

दक्षिण पूर्व रेल

1.	2841/2842	कोरोमंडल एक्सप्रेस
2.	2859/2860	गीतांजलि एक्सप्रेस
3.	2821/2822	भौली एक्सप्रेस
4.	8007/8008	हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस
5.	8013/8014	स्टील एक्सप्रेस

पश्चिम रेल

1.	2903/2904	गोल्डन टेम्पल मेल
2.	2925/2926	पश्चिम एक्सप्रेस
3.	2955/2956	जयपुर-मुम्बई एक्सप्रेस
4.	2961/2962	अवन्तिका एक्सप्रेस
5.	9101/9102	गुजरात मेल

(ग) 1996-97 के दौरान निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की वात-ब्रेक में बदलने का प्रस्ताव है जो कि उत्पादन इकाइयों से सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर है :-

1.	2307/2308	हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस
2.	2801/2802	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
3.	5659/5660	कामरुप एक्सप्रेस
4.	6519/6520	बेंगलूर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
5.	6045/6046	नवजीवन एक्सप्रेस
6.	5645/5646	दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
7.	4055/4056	ब्रह्मपुत्र मेल
8.	9055/9056	सायाजी नगरी एक्सप्रेस
9.	2927/2928	वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेस
10.	9031/9032	कच्छ एक्सप्रेस
11.	9005/9006	मुम्बई-ओखा मेल
12.	9107/9108	मुम्बई-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस
13.	9129/9130	वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेस
14.	3143/3144	दार्जिलिंग मेल
15.	2625/2626	केरल एक्सप्रेस
16.	7015/7016	विशाखा एक्सप्रेस
17.	6525/6526	बेंगलूर-कन्याकुमारी एक्सप्रेस
18.	2607/2608	लालबाग एक्सप्रेस
19.	2933/2934	कर्णावती एंक्सप्रेस

"ओन युवर वैगन" योजना

4103.श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने "ओन युवर वैगन" योजना को अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिए इसमें संशोधन करते हुए एक नई विपणन नीति आरंभ करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) मुम्बई-दिल्ली, दिल्ली-हावड़ा और मार्गों के बीच दूरगामी विशेष पार्सल सेवा के संबंध में "ओन युवर वैगन" योजना के अंतर्गत ग्राहकों को ब्रेक वेन सपेस तथा वैगनों को लीज पर देने का क्या औचित्य है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यह एक सतत् प्रक्रिया है, तथा अपने मालडिब्बे के मालिक बने योजना को अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए वर्तमान और संभाव्य प्रयोक्ताओं के साथ नियमित अंतराल पर परस्पर बैठकें की जा रही हैं।

(ग) रेल राजस्व को बढ़ाने और भरोसेमंद और तत्पर सेवा के साथ-साथ बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि की दृष्टि से रेलवे ने विभिन्न खंडों पर चयनात्मक ब्रेक वैन स्पेस और पार्सल वैन को पट्टे पर देने की योजना आरंभ की है। "अपने माल डिब्बे की योजना" के अंतर्गत मालडिब्बों को पार्सल यातायात के लिए पट्टे पर दिये जाने की ऐसी कोई योजना तैयार नहीं है।

[हिन्दी]

टिकटों हेतु स्वचालित मशीनें

4104.कुमारी उमा भारती :
श्री राज केशर सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी करने के लिए स्वचालित मशीनें लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ऐसी मशीनें लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) इन मशीनों के लगाने पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे द्वारा नई दिल्ली, दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी करने के लिए 20 स्वचल सिक्का-परिचालित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक मशीन की लागत लगभग 54,000 रु. है।

महामाया सुपरफास्ट का रोजाना चलाया जाना

4105. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजामुद्दीन और बिलासपुर के बीच रोजाना महामाया सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के संबंध में अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई लेकिन नागपुर में जनता की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के अलावा परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधन की तंगी के कारण व्यावहारिक अथवा वांछनीय नहीं पाया गया।

दिल्ली में रेलवे क्वार्टर्स

4106. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के रेलवे क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है;

ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए कितने धन का आबंटन किया गया तथा यह राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनके रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। दिल्ली में लगभग 10,000 क्वार्टरों में 486 क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

(ख) ये सभी क्वार्टर पुराने और गैर मानक हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सफेदी करना, पुन: फर्श बिछाना, पुन: प्लस्तर करना, टपकने वाली छतों और सड़कों की मरम्मत, लॉन और पार्कों का अनुरक्षण, जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली में सुधार और क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने जैसे कार्यों पर 13.70 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) दिल्ली की रेलवे कालोनियों में बिजली, पानी और सड़कें पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं और उनका आवधिक रूप से अनुरक्षण किया जाता है। इसके अलावा गैर मानक क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में 379 क्वार्टरों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की चोरी

4107. डा. अरुण कुमार शर्मा :
डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों से चुराए गए खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) (क) से (ग) पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान न्यूगुवाहाटी स्टेशन पर रे.सु.ब. द्वारा दर्ज मामलों की संख्या, चुराई गई तथा वसूल की गई सम्पत्ति तथा मालडिब्बों से खाद्यान्न और अन्य पण्यों की चोरी/उठाईगिरी के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

गिरफ्तार व्यक्तियों पर रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे चलाये गये थे और जिसमें से 8 व्यक्तियों को न्यायालय में दोषी ठहराया गया और अन्यों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है।

(घ) ऐसी उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:

(i) न्यू गुवाहाटी यार्ड की रे.सु.ब. द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षा की जाती है।

(ii) शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं और घात लगाकर जांच की जाती है।

(iii) कुत्ता दस्ते से गश्त लगाई जाती है।

(iv) अपराधियों तथा प्रापकों को पकड़ने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आपराधिक आसूचना इकट्ठी की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान न्यू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रे.सु.ब. द्वारा दर्ज मामलों की संख्या, चुराई गई तथा वसूल की गई सम्पत्ति और मालडिब्बों से खाद्यान्न और अन्य पदार्थों की चोरी/उठाईगिरी के संबंध में गिरफ्तारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	पण्य	मामलों की संख्या	सम्पत्ति का मूल्य (रु. में)		गिरफ्तारियों की संख्या
			चुराई गई	वसूली गई	
1993-94	खाद्यान्न	5	6465	6440	9
	अन्य पण्य	2	3800	3800	7
1994-95	खाद्यान्न	1	200	200	1
	अन्य पण्य	5	41300	8000	9
1995-96	खाद्यान्न	6	1710	1710	14
	अन्य पण्य	1	4500	–	–
3 वित्त वर्षों का जोड़	खाद्यान्न	12	8375	8350	24
	अन्य पण्य	8	49600	11800	16

[हिन्दी]

टिड्डियों के कारण फसल को क्षति

4108. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अशोक प्रधान :
श्री ओ.पी. जिन्दल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिड्डियों और कीड़ों के कारण दिल्ली में और इसके आस-पास के उत्तर प्रदेश के इलाके में किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इन खेतों में खड़ी फसलों को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या सरकार ने टिड्डियों के आक्रमण को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारण फसलों को हुई क्षति के लिए किसानों को कोई मुआवजा प्रदान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) दिल्ली तथा इसके आसपास के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में टिड्डियों के आक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल में चारा फसलों के 3119 हैक्टेयर क्षेत्र में ग्रास हापरों का आक्रमण हुआ था।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने मेरठ मण्डल के ग्रास हापर प्रभावित क्षेत्रों में पौध संरक्षण उपाय किए हैं। इन उपायों के पहले राज्य सरकार ने एक जागरूकता अभियान चलाया था ताकि किसानों को कारगर उपचारात्मक उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों की मांग

4109. श्री दरबारा सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय कृषि उत्पादों/फलों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में उक्त वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों के अधिक उत्पादन तथा निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) बासमती चावल, मसाले, बागवानी उत्पादों, सब्जियों तथा फलों जैसी जिंसों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) फलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उष्ण कटिबंधीय, शुष्क अंचलीय तथा समशीतोष्ण फलों के समेकित विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत छोटी नर्सरियों, उत्तक संवर्धन एककों, कृषक प्रशिक्षण तथा क्षेत्र विस्तार के लिए प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपाय हैं-निरीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कुछ मदों पर मात्रात्मक सीमाओं से छूट देना, रियायती ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पाद विकास शत् प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण अंचलों से संबंधित इस योजना के तहत लेने वाले लाभ कृषि क्षेत्र के लिए सुलभ कराना; चर्यानत पुष्प कृषि व बागवानी उत्पादों तथा ताजी सब्जियों को विनिर्दिष्ट गन्तव्यों तक ले जाने के लिए हवाई माल भाड़ा पर राजसहायता, हवाई अड्डों पर शीतगारों का प्रावधान, विभिन्न प्लान योजनाओं के अंतर्गत योग्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता आदि। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये अन्य उपाय हैं-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, खरीददारों तथा विक्रेताओं की बैठकें कराना, मण्डी विकास अभियान चलाना, उत्पाद विकास में सहायता देना तथा पैकेजिंग व गुणवत्ता प्रमाणन में सुधार लाना।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड घरेलू तथा निर्यात मण्डियों के लिए विपणन, रख-रखाव, प्रसंस्करण संबंधों अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करता है।

विवरण

समुद्री उत्पादों सहित प्रमुख कृषि जिंसों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य

(मात्रा '000 मी. टन)
(मूल्य : रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	मद	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दाल	–	–	–	–	34.31	53.44	43.60	73.59
2.	चावल बासमती	505.03	461.57	266.53	499.18	324.79	800.64	527.23	1061.26
3.	चावल (बासमती को छोड़कर)	–	–	411.93	256.41	255.62	174.96	565.19	225.46
4.	गेहूं	139.47	31.13	–	–	36.75	10.21	0.39	0.21
5.	अन्य अनाज	7.31	2.77	0.90	0.46	17.06	10.16	148.32	34.02
	उप-योग (2-5)		495.47		756.05		995.97		1320.95
6.	तम्बाकू कच्चा	69.96	193.43	68.77	314.11	70.61	355.57	90.49	368.26
7.	तम्बाकू तैयार	17.13	69.96	15.47	62.92	17.65	118.47	14.18	92.95
	उप-योग (6-7)		263.39		377.03		474.04		461.21
8.	मसाला	103.00	233.94	141.85	372.13	128.71	393.42	182.33	568.91
9.	काजू	49.82	446.95	70.05	675.53	62.66	748.66	78.47	1048.20
10.	तिल तथा रामतिल	62.52	91.34	59.59	102.48	67.70	116.22	39.05	73.51
11.	मूंगफली	49.57	56.06	3.61	7.34	4.34	7.72	254.21	170.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	तेल की खेली	2447.77	608.50	2958.06	921.38	3678.84	1545.29	4837.28	2323.92
13.	एरण्ड का तेल	42.66	66.14	90.84	139.70	68.23	117.39	138.91	289.30
14.	शैलाक	6.96	17.55	5.68	25.70	5.01	41.07	5.97	65.47
15.	चीनी व शीरा	191.04	37.56	445.71	157.25	485.10	353.51	204.53	178.08
16.	बागवानी/पुष्प कृषि	–	7.87	–	14.80	–	14.91	–	18.84
17.	फल व सब्जी	–	213.25	–	348.98	–	312.42	–	414.34
18.	संसाधित फल व जूस	–	60.39	–	88.34	–	119.76	–	155.60
19.	विविध संसाधित मदें	–	152.30	–	102.19	–	108.44	–	128.42
20.	गंस व उसके व्यंजन	–	139.84	–	230.74	–	257.11	–	344.52
21.	समुद्री उत्पाद	158.88	960.01	190.19	1442.72	210.49	1743.15	257.98	2551.89
22.	कपास कच्चा व अपशिष्ट	374.36	845.85	160.34	305.94	63.74	181.78	312.56	653.59
	कुल		4696.41		6068.30		7884.29		10810.97
देश का कुल निर्यात			32553.34		44041.81		53688.26		69748.85
देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का प्रतिशत अंश			14.43		13.78		14.69		15.51

पी. अनंतिम

वर्ष 94-95 तथा 95-96 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात

(मात्रा '000 मी. टन)
(मूल्य : रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	मदें	1994-95 अप्रैल-मार्च		1995-96 अप्रैल-मार्च	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	दलहन	50.51	90.41	61.20	131.79
2.	बासमती चावल	442.13	865.32	392.26	851.16
3.	चावल (बासमती के अलावा)	448.50	340.47	5120.34	3701.85
4.	गेहूं	86.63	42.34	617.21	360.90
5.	अन्य अनाज	84.24	28.03	28.05	17.15
	उप-योग (2-5)		1276.16		4931.06
6.	तम्बाकू कच्चा	42.91	184.13	61.52	297.31
7.	तम्बाकू तैयार	10.82	70.62	9.91	68.51
	उप-योग (6-7)		254.75		365.82
8.	कुक्कुट एवं डेरी उत्पाद		48.83		54.53

1	2	3	4	5	6
9.	पुष्प कृषि उत्पाद		30.84		57.80
10.	मसालें	154.95	612.24	211.52	785.89
11.	काजू (सीएनएसएल सहित)	80.25	1247.09	98.30	1232.13
12.	तिल तथा रामतिल बीज	59.57	141.73	82.66	258.15
13.	मूंगफली	51.12	101.32	100.95	224.35
14.	तेल की खली	4150.05	1797.84	4327.82	2350.55
15.	अरण्ड का तेल	184.64	441.28	264.28	733.77
16.	शैलाक	4.58	46.86	6.08	63.32
17.	शक्कर तथा शिरा	51.08	62.16	731.46	503.55
18.	फल/सब्जी बीज	3.54	22.98	6.66	40.26
19.	ताजे फल		188.75		230.47
20.	ताजी सब्जियां		247.98		312.04
21.	संसाधित सब्जियां		79.14		134.11
22.	संसाधित फल जूस		169.44		212.95
23.	विविध संसाधित मदें		112.60		544.20
24.	मांस तथा मांस उत्पाद		402.73		627.00
25.	समुद्री उत्पाद	320.91	3536.64	311.54	3384.25
26.	कच्चा कपास (रद्दी सहित)	70.75	139.76	37.02	206.10
	योग		11051.53		17384.09
देश का कुल निर्यात			82673.40		106464.86
राष्ट्रीय निर्यात में कृषि निर्यात का प्रतिशत हिस्सा			13.37%		16.33%

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस रिपोर्ट-मार्च 1996

केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की नई यूनिट का गठन

4110. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट के निकट केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की नई यूनिट गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भू-भाग का स्थानांतरण कर दिया गया है;

(घ) क्या प्रस्तावित भू-भाग के स्थानांतरण के संबंध में कोई कठिनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्।

केरल सरकार ने कालीकट में 96.5 एकड़ भूमि मुफ्त आबंटित की है जिसमें कुछ निजी पार्टियों का कुछ अतिक्रमण है। राज्य सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का प्रयास कर रही है।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

4111. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 5 वर्ष पहले पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त अधिनियम में संशोधन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का संशोधन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा 1990 में एक प्रस्ताव रखा गया था।

(ख) और (ग) विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्यों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया प्रारूप प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए भेजा गया था। यद्यपि अनेक राज्यों ने अपनी सहमति/अभिमत दे दिया है, किन्तु अन्यों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो सकी। इस मामले को गति देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित सचिवों की एक बैठक 6.8.1996 को बुलाई गई। दस्तावेज की विधिक विधिक्षा के बाद, इस प्रस्ताव को अन्ततः राज्यकीय परिषद को भेजा जाएगा ताकि बाद में मंत्रिमंडल के लिए नोट भेजा जा सके। औपचारिकताएं पूरी करने में 6-12 महीने का समय लगने की संभावना है।

पुरुलिया में हथियार गिराने के बारे में जांच

4112. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुलिया में हथियार गिराने के मामले की जांच के लिए सी.बी.आई. के तीन दलों ने संयुक्त निदेशक की अगुवाई में आठ देशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी दलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि पुरुलिया में शस्त्रों को गिराये जाने से संबद्ध मामले की जांच के लिए संयुक्त निदेशक के स्तर के केवल एक अधिकारी ने दो देशों, अर्थात यूनाईटिड किंगडम और डेनमार्क का दौरा किया है। यूनाईटिड किंगडम का उनका दौरा यू.के. स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से प्राप्त उनके सरकारी अनुरोध पर था।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, यूनाईटिड किंगडम और डेनमार्क की उनके दौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि यात्रा से कलकत्ता न्यायालय द्वारा जारी किए गए अनुरोध पत्रों पर कार्रवाई तेज हो सकी है। यूनाईटिड किंगडम और डेनमार्क में विदेशी अधिकारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण तुरन्त प्रस्तुत किये गये। मामले से संबंधित लाभप्रद सूचना को एकत्र कर लिया गया है तथा संबंधित इंटरपोल के साथ उसकी जांच की गई है। संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सभी प्रकार का सहयोग, सहायता तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अनुरोध पत्रों का पूरी तरह निष्पादन हो जाने के बाद, संबद्ध देश, उनके देश में की गई जांच-पड़ताल के निष्कर्षों के बारे में अनुरोध पत्र जारी करने वाले न्यायालय, अर्थात कलकत्ता न्यायालय को सूचित करेंगे।

मद्रास तथा मैसूर के बीच रेलगाड़ियां

4113. **श्री एन. एस. वी. चित्तन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास तथा मैसूर को प्रथम श्रेणी/ वातानुकूलित कोचों वाली साधारण रेलगाड़ियों से सीधे-सीधे जोड़ने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर गाड़ी सेवाएं शुरु करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य हो। मद्रास और मैसूर के बीच यात्रा करने वाले यात्री बेंगलूर जहां सुविधाजनक मेल उपलब्ध है, गाड़ी बदल कर लाभ उठा सकते हैं। यातायात औचित्य के अभाव के अलावा परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण मद्रास और मैसूर के बीच सीधी साधारण गाड़ी चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4114.श्री अनंत कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली और बंगलौर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए अनुमानत: कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है और 30 मार्च, 1996 तक इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) 1996-97 के दौरान इस पर अनुमानत: कुल कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन रेलवे स्टेशनों के प्रस्तावित आधुनिकीकरण और विस्तार का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों का विस्तार/नवीनीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसा यात्री यातायात की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपेक्षित होने पर किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हुबली और बेंगलूर स्टेशनों पर संभाले जा रहे यात्री यातायात के अनुरूप पहले ही सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

बेंगलूर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1, 5 और 6 पर भूमिगत पैदल पथ के लिए एस्कालेटरों की व्यवस्था करने का कार्य चल रहा है। इस कार्य पर मार्च, 1996 तक 50 लाख रुपये का खर्च हुआ है और वर्ष 96-97 के लिए 106 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

हुबली में फिलहाल कोई कार्य करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्मैक नशेड़ियों द्वारा चोरी

4115. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्मैक नशेड़ियों द्वारा चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार, चालू वर्ष (31.7.1996 तक) के दौरान दिल्ली में नशेड़ियों द्वारा की गयी चोरी के 101 मामले सूचित किए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इस प्रकार के मामलों की संख्या 74 थी।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, हवाई अड्डे, आई.एस.बी.टी. और रेलवे स्टेशनों पर सख्त निगरानी, अन्य संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सतर्कता, विभिन्न कालोनियों में नशीली दवाओं का अवैध धंधा करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी, गश्त लगाना, जाल बिछाना, नेबरहुड वाच स्कीम शुरु करना इत्यादि सम्मिलित है।

[अनुवाद]

झींगा पालन

4116.डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, और निजी पार्टियों द्वारा झींगा पालन आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या निजी पार्टियों के साथ-साथ सरकार ने उड़ीसा में झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई बाहरी सहायता प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध खारा जल क्षेत्रों में निजी उद्यमियों द्वारा झींगा मछली पालन संबंधी क्रियाकलाप शुरु किये गये हैं। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई वाणिज्यिक झींगा मछली संवर्धन नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) मई, 1992 से उड़ीसा सहित पांच राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त झींगा तथा मत्स्य संवर्धन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की लागत की 90 प्रतिशत राशि विश्व बैंक द्वारा उदार ऋण के रूप में दी गई है। 62.41 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सहायता सेवाओं के साथ-साथ जगत जोर-बनपाड़ा बीदीपुर तथा नरेन्द्रपुर स्थानों पर इस परियोजना के तहत कुल 871 हैक्टे. खारा जल क्षेत्र शामिल किया गया है। उन सहायता सेवाओं में श्रिम्प हैचरियां आहार मिल, आई.क्यू.एफ. संयंत्र आदि शामिल हैं, जिनके लिए निजी उद्यमियों को सहायता दी जाती है।

किसानों को राजसहायता

4117. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और अन्य विकसित देशों में किसानों को दी जा रही राज सहायता की तुलना में देश के किसानों को कितनी राज सहायता दी जा रही है:

(ख) क्या हमारे किसानों को दी जाने वाली राज सहायता में धीरे-धीरे कमी होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य विकसित देशों के समान ही राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आर्गेनाइजेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेन्ट (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा वर्ष 1990 के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादक सब्सीडी तुल्यांक (आदान सब्सीडियों तथा उत्पादन करों का योग) संबंधी अनुमान, जो इकॉनामिक एंड पोलिटिकल वीकली (ई.पी.डब्ल्यू.) के 26 सितम्बर, 1992 के अंक में प्रकाशित एक लेख में उद्धृत हैं, नीचे दिए गए हैं:

देश	कृषि उत्पादन के मूल्य के रूप में उत्पादक सब्सीडी तुल्यांक	
	ओ.ई.सी.डी.	ई.पी.डब्ल्यू.
जापान	68	72.5
यूरोपीय समुदाय	48	37.0
यू.एस.ए.	30	26.2
कनाडा	41	33.5
आस्ट्रेलिया	11	10.3
भारत	–	–2.3

(ख) से (घ) उर्वरक, सिंचाई तथा बिजली पर प्रदत्त सब्सिडी में वृद्धि का रूख देखा गया है जो संलग्न विवरण से स्पष्ट है।

विवरण

कृषि क्षेत्र को दी गई सब्सिडी का विवरण

(करोड़ रु. में)

मद	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 संशोधित प्राक्कलन	1996-97' बजट प्राक्कलन
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सब्सीडी :					
1. उर्वरक (कुल)	5796	4562	5772	6735	8372
1.1 स्वदेशी उर्वरक	4800	3800	4075	4300	4500
1.2 आयातित उर्वरक	996	762	1166	1935	1648
1.3 किसानों को विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री	–	–	531	500	2224
2. बिजली**	1927	2408	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3. सिंचाई****	5235	5945	6828*	उ.न.	उ.न.

नोट :

उ.न. उपलब्ध नहीं, क्योंकि यह राज्य बजट से दिया जाता है।

** बिजली में सभी विद्युत बोर्डों तथा निगमों की सब्सीडी शामिल है। खास तौर से सिंचाई क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली पर सब्सीडी के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

*** जैसी कि नीति है, किसानों को सप्लाई की जाने वाली पानी की दर कम रखी जाती है, फलतः सरकारी सिंचाई प्रणाली को हानि होती है। प्रचालन लागत के अतिशेष तथा सकल राजस्व के अनुपात को आरोप्य सिंचाई सब्सिडी माना जाता है।

* त्वरित अनुमान।

' केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन।

पेन्टोक्सीफाइलीन का मूल्य

4118. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.आई.सी.पी. ने उनके मंत्रालय को पेंटोक्सीफाइलीन और लिनेसट्रेनल यौगिक की कीमत की संस्तुति की थी और कितनी कीमत की सिफारिश की थी;

(ख) उनके मंत्रालय ने क्या मूल्य निर्धारित किए थे; और

(ग) इस यौगिक के पैकेटों का प्रमुख कम्पनियों ने कितना मूल्य लिया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीस राम ओला) : (क) प्रपुंज औषध पेन्टोक्सीफाइलीन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों की सिफारिश डी.पी.आर.सी. उप समिति की 12.4.96 को हुई 40वीं बैठक में की गई थी और इन सूत्रयोगों की कीमत 30.8.96 को इस प्रकार नियत की गई थी:

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम/प्रबलता	पैक आकार	नियत कीमत
1.	पेन्टोक्सीफाइलीन 400 मिग्रा. एस.आर. टिकिया	10 का पत्ता	24.14*
2.	पेन्टोक्सीफाइलीन इंजे. 20 मि.ग्रा.	15 मिली. एम्प.	5.22*

*(का.आ.सं. 598(अ) दिनांक 30.8.1996)

मे. इनफार (भूतपूर्व मे. आयेनन इंडिया लि.) के संबंध में प्रपुंज औषध लिनेसट्रेनल पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों की सिफारिश डी.पी.आर.सी. उप समिति की 23.11.1995 को हुई 28वीं बैठक में गैर अधिकतम कीमत के रूप में की गई थी। सिफारिश की गई कीमतें इस प्रकार थी:-

क्रम.सं.	सूत्रयोग का नाम	पैक आकार	सिफारिश की गई कीमत
1.	लाइनडिओल टिकियां	22 का	7.40
2.	लाइनडिओल टिकियां	21 का	7.04
3.	अर्गेल्यूटिन टिकियां	10 का	7.12
4.	अर्गेमीट्रिल टिकियां	10 का	13.20

(ख) इन सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया गया था क्योंकि ये सिफारिशें प्रपुंज औषध की अधिसूचित कीमत के अभाव में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित थी। बी.आई.सी.पी. की रिपोर्ट जिसमें प्रपुंज औषध लाइनेस्ट्रेनाल की कीमत की सिफारिश की गई है, 25-7-1996 को प्राप्त हो गई हैं। प्रपुंज औषध की कीमत की अधिसूचना और परिणामस्वरूप उस पर आधारित सूत्रयोगों की अधिसूचना निकाली जाएगी।

(ग) प्रपुंज औषध पेन्टोक्सीफाइलीन और लाइनेस्ट्रेनॉल पर आधारित सूत्रयोगों की विपणन कीमतें जो अग्रणी विनिर्माताओं द्वारा चार्ज की जा रही हैं। विवरण में उपलब्ध हैं।

विवरण

पेन्टोक्सीफाइलीन

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम/प्रबलता	पैक-आकार	कंपनी का नाम	आज (जनवरी-मार्च) के अनुसार औषधों की कीमतें
1	2	3	4	5
1.	एरीटल/400 मिग्रा. टिकियां	10 का	रीकॉन	58.50
2.	फ्लेक्सीटल/400 मिग्रा. टिकियां	10 का	तन फार्मा	58.86
3.	फ्लेक्सीटल इंजे./20 एम.जी./एम.एल.	15 एम.एल.	-वही-	11.09
4.	फ्लोपेन्ट/400 मिग्रा. टिकियां	10 का	नॉल	59.84
5.	फ्लोपेन्ट इंजे/20 मिग्रा. प्रति मि.ली.	5×15 एम.एल/एम्प.	-वही-	72.00
6.	नीटल 400/400 मिग्रा.	10 का	प्रोटेक/सिपला	58.00
7.	नीटल इंजे/20 मिग्रा. प्रति मि.ली.	15 मि.ली.	-वही-	14.39
8.	आर.बी. फ्लेक्स/400 मिग्रा. टिकिया एस.आर.	10 का	टाइड	53.30

1	2	3	4	5
9.	आर.बी. फ्लेक्स इंजे/20 मिग्रा./मि.ली.	15 मिली./एम्प	टाइड	11.70
10.	ट्रेंटल/400 मिग्रा. टिकियां	10 का	हैक्स्ट	59.84
11.	ट्रेंटल इंजे/100 + 35 मिग्रा. सोडि. क्लोराइड प्रति 5 मिली.	15 मिली.	–वही–	14.40
		लाइनेस्ट्रीनाल		
1.	लाइनडिओल लिरनीनॉल इथिनलोलस्ट्राडिओल/0.5 मिग्रा. टिकियां	22 का	इनफार	13.50
2.	अर्गेमीट्रिल लाइनेस्ट्रिनॉल इंजे/0.5 मि.ग्रा.	10 का	वही	26.30

[हिन्दी]

लोहे की चोरी

4119.वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के लोकोमोटिव इंजिन मरम्मत शेड से लोहे की भारी मात्रा में चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोहे की चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पुलिस द्वारा रद्दी के व्यापारियों की दुकानों पर मारे गए छापों के दौरान कई टन लोहा जब्त किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि रे.सु.ब. कर्मियों को चौबीसों घंटे गश्त लगाने के लिए तैनात किया जाता है

(ग) और (घ) जी हां। यह ठीक है कि 12.6.96 को रे.सु.ब./कोटा द्वारा एक छापा मारा गया था। छाप क दौरान एक कबाड़ी और दो उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 85,000/- रु. मूल्य का लोहे का कबाड़ माल बरामद किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ रे.सु.ब./कोटा के द्वारा रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 12.6.96 को अपराध सं. 26/96 में एक मामला दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन पर निवेश

4120. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमान परिवर्तन पर किया गया निवेश आठवीं योजना में इसके लिए निर्धारित राशि से अधिक हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना प्रावधान में क्या राशि निर्धारित की तथा कितनी वास्तविक राशि खर्च की गई; और

(ग) किन-किन योजना मदों से राशि को उक्त प्रयोजनार्थ खर्च किया गया और उसका मार्ग नवीकरण, रोलिंग स्टाक की मरम्मत तथा रख-रखाव, वैगनों की खरीद इत्यादि जैसी आवश्यक संचालन आवश्यकताओं पर क्या प्रभाव पड़ा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हाँ।

(ख) योजना के लिए 3900 करोड़ रु. की व्यवस्था थी जिसे स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त 400 करोड़ रुपये को शामिल करके योजना आयोग के परामर्श से बढ़ाकर 4300 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके विपरीत क्रेडिट सहित पहले चार वर्षों में खर्च और चालू वर्ष के लिए परिव्यय 4713.92 करोड़ रुपये है।

(ग) अतिरिक्त धन की वास्तविक खर्च के अनुसार अन्य योजना शीर्षों में बचत से पूरी की गई है न कि अन्य आवश्यक परिचालनिक आवश्यकताओं से निधि का हस्तान्तरण करके।

[हिन्दी]

रेल नेटवर्क का विस्तार

4121.श्री राधा मोहन सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन से जिले अभी तक रेल सेवा से नहीं जोड़े गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा बिहार में रेल लाइनों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बिहार का गुड्डा जिला अभी रेल लाइन से नहीं जुड़ा है।

(ख) से (घ) साकरी और हसनपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार में नई लाइनों के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण शुरु किया गया है या शुरु किये जाने का प्रस्ताव है :-

(1) रांची-गया वाया हजारीबाग

(2) राजगीर से हिसुआ

(3) गिरीडीह और कोड्डरमा

(4) हाजीपुर से सगौली वाया वैशाली

(5) मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी

(6) खगड़िया से कुशेरवरस्थान

(7) दरभंगा से सहरसा

(8) भपताई से निर्मली

(9) कुरसेला से सहरसा वाया बिहारीगंज

(10) बनमंखी से किशनगंज

(11) निर्मली से सहरसा

(12) मधेपुरा से जोगबनी वाया त्रिवेणी गंज

(13) डेहरी-आन-सोन बरवाडीह

(14) चुनार-सासाराम

(15) बरवाडीह-चिरमेरी

[अनुवाद]

पशुओं पर परीक्षण

4122. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सौन्दर्य प्रसाधन बनाने में काम आने वाले रसायनों की जांच करने के लिए पशुओं पर पीड़ादायी और घातक परीक्षण किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या जांच परीक्षण के दौरान विशिष्ट रसायनों की भारी मात्र बलात पशुओं के उदरस्थ की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो जाती है जबकि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन 10 प्रतिशत से अधिक रसायनों का उपभोग नहीं करता;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सूची की उपयोगिता क्या है;

(ङ) क्या सरकार भारत में विनिर्माणरत सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माताओं को इस बारे में निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो उक्त निर्देश कब तक जारी कर दिया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन नियमों में अनुसूची "घ" में शामिल जीव जन्तुओं पर सौंदर्य प्रसाधन के अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था है। ऐसे परीक्षणों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों के अनुसार परीक्षण करने अपेक्षित हैं।

(घ) मानव पर संभावित खतरों के प्रभाव को जानने के लिए सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं में रसायनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु ये परीक्षण किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जीवजन्तु परीक्षण नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रयोजन मूलक समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

विवरण

सारणी-1

विशिष्ट प्रकार की सौंदर्य प्रसाधक वस्तुओं पर किये जाने वाले परीक्षण

क्र.सं.	परीक्षण	उत्पाद का प्रकार
1.	मूल त्वचा प्रदाहात्मक परीक्षण	त्वचा तथा केश उत्पाद
2.	त्वचा संवेदीकरण परीक्षण	त्वचा, केश उत्पाद, मंजन, मुख मार्जन
3.	मुख का कड़वापन परीक्षण	मंजन, मुख मार्जन
4.	बलगम प्रदाहात्मक परीक्षण	
	(क) नेत्र प्रदाही परीक्षण	शैम्पू तथा नेत्रों के आसपास सौंदर्य प्रसाधक
	(ख) मुख के बलगम का परीक्षण	मंजन, लिपिस्टिक और मुख मंजन
5.	दैहिक त्वचीय विषाक्तता परीक्षण	त्वचा क्रीम मात्र

नवीन विशिष्टता वाले रसायनों के अतिरिक्त परीक्षण

(क) प्रकाश विषाक्तता (प्रकाश प्रदाह, प्रकाश एलर्जी) परीक्षण।

(ख) उत्परिवर्तिता परीक्षण

(ग) टेराटोजेनिसीटी परीक्षण

परीक्षण (ख) और (ग) कार्सिनीयोजेनिसीटी परीक्षण) जरूरी नहीं है।

आई.ए.आर.सी. प्रबंध 1992 द्वारा अभिनिर्धारित मानव कार्सिनोजींस को सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के निर्माण में बिल्कुल न मिलाया जाए।

बाढ़ राहत के लिए धनराशि

4123. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1995 में भारी वर्षा और बाढ़ के लिए राष्ट्रीय राहत समिति द्वारा स्वीकृति धनराशि सभी राज्यों को जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कब जारी की गई थी तथा प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सितम्बर-अक्तूबर, 1995 में आयी बाढ़ को देखते हुए 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से जो कुल 104.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी वह 23 अगस्त 1996 को निर्मुक्त कर दी गई है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी की गयी धनराशि (करोड़ रुपये में)
1. आंध्र प्रदेश	21.00
2. अरुणाचल प्रदेश	10.00
3. बिहार	21.00
4. मेघालय	10.00
5. राजस्थान	21.00
6. पश्चिम बंगाल	21.00
कुल	104.00

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

रेलों का पटरी से उतरना

4124. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर-मारिया एक्सप्रेस (5078 डाउन) 20.5.96 को दडुमरी-जौरा हाल्ट पर पटरी से उतर गई थी और इसके 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथ दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अधिकारियों की समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है तथा जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

छोटा उदयपुर क्षेत्र का सर्वे

4125. श्री एन. जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत दभाई-मियागम रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वे किया गया है;

(ख) क्या इस कार्य को शुरु करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ङ) क्या इस संबंध में धन आबंटन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो कब तक आबंटित कर दिया जायगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य 1996-97 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) से (च) : सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

4126. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16वीं मराठा रेजीमेंट-लाइट इन्फैन्ट्री के कमांडिंग अधिकारी एवं कुछ अन्य अधिकारियों की पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहियों द्वारा 1994 में हत्या कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो बस्तरत में दरार का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) नागा विद्रोहियों द्वारा 27 दिसम्बर, 1994 को मोकोक्छुंग में 16वीं मराठा लाइट इन्फैन्ट्री के एक कार्यवाहक कमांडिग आफीसर, ले. कर्नल के.बी. पुनाचा तथा एक ज़वान की हत्या कर दी गई थी।

(ख) से (घ) बस्तरत में इस प्रकार की कोई दरार नहीं है। तथापि, विद्रोही, दुर्गम पहाड़ी रास्तों, जंगलों और अन्य बातों का लाभ उठा कर सुरक्षा बलों/पुलिस पर हमला करते हैं। विद्रोह की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है तथा उसकी कड़ाई से पुनरीक्षा की जा रही है। स्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण नागालैण्ड को अप्रैल, 1995 में "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया था।

[हिन्दी]

मछुआरों के लिए विशेष रोजगार योजना

4127. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत मत्स्यन को बढ़ावा देने हेतु मछली-तालाबों का निर्माण कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या योजना के मानदण्ड के अनुरूप ही काम कराए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में किसी प्रकार की जांच कराने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत धनराशि दी गयी थी लेकिन विशेष रोजगार योजना के लिए कोई धनराशि नहीं दी गयी थी। मत्स्यपालन ऐसा क्रियाकलाप है, जिसके लिए राज्य जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि का प्रयोग कर सकते थे। तथापि, इस कार्यकलाप के लिए अलग से निधियाँ निर्मुक्त नहीं की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से यह भी जानकारी मिली है कि इस राज्य सरकार ने दीन दयाल विकास योजना, जिसे अब 'अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना' नाम दिया गया है, के अन्तर्गत 1991-92 में 11 जिलों में 12 मत्स्य संपदाओं की स्थापना के लिए 319.41 लाख रुपये दिये थे।

(घ) साधारण रूप से योजना के अनुसार ही काम किया गया और 256 मत्स्य तालाबों का निर्माण किया गया जिसमें 128 हैक्टेयर जल क्षेत्र कवर किया गया। 221 बोरिंग किये गये जिसमें से 212 कम गहरी वाले, 8 गहरे तथा 1 गहरा ट्यूबवेल भी शामिल है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलकत्ता मेट्रो रेलवे

4128. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मेट्रो रेलवे ने काम करना शुरु कर दिया है;

(ख) मेट्रो रेलवे में आज तक कितनी बार आग लगी और क्या आग लगने के बाद मार्गों को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था;

(ग) बार-बार आग लगने की घटनाएं घटित होने के क्या कारण हैं;

(घ) उन खराबियों का पता न लगाने के क्या कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप आग लगने की यह घटनाएं हुई;

(ङ) सरकार ने इन खराबियों को हमेशा के लिए ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(च) खराबियों को स्थाई रूप से कब तक ठीक कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 1. (i) मैट्रो गाड़ी में आग का एक मामला।

(ii) खाली सवारी डिब्बों में अंडरगियर में आग लगने के दो मामले और सुरंग में केबल जोड़ में आग लगने की एक घटना।

2. थ्रू सेवाओं में एक घंटे 30 मिनट से 6 घंटे 35 मिनट के बीच रुकावट आई। बहरहाल, अवरुद्ध सेवाएं बहाल कर दी गई थीं।

(ग) उपस्कर की खराबी तथा तोड़फोड़।

(घ) अनुसूची के अनुसार सवारी डिब्बों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) और (च) अब तक हुई आग की घटनाएं किसी एक प्रकार की गलती के कारण नहीं हुई। पुनरावृत्ति से बचने के लिए सवारी डिब्बों के निरीक्षण तथा अनुरक्षण में सुधार किया गया है।

आमान परिवर्तन

4129. श्री सनत मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन के कुल कितने भाग को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है;

(ख) कितने भाग का आमान परिवर्तन किया जाना अभी शेष है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे रेल-मार्ग को कब तक बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा और यह मार्ग कब चालू हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिल्ली-अजमेर के बीच 444 कि.मी. तक अहमदाबाद-मेहसाना खंडों के बीच 52 कि.मी. लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है।

(ख) जी हां।

(ग) अजमेर-मेहसाना खंड की 423 कि.मी. लाइन को अभी बड़ी लाइन में बदला जाना है।

(घ) फरवरी, 1997 तक।

[हिन्दी]

कपास उत्पादकों को भुगतान

4130. श्री दत्ता मेघे :
श्री जी. एम. कुंदूरकर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विशेषत: महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को आज तक बकाए का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को बकाए का तुरंत भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को अब तक समस्त बकाया राशि की अदायगी कर दी गई है। देश के शेष भागों में विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य सहायता प्रचालन के तहत कपास की खरीद नहीं की गई। भारतीय कपास निगम के पास पूर्व अवधि की कोई बकाया राशि नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल लाइन का परिवर्तन

4131. श्री पी. कोदंड रमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मिराज रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आमान परिवर्तन का कार्य 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) बेंगलूरु-मिराज के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा निर्मित बड़ी लाइन 29.5.95 को यातायात के लिए खोल दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4132. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को वर्तमान समय में मिल रही सुविधाओं के अतिरिक्त और कौन-कौन से लाभ देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का उनको नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-सी योजना बनाई गई है अथवा बनाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जो लाभ पहले से ही मिल रहे हैं, उनके अलावा अन्य लाभ प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वालों तथा उनके आश्रितों को सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा लोक

उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं भी दी गई हैं। इस प्रकार से, उनकी चिकित्सीय सेवा हेतु अलग योजना बनाने तथा सरकार द्वारा व्यय वहन करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सी.आर. जैड अधिसूचना में संशोधन

4133. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को केरल द्वारा उनके मंत्रालय के तटीय प्रबंधन योजना द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इस मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 1994 को इस संबंध में जारी किए गए सी. आर. जेड. अधिसूचना के प्रावधानों में केरल के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में उद्योगों, प्रचालनों तथा प्रक्रियाओं आदि की स्थापना तथा विस्तार पर प्रतिबंध है। कुछ गतिविधियों को निषिद्ध घोषित किया गया है और अनुज्ञेय गतिविधियों के विनियमन के लिए उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर तटीय भागों को चार श्रेणियों अर्थात सी आर जैड-1, सी आर जैड-2, सी आर जैड-3 तथा सी आर जैड-4 में वर्गीकृत किया गया है। सी आर जैड क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण गतिविधियों को अधिसूचना के मानदण्डों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। तदनुसार, विकासात्मक आयोजना में अवसंरचनात्मक सामंजस्य अपेक्षित है। चर्चाओं के दौरान केरल सरकार ने अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं। इस अवस्था में केरल के विशेष संदर्भ में अधिसूचना में संशोधन करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

आउट एजेंसी खोलने को स्थगित करना

4134. श्री आर. वी. राई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जीलिंग जिला के बिमनवाड़ी में एक आउट एजेंसी खोलने को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आउट एजेंसी खोलने के विलंब के लिए सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक आउट एजेंसी 9.8.96 को बिजनवाड़ी में खोली जानी थी परंतु इस प्रस्तावित आउट एजेंट के विरुद्ध स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया था। रेलवे द्वारा अगली कार्रवाई इसके लिए नामित संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। इसलिए इस स्तर पर विलंब के लिए प्रतिपूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा प्रदूषण

4135. श्री जगमोहन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख शहरों में ताप विद्युत स्टेशनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में आकलन कराने हेतु कोई स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रदूषण किस हद तक कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा हाई-फ्लाईएश की मात्रा वाले दोषपूर्ण कोयले की आपूर्ति के कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किए जाने के प्रस्ताव हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार महानगरों में कोयले पर आधारित ताप विद्युत स्टेशन अत्यधिक प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोत हैं। भारतीय कोयला जो कि वर्तमान में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किया जा रहा है, उसमें लगभग 35 से 45% तक राख के कण हैं। यदि उचित निवारक उपाय नहीं किए जाते तो इस प्रकार के अत्यधिक राख वाले कोयले के प्रयोग करने की प्रक्रिया से फ्लाई ऐश के उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु और जल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रकार के घटिया किस्म के कोयले को प्रयोग करने की वायलर्स की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत के अतिरिक्त कोयलों की खपत में भी वृद्धि होती है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सभी ताप ऊर्जा संयंत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-सीमा के आधार पर निर्धारित मानकों का अनुपालन करें। इसके अलावा नए संयंत्रों को स्वीकृति देते समय सरकार, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय संबंधी बहुत से प्रतिबंध लगाती है। इसके साथ-साथ ऊर्जा संयंत्रों के लिए अधिकतम संभव सीमा तक फ्लाई ऐश प्रयोग करना आवश्यक है।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत उन बहुत से ताप ऊर्जा संयंत्रों को जिन्होंने अभी तक समुचित प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किए हैं, निदेश जारी किए हैं।

3. सरकार ने बीना में ''नान कोकिंग कोल वाशरीज़'' (सिंगरौली कोलफील्ड्स), पाइपरवार (दक्षिण करनपुरा कोलफील्ड्स) की स्थापना के लिए दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

4. कोल इंडिया ने बिल्ड ऑन आपरेट स्कीम के तहत नान कोकिंग कोल वाशरीज़ की स्थापना के लिए विश्व निविदा के माध्यम से भारतीय और साथ साथ विदेशी दोनों प्रकार के निजी उद्यमों की प्रोन्नति के लिए आमंत्रित किया है।

5. कोयले के प्रेषण की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच के लिए कदम उठाए गए हैं।

मछली पालन

4136. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय मछली पालन पर कोई रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में अभी खारा जल मछली पालन कितना हो रहा है और उनका वार्षिक मछली उत्पादन कितना होता है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1995-96 में केरल में खारा जल मत्स्य संवर्धन के तहत 14,657 हैक्टे. क्षेत्र को शामिल किये जाने की रिपोर्ट मिली है। 1995-96 में केरल में 9,000 मी. टन झींगा मछली का उत्पादन हुआ।

आरक्षण स्लिप का मुद्रण

4137. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आरक्षण/निरसन स्लिपों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य. मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों पर यह अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि जनता के उपयोग के लिए प्रत्येक आरक्षण/रद्दकरण फार्मों/स्लिपों की निरपवाद रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्रीय भाषा में भी उसी ओर अथवा पिछले भाग में मुद्रित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपरि पुल

4138. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने महाराष्ट्र में लेसलगांव रेलवे स्टेशन (नासिक) पर एक उपरि पुल के निर्माण की मांग की है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यावधि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) रेलें उन व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के बारे में विचार करती है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते हैं। लासलगाव में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी सहायता

4139. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई तंत्र है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन संगठनों को कितनी अंशदान राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि किन-किन देशों से प्राप्त हुई?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त संगठनों को निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं जिसमें विशिष्ट प्रयोज़नों/कार्यक्रमों के लिए धन प्राप्ति और उसके उपयोग संबंधी ब्यौरे देने होते हैं। सरकार द्वारा स्थापित एक मानीटरिंग यूनिट, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और संगठनों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रबोधन करती हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां निरीक्षण करती हैं। यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत जानकारी में आती है अथवा लेखों की संवीक्षा अथवा निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है तो, जहाँ कहीं आवश्यक होता है, दोषी संगठनों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन संगठनों/एसोसिएशनों द्वारा सूचित किए अनुसार् वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि तथा उन देशों के नाम जिनसे निधियां प्राप्त हुई थी, ''स्वयं सेवी एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति'' के संबंध में इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियों में दिए गए हैं, ये प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

केरल में रेल कोच फैक्ट्री

4140. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री से केरल में एक कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली दो इकाइयां यथा एक मद्रास में और एक कपूरथला में है। प्रत्येक कारखाना प्रति वर्ष लगभग 1000 सवारी डिब्बों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, दो फैक्ट्रियों सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जो सवारी डिब्बों का निर्माण करने में सक्षम हैं।

देश में सवारी डिब्बा निर्माण करने की उपलब्ध क्षमता को देखते हुए दूसरे सवारी डिब्बा निर्माण इकाई की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है।

केन्द्रीय धनराशि का दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग

4141. श्री विजय गोयल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को दी गयी केन्द्रीय धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी हेतु कोई तन्त्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में गत दो वर्षों के दौरान और आज तक राज्यों द्वारा मृदा संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु दी गयी धनराशि के दुरुपयोग और इनका अन्यत्र उपयोग किये जाने संबंधी कुछ मामले आये हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में कोष का उपयोग राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के पास कोष के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए अपनी प्रणाली है।

कोष के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर निगरानी नहीं रखी जाती है। कृषि तथा सहकारिता विभाग की निगरानी पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं : -

1. और अधिक धनराशि निर्मुक्त करने के पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगना।
2. सांविधिक रूप से भौतिक उपलब्धियों की जानकारी लेना।
3. खरीफ/रबी सम्मेलन तथा अंचलीय आदान सम्मेलनों के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ चर्चा करना।
4. क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक की पद्धति जिसमें विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक राज्य विशेष आबंटित किया जाता है और वह नियमित अन्तराल पर योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उस राज्य के प्रतिनिधि के साथ गहन विचार विमर्श करता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में डेरी विकास

4142. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने राजस्थान सहकारी डेरी संघ का प्रबंधन किस उद्देश्य से अपने हाथ में लिया था तथा इसका अधिग्रहण किस तारीख को किया गया;

(ख) क्या इसका अधिग्रहण जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था उसे प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उक्त राज्य में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत कौन-कौन सी डेयरी चलाई जा रही हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन डेयरियों को हुए लाभ/हानि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डेरी संघ अधिग्रहण के पश्चात् इसकी देनदारियां बढ़ी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में वर्तमान प्रबंधन के कारण डेरी विकास कार्यक्रम तथा दुग्ध उत्पादकों के हितों को धक्का पहुंचा है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की भविष्य में क्या योजनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, कुल मिलाकर इसकी वास्तविक तथा कार्यशैली में सुधार लाने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ तथा इससे सम्बद्ध यूनियनों का प्रबंध दिनांक 1.4.1992 से अपने हाथ में ले लिया।

(ख) जी हां।

(ग) 1992-93 से 1995-96 तक राजस्थान डेयरी परिसंघ की प्रमुख गतिविधियों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) सभी डेयरियां जो इससे पूर्व राजस्थान डेयरी परिसंघ तथा इसकी सम्बद्ध यूनियनों के अधीन कार्य कर रहे थी, अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधीन कार्य कर रही हैं। ब्यौरा विवरण-II पर संलग्न है।

(ङ) जी, हां।

(च) ऑपरेशन फ्लड परियोजना के अधीन विभिन्न यूनियनों तथा राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1979-80 से ऋण की मंजूरियां प्रदान की गई थीं। ऋण की शर्तों के अनुसार, ऋण चुकाने की 5 वर्षों की आरंभिक मोहलत के बाद, इन ऋणों की 15 वर्षों की अधिक अवधि में 30 अर्द्धवार्षिक किस्तों में पुनर्अदायगी की जानी है। चूंकि राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ तथा इसकी यूनियनों को भुगतान करने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अत: मार्च, 1991 से किस्तों में ऋण का भुगतान संभव न हो सका। राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ को अपने दैनंदिन कारोबार के लिए, मार्च, 1991 के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, अल्पकालीन ऋण पुन: लेना पड़ा था, अत: ऋण पर ब्याज में वृद्धि हो गई, जिसके परिणामस्वरूप, परिसंघ की और देयताएं बढ़ गई।

(छ) और (ज) जी, नहीं। डेयरी विकास कार्यक्रम तथा दुग्ध उत्पादकों के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत किसानों से दूध की अधिप्राप्ति में बढ़ोत्तरी होती रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का तरल दूध तथा दुग्ध उत्पादों की अधिप्राप्ति तथा विपणन पर प्रमुख जोर देने के साथ-साथ इन यूनियनों को पुन:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप मानव-संसाधनों तथा कौशल विकास के माध्यम से कारोबार में वृद्धि तथा ऊपरी खर्चों में कमी लाने का भी प्रस्ताव है।

विवरण-I

राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ के मुख्य क्रियाकलापों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

संक्षिप्त स्थिति:		95-96	94-95	93-94	92-93
दुग्ध संघ	मुख्य क्रियाकलापों की स्थिति				
1		2	3	4	5
1. दुग्ध अधिप्राप्ति					
औसत/दिन	हजार ली. प्र. दिन	420	302	372	332
कुल	लाख लीटर	1536	1102	1358	1213

1		2	3	4	5
डेयरी संयंत्र :	दुग्ध वितरण तथा निपटान				
1. कुल कारोबारित दूध	हजार कि.ग्रा.				
डेयरी संयंत्रों को धारण करने वाले संघों		156898	114678	139096	129789
प्रशीतन सुविधा के साथ		21131	14905	20278	18820
क्षमता उपयोग (डी.पी.एस.)		48%	35%	42%	40%
2. स्थानीय शहरों में बिक्री	हजार कि.ग्रा.	84896	72299	62433	60371
औसत/दिन	हजार ली. प्रतिदिन	232	198	171	165
3. एन.एम.जी. को दुग्ध की आपूर्ति	ह.कि.ग्रा.	43989	35712	42947	25705
औसत/दिन	हजार ली. प्रतिदिन	120	98	118	70
कुल तरल दुग्ध बिक्री	हजार कि.ग्रा.	128858	108011	105380	86076
औसत/दिन	हजार कि. प्रतिदिन	352	296	289	235
	दुग्ध उत्पाद : उत्पादन तथा बिक्री				
4. उत्पादन					
घी	मीटरी टन	2906	1832	2685	2654
एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी.	मी.ट.	2081	1120	2511	3217
मक्खन	मी. ट.	128	88	222	68
ए.पी.एस. (टैट्रापैक)	हजार लीटर	2135	1725	2130	1251
5. बिक्री					
घी	मी. टन	2093	1913	3891	2722
एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी.	मी.टन	1258	1567	2392	1658
मक्खन	मी. टन	105	87	292	60
ए.पी.एस. (टैट्रापैक)	हजार लीटर	2155	1775	1935	1168
गोपशु आहार संयंत्र	आहार उत्पादन तथा बिक्री				
1. पशु आहार उत्पादन	मी.टन	46299	51863	40725	33991
क्षमता उपयोग	(%).	39%	43%	34%	28%
गोपशु आहार बिक्री	मी.टन	46518	52255	40585	33355
दुग्ध संघः	मुख्य क्रियाकलापों की स्थिति				
डेयरी सहकारी समिति (डी.सी.एस.)					
पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियां	सं.	4926	4764	4659	4568
पोरर डेयरी सहकारी समितियां	सं.	2967	2959	2910	2949
पी.डी.सी.एस./सी.सी.	सं.	820	684	518	535

1		2	3	4	5
दुग्ध अधिप्राप्ति :					
औसत/दिन	हजार लीटर प्रतिदिन	420	302	372	332
कुल	लाख लीटर	1536	1102	1359	1213
औसत प्रति कार्य डी.सी.एस.	लाख प्रतिदिन	142	102	128	113
उत्पादकों को दी गई राशि	लाख रुपये	10854	6259	6876	6215
सदस्यता					
पंजीकृत सदस्यता	संख्या	370150	362780	360572	354170
दुग्ध पूर्तिकर्त्ता सदस्य	संख्या	137105	141989	154987	151617
औसत अधिप्राप्ति दुग्ध/कार्य सदस्य	लाख प्र.दि.	3.06	2.13	2.40	2.19
निवेश क्रियाकलाप					
कृत्रिम गर्भाधान के अधीन सम्मिलित डी.सी.एस. (सकल/समूह)	संख्या	752	824	711	823
किए गए कृत्रिम गर्भाधान (कुल)	संख्या	85649	87531	101784	121412
सी.एफ.वितरण	मी.टन	36753	45347	35627	31254
औसत आहार प्रति कि.ग्रा./दूध	जी.एम.एस.	239	411	262	258

विवरण-II

संघों तथा राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ के लिए अनंतिम शुद्ध लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

'000 रुपये में राशि

संघ	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
अलवर	- 17389	- 10559	- 5660
बीकानेर	- 7408	6442	4526
गंगानगर	- 7478	- 4254	53
चुरु	- 3257	- 1982	- 501
टोंक/एस.डब्ल्यू.एम.	- 2300	- 2659	- 1673
अजमेर	- 17400	- 4494	1969
भीलवाड़ा	1078	2770	5218
जयपुर	- 3578	- 1052	- 64
जोधपुर	- 9447	- 8852	- 8660
पाली	- 1095	- 1272	1426
भरतपुर	- 4522	- 4563	-

1	2	3	4
कोटा	- 4756	- 5057	- 3234
जालौर	- 9764	- 2115	- 3460
उदयपुर	919	- 67	369
सीकर	- 1082	- 1318	- 1719
बांसवाड़ा	- 1305	- 1132	- 664
कुल	- 88784	- 40164	- 12074
राजस्थान सहकारी डेरी परिसंघ	- 34179	- 64798	- 62024
कुल योग	- 122963	- 104962	- 74098

[अनुवाद]

रेल मार्ग का विद्युतीकरण

4143. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान के कोटा-नीमच एवं कोटा-बीना रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राजस्थान में कोटा-नीमच और कोटा-बीना खंडों को विद्युतीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि विद्युतीकरण परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी वाली परियोजनाएं हैं इसलिए केवल बड़ी लाइन के उन मार्गों के विद्युतीकरण पर विचार किया जाता है जिन पर यातायात का घनत्व अधिक हो और निवेश पर प्रतिफल की दर विद्युतीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से कम न हो। कोटा-नीमच और कोटा-बीना खंड फिलहाल विद्युतीकरण के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है।

विदेशी वाणिज्यिक उधार

4144. श्री सनत मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने जून, 1995 में सैंकड़ों मिलियन डालर (300 करोड़ रुपये) मूल्य के विदेशी वाणिज्यिक ऋण (एक्सटर्नल कमर्शियल बौरोंइग्स) लेने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के विदेशी ऋण से किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सरकार ने रेल मंत्रालय द्वारा पूंजीगत सामान के आयात के प्रयोजन के लिए 1995-96 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋण के जरिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 70 मिलियन डालर जुटाए जाने के लिए स्वीकृति दी थी।

(ग) विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने से भारतीय रेल वित्त निगम को ऋण जुटाने में सहायता मिली थी जो अन्यथा देशी बंधपत्र बाजार से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।

बाक्स वैगन को फिर से शुरु करना

4145. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने बाक्स वैगनों को फिर से शुरु किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) इसे फिर से शुरु किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या बाक्स वैगन की कोई कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेलों पर बाक्स माल डिब्बे थोक पण्यों की ढुलाई करते हैं। संक्षारण पण्यों का लदान, ट्रिफलर और मैकेनिकल लदानकर्त्ताओं द्वारा इन माल डिब्बों में गलत तरीकों से लदान और स्टील मिलों पर लदान के संकेन्द्रित प्रभाव से भी इन माल डिब्बों को अधिक संक्षारण और क्षति होती है। इसलिए, कुछ बी.ओ.एक्स. माल डिब्बों को उनके मध्य जीवन में गहन मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऐसी मरम्मतों को सामान्यत: पुनर्स्थापन के रूप में जाना

जाता है जो रेलों के नामित कारखानों में उनकी हालत, प्राप्ति और अवशिष्ट आयु के आधार पर की जाती है। यह गतिविधि 1992-93 में शुरु हुई थी और 1995-96 तक कुल 2789 माल डिब्बों को पुनर्स्थापित किया गया है।

(ख) बी.ओ.एक्स. माल डिब्बों के पुनर्स्थापन की गतिविधि 1996-97 के दौरान जारी है। 1996-97 के रेल बजट में 900 माल डिब्बों के पुनर्स्थापन के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत इंजनों का रख-रखाव

4146. श्री हाराधन राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल इलेक्ट्रिक लोकोशेड में हाई पावर इंजन सहित सभी प्रकार के इंजनों के रख-रखाव की कोई योजना शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आसनसोल मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए मुख्य प्रारम्भिक/पर्यन्तक प्वाइंट नहीं है और इसलिए यह उच्च शक्ति वाले रेल इंजनों सहित सभी प्रकार के बिजली रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

खाली पड़ी रेल की भूमि

4147. श्री गिरिधर गमांग : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का दक्षिण पूर्व रेल के रायगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में खाली पड़ी रेल भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) रेल के उपयोग हेतु कुल कितनी भूमि उपलब्ध है;

(ग) क्या उपरिपुल के निर्माण के कारण रायगढ़ नगरपालिका क्षेत्र, कुछ व्यक्तियों और विस्थापित दुकानदारों ने कुछ भूभाग को पट्टे पर देने के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोई नहीं।

(ख) लगभग 94 एकड़।

(ग) जी हां।

(घ) अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में रेलवे के विस्तार और विकास कार्य के लिए इस जमीन की आवश्यकता है। इसके अलावा वर्तमान नीति के अनुसार रेलवे से भिन्न अन्य कार्य के लिए जमीन पट्टे/लाइसेंस पर देना बंद कर दिया गया है।

रतलाम-दाहोद सेक्शन में समाज विरोधी तत्वों द्वारा लूटा जाना

4148. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम-दाहोद सेक्शन में समाज विरोधी तत्वों द्वारा गार्डों को लूटे जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जी.आर.पी. तथा आर.पी.एफ. द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ~~क्या~~ कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) रेलों में होने वाले अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना तथा उसकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की जिम्मेदारी है जोकि संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है। अपराध के खण्ड-वार अथवा क्षेत्र-वार आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों को उनकी प्रवर्तन मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

नक्सलवादी आतंक

4149. श्री बृज मोहन राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार नक्सलवादी आतंकवाद से प्रभावित जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) उन राज्यों के उन जिलों का नाम क्या है जहां कि गत तीन वर्षों के दौरान हत्या, अपहरण तथा घरों व खेतों को जलाने के संबंध में एफ.आई.आर. लिखी गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से बी.एम.पी. तथा वहां के पुलिस बल के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (छ) दिसम्बर, 1994 के दौरान बिहार सरकार से 12.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगते हुए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सहायता की मांग वाहन, हथियार तथा गोला-बारूद आदि प्राप्त करने के लिए की गई थी। कोई भी अनुमोदित निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण बिहार सरकार को कोई भी विशेष सहायता जारी नहीं की जा सकी। तथापि, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य को निम्नांकित निधियां जारी की गई।

वर्ष	जारी की गई राशि (लाखों में)
1992-93	233.120
1993-94	284.000
1994-95	116.560
1995-96	308.120
1996-97	116.560

उपरिपुल का निर्माण

4150. श्री पंकज चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धर्मशाला रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनसम्पदा का निर्यात

4151. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिशत वन सम्पदा का निर्यात किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार ने इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) सार्वजनिक नीलामी के जरिए उच्चतम बोलीकर्ता को वनोपज की बिक्री की जाती है। खरीददार को एक बार सामग्री सौंप दिए जाने के बाद वनोपज का कहां और कैसे उपयोग किया जाता है इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अत: उत्तर प्रदेश से वन संपदा का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। तथापि, निर्यात-आयात नीति 1992-97 के तहत निर्यात-निषेध सूची भाग-1 पैरा-158 की प्रविष्टि संख्या-7 के अनुसार लट्ठों, इमारती लकड़ी, ठूठों, जड़ों, छाल, छोटे टुकड़ों, चूर्ण, परतों, काष्ठधूल, लुग्दी और काष्ठ कोयले के रूप में काष्ठ और काष्ठ उत्पादों के निर्यात की मनाही है।

[अनुवाद]

मैसर्स स्पैन मोटेल्स

4152. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी तट पर मैसर्स स्पैन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित वन्यभूमि का पट्टा समाप्त करने की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति गठित की है। समिति ने दिनांक 12.6.1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश मैसर्स स्पान मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त वन भूमि का पट्टा रद्द करने के संबंध में है। यह मामला न्यायाधीन है।

रेलवे के लिए विश्व बैंक सहायता

4153. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में आज तक विश्व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त राशि का उपयोग किया जाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य संत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) रेलों को विश्व-बैंक से प्राप्त हुई सहायता इस प्रकार है:-

1994-95	25.620 मिलियन अमरीकी डालर
1995-96	7.500 मिलियन अमरीकी डालर
1996-97	2.324 मिलियन अमरीकी डालर

(ग) रेलों ने पुनर्स्थापन के लिए तीसरी रेल आधुनिकीकरण परियोजना, भारतीय रेलों के भारी घनत्व वाले मार्गों के आधुनिकीकरण तथा रेल पथ मशीनों यथा टाई टैम्पर, बैलास्ट क्लीनर, ट्रैक स्टैबिलाइजर और प्वाइंट्स क्रासिंग लेयर की खरीद के लिए सहायता प्राप्त की थी।

रेलों ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 के रेल घटकों हेतु परियोजना प्रारंभिक अध्ययनों के खर्च की पूर्ति के लिए भी विश्व बैंक की परियोजना प्रारंभिक सुविधा से अग्रिम प्राप्त किया है। ये अध्ययन हैं: (i) मुम्बई में संयुक्त उपनगरीय रेल परिचालन के लिए वित्तीय और सांस्थानिक अध्ययन। (ii) मुम्बई उपनगरीय प्रणाली के लिए प्रणाली योजना अध्ययन और सिमुलेशन माडल का विकास। (iii) मुम्बई उपनगरीय प्रणाली के मौजूदा इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिटों के पुनर्निर्माण के लिए विशिष्टी का विकास करने के लिए अध्ययन। (iv) मुम्बई उपनगरीय गाड़ी सेवाओं के लिए डी.सी. से ए.सी. कर्षण में बदलाव के लिए अध्ययन।

माडल रेल स्टेशन

4154. डा. ए. के. पटेल :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ रेल स्टेशनों को मॉडल रेल स्टेशन के रूप में विकसित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक मॉडल रेल स्टेशन के रूप में घोषित किए गए तथा परिवर्तित किए गए स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई स्टेशन गुजरात में परिवर्तित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक राज्य में घोषित किए गए किसी स्टेशन को मॉडल रेल स्टेशन में परिवर्तित कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) वर्ष 1986 में कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने की योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 67 स्टेशनों को चुना गया था। आमान-परिवर्तन के कारण 3 स्टेशनों पर कार्य रोक दिया गया था और इस प्रकार भारतीय रेलों पर केवल 64 स्टेशनों का विकास किया गया था।

अब यह योजना बंद कर दी गई है।

रेलें राज्यवार सूचना नहीं रखती हैं।

विदर्भ क्षेत्र में रेल परियोजना

4155. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के लोगों के लिए पैकेज के रूप में अनेक नई परियोजनाओं की घोषणा की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनावार विदर्भ क्षेत्र में शुरु की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इनके लिए वास्तव में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। इस प्रकार से किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की ढुलाई हेतु रेक

4156. श्री बी. एल. शंकर :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला आधारित उद्योगों विशेषकर ताप विद्युत स्टेशनों को कोयला खदान के मुहाने से कोयले की ढुलाई हेतु पर्याप्त रेकों के आवंटन के अभाव में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कोयले की ढुलाई हेतु रेकों की अनुपलब्धता/ आबंटन न किये जाने के कारण मुहानों पर कोयले का अनियंत्रणीय भंडार जमा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संचित भंडार की ढुलाई हेतु रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चलते-फिरते चिड़ियाघर

4157. श्री मोहन रावले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने चलते-फिरते चिड़ियाघर हैं;

(ख) क्या ये चिड़ियाघर वन्यजीवों के संरक्षण के अनुकूल नहीं हैं;

(ग) क्या ये चलते-फिरते चिड़ियाघर विधि सम्मत हैं और उन्हें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार देश में चलते-फिरते चिड़ियाघरों की कुल संख्या 23 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 23 चलते-फिरते चिड़ियाघर जिन्होंने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, 19 चिड़ियाघरों का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इनमें से 17 चिड़ियाघरों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया गया है और उन्हें निदेश दिया गया है कि वे अपने अनुसूचित जीवजन्तुओं को मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में जमा करा दें। एक चिड़ियाघर को कहा गया है कि वह कारण बताएं कि उसे मान्यता देने से इन्कार क्यों न किया जाए। एक चिड़ियाघर का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। शेष चार चिड़ियाघरों ने अपना प्रचालन पहले ही बन्द कर दिया है।

कोंकण रेल परियोजना

4158. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने कोंकण रेल परियोजना को पूरा करने हेतु अपेक्षित धनराशि के लिए कुछ विदेशी बैंकों से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने विदेशी वाणिज्य ऋणों के माध्यम से 30 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। बैंक आफ अमरीका द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विचार की प्रक्रिया जारी है और अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

बड़ी लाइन का विद्युतीकरण

4159. डा. अरविंद शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक तक बड़ी लाइन के विद्युतीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस मार्ग पर दिल्ली से रोहतक तक किसी नई ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह रेलगाड़ी कब से शुरु किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रोहतक तक बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, दिल्ली से शकूरबस्ती तक की लाइन, जो कि दिल्ली-रोहतक खंड का एक भाग है, पहले ही विद्युतीकृत है।

(ख) से (घ) 15.8.96 से दिल्ली-रोहतक और दिल्ली-रोहतक-जिंद खंडों पर एक-एक जोड़ी डीजल पुश-पुल सेवाएं शुरु कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

"मेस" (एम.ई.एस.एस.) कर्मचारी

4160. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार क्षेत्रीय प्रशिक्षण योजनाएं, मुजफ्फरपुर तथा अन्य स्थानों पर कार्यरत "मेस" कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी

4161. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जेलों में कितने पाकिस्तानी बन्दी हैं और उनमें से कितनों को जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) कितने पाकिस्तानी बंदियों की सजा की अवधि पूरी हो चुकी है और वे स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में हैं;

(ग) क्या कुछ पाकिस्तानी महिलाओं को भी पाकिस्तान के आई.एस.आई. के एजेंटों और जासूसों के रूप में कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनमें से कितनी महिलाओं को गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4162. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजमेर-महसाणा और नटवर जंक्शन जोधपुर रेल लाइनों तथा बंदीकुई-आगरा मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को 1996-97 के बजट में सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) आमान परिवर्तन के इस कार्य के कब तक शुरु होने का प्रस्ताव है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इन रेल लाइनों में आमान परिवर्तन के कार्य के शुरु न हो पाने और इस संबंध में लक्ष्यों को हासिल न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) कार्य पहले ही प्रगति पर है, 1996-97 के बजट में स्वीकृत लागत तथा परिव्यय इस प्रकार है:-

(हजार रुपयों में)

परियोजना का नाम	लागत	परिव्यय	लक्ष्य की तारीख
अजमेर-मेहसाना	447,08,00	178,00,00	फरवरी, 1997
जोधपुर-मारवाड़	58,00,00	50,00,00	फरवरी, 1997
आगरा फोर्ट-	88,73,00	60,10,00	दिसम्बर, 1997
बांदीकुई	87,00,00 (बोल्ट के अंतर्गत)	60,00,00 (बोल्ट के अन्तर्गत)	

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फुट ओवर ब्रिज का निर्माण

4163. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की मांग को देखते हुए मुम्बई उप रेल मार्ग पर रेल स्टेशन के समीप रेल लाइनों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) बंबई उपनगरीय खंड के यात्रियों/जनता के लिए ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कार्य हाथ में हैं/उनके लिए योजना बनाई जा रही है:-

1. चरनी रोड स्टेशन-मौजूदा ऊपरी पैदल पुल के बदले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. दादर—मौजूद सेंट्रल ऊपरी पैदल पुल के बदले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. अंधेरी—उत्तरी ओर मौजूद ऊपरी पैदल पुल के बदले ऊपरी पैदल पुल कार्य प्रगति पर है।

4. भायंदर—प्लेटफार्मों को सेंटर में जोड़ने के लिए नए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. भायंकर-भीरा—भायंदर निगम के अनुरोध पर जनता के उपयोग हेतु भायंदर स्टेशन के दक्षिण में ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य योजना स्तर पर है।

6. मीरा रोड—स्टेशन—प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए नए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य हाथ में है।

7. दादर स्टेशन—अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

8. कुर्ला स्टेशन—नए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9. कलवा स्टेशन—थाणे नगर निगम के अनुरोध पर जनता के उपयोग के लिए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य योजना स्तर पर है।

10. पारसिक सुरंग—थाणे नगर निगम के अनुरोध पर जनता के उपयोग के लिए 2 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ऊपरी पैदल पुल के अभिकल्प का कार्य हाथ में है।

11. नेरुल स्टेशन—सिडको के अनुरोध पर मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण सिडको द्वारा विस्तृत आरेख और नक्शे अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

उपरि पुलों का जीर्णोद्धार

4164. श्री तरित वरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बैरकपुर रेलवे स्टेशन के उपरिपुलों का जीर्णोद्धार किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। संरचना की दृष्टि से ऊपरी पैदल पुल अच्छी स्थिति में है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नवी-मुम्बई हेतु विकास योजना

4165. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवी मुम्बई हेतु कोई विकास योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन्हें पूरा किए जाने में परियोजनावार कितना समय लगने की संभावना है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	परियोजना का नाम	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	स्वीकृत/ प्रत्याशित लागत	31.3.96 तक खर्च	96-97 के लिए परिव्यय	टिप्पणी और लक्ष्य तिथि
	1	2	3	4	5	6
1.	थाणे क्रीक पर पुल सहित मानखुर्द और बेलापुर तक रेलवे लाइन का विस्तार और हार्बर शाखा लाइन पर अनुषंगिक सुविधाएं	1983-84	440.86	377.66	47.11	स्वीकृत
		रेलवे का हिस्सा-	145.48	144.48	1.00	16.6.93 को चालू हो गया है और
		सिडको का हिस्सा-	295.38	233.18	46.11	अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है लक्ष्य-तिथि: मार्च, 1997

1	2	3	4	5	6
1995-96 के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्य					
1. थाणे, तुर्भे-नेरुल-वशी बम्बई में गलियारा सं. 2 का भाग	1995-96 रेलवे का हिस्सा	403.39	3.00	25.00	कार्य चल रहा है लक्ष्य तिथि :
		131.47	3.00	25.00	मार्च, 1999
	सिडको का हिस्सा	271.92	–	–	
2. बेलापुर-पनवेल दैनिक यात्रियों के लिए दोहरी लाइन पश्चिम-पूर्व गलियारे के भाग के रूप में	1995-96 रेलवे का	279.83	8.00	24.12	कार्य चल रहा है लक्ष्य तिथि:
	हिस्सा	92.34	8.00	24.12	मार्च, 1999
	सिडको का हिस्सा	187.49	–	–	
1996-97 के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्य					
3. सीवुड-उरान दोहरी लाइन	1996-97	401.81	–	1.00	अनुमान अभी
	रेलवे का हिस्सा	129.87	–	1.00	स्वीकृत किया
	सिडको का हिस्सा	271.94	–	–	जाना है, लक्ष्य तिथि : मार्च, 2000

उपरिपुल का निर्माण

4166. श्री के. एस. रायुडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पालाकोलु शहर में पी.पी. रोड रेलवे फाटक पर उपरिपुल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या योगदान है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार को कब तक धनराशि जारी कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 2.20 करोड़ रुपये।

(ग) मौजूद नियमों के अनुसार आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा किये जाने पर।

[हिन्दी]

बुर्हानपुर में चावल और गेंहू को उतारा जाना

4167. श्री नंद कुमार सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1996 की अवधि के दौरान वर्षवार मध्य प्रदेश में बुर्हानपुर स्टेशन पर कितनी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम के गेंहू और चावल को उतारा गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उतारे गए गेंहू और चावल की मात्रा स्टेशन पर किए गए मूलभार से कम पाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या इस हानि के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) बुरहानपुर में भारतीय खाद्य निगम के गेंहू एवं चावलों की उतराई का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(टनों में)

वर्ष	उतारी गई मात्रा		मात्रा में कमी	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1991-92	5825	414.24	कोई नहीं	1.13
1992-93	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
1993-94	42384	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
1994-95	19858	1962	276.86	कोई नहीं
1995-96	54787	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

1991-92 में 1.13 टन चावलों की कमी का एक दावा दर्ज किया गया था और इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि इसके संबंध में रेलवे ने "जैसा उसमें है" की रसीद जारी की है और अग्रेषक स्टेशन की मोहर सही सलामत लगा मालडिब्बा गंतव्य स्टेशन पर प्राप्त हुआ है। 1994-95 में 0.86 टन गेंहू के लिए एक दावा दर्ज किया गया था और इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि इस संबंध में रेलवे ने "जैसा उसमें है" की रसीद जारी की है और अग्रेषक स्टेशन की मोहर सही सलामत लगा मालडिब्बा गंतव्य स्थल पर प्राप्त हुआ है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन शहरों के लिए रेल सम्पर्क

4168. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने 30 सितंबर, 1995 को "पत्तन शहरों के लिए रेल सम्पर्क" के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर गुजरात के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई विलंब हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु।

(ख) जी हां।

(ग) गुजरात सरकार की मांग के आधार पर अलंग और पीपावाव पोर्ट के लिए रेल सम्पर्कों की व्यवस्था करने हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरु किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊपरि पुल का निर्माण

4169. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता द्वारा महाराष्ट्र में नंदगांव रेल स्टेशन पर ऊपरि पुल का निर्माण कराने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) नंदगाव में कि.मी. 285/2-4 पर समपार सं. 114-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य 167.79 लाख रु. की लागत पर रेलवे के 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है (रेलवे का हिस्सा—97.71 लाख और राज्य सरकार का हिस्सा—70.08 लाख रु.)।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.... (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): आप एक-एक करके बोलिए। जसवन्त सिंह जी को बोलने दीजिए..... **(व्यवधान)** आप बैठ जाइए। आप लोग एक-एक करके बोलिए ..... **(व्यवधान)**

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय, डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 404/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी, इलाहाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 405/96]

पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं, श्री टी. जी. वेंकटरामन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 406/96]

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (श्रेणी "ग" और श्रेणी "घ" पद) भर्ती नियम, 1996 जो 20 अप्रैल, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 5 अगस्त, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 407/96]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1995 जो 18 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 (अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 408/96]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14/(स्था/93 जो 18 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा में लेम्बूचेरा में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना और उसके प्रबंध के बारे में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के उपकुलपति द्वारा पहले अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 409/96]

स्मिथ स्ट्रेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं श्री सीस राम ओला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 410/96]

बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली और इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरीकल रिसर्च के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं श्री मुही राम सैकिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 411/96]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 412/96]

(5) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 413/96]

(7) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 18 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988 से 1991 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988 से 1991 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 414/96]

(ख) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1991 से 1993 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1991 से 1993 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 415/96]

(ग) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 416/96]

(8) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988 से 1991 तक की अवधि के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 417/96]

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1991 से 1993 तक की अवधि के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 418/96]

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 419/96]

(10)(क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 420/96]

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 421/96]

(ग) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 422/96]

(11) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 423/96]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 424/96]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 425/96]

(12) उपर्युक्त (10) और (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 426/96]

(13) (एक) औरोविली फाउन्डेशन, औरोविली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविली फाउन्डेशन, औरोविली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविली फाउन्डेशन, औरोविली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 427/96]

(15) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 428/96]

(17)(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 429/96]

(19)(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 430/96]

(21)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 431/96]

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत अधिसूचना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रेड टेरिफ (54वां संशोधन) नियम, 1996 जो 4 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 432/96]

अपराह्न 2.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 12 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा की 12 जुलाई, 1996 को हुई बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में निहित उद्देश्यों हेतु सभाओं की संयुक्त समिति जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति कहा जाए गठित की जाए तथा यह प्रस्ताव करती है कि यह सभा उक्त संयुक्त समिति में भाग ले तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से सभा के पांच सदस्यों को संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए चुने।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुकरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री गया सिंह
2. श्री भगवान माझी
3. श्री सीताराम केसरी
4. डा. नौनिहाल सिंह
5. श्री वीरेन्द्र कटारिया

अपराह्न 2.04$^{1}/_{2}$ बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

(पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) डाक विभाग (संचार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) परमाणु उर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में पहला प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की मांगों (1996-97) के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

पैतीसवां प्रतिवेदन

प्रो. आर. आर. प्रामाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के पैतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 2.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मोडवेट स्कीम

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, अपने बजट प्रस्तावों में मैने टैक्सटाईल फैब्रिक्स के लिए मोडवेट योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। मुझे विश्वास है कि यह कदम टैक्सटाईल को कर प्रणाली की मुख्य धारा में लाएगा जिससे आदान करों के कुप्रभाव को यदि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका तो कम

जरुर किया जा सकेगा। इससे कम्पोजिट मिलों तथा प्रसंस्करण उद्योग को आधुनिक बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता वाला कपड़ा तैयार करने में मदद मिलेगी जिसका टैक्सटाईल और गारमैन्ट के निर्यात पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। .... **(व्यवधान)**

अपराह्न 2.07 बजे

इसी समय श्री राम नगीना मिश्र और कुछ अन्य माननीय संदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए

श्री पी. चिदम्बरम : बजट प्रस्तावों में मैंने प्रस्ताव किया था कि स्वतंत्र प्रसंस्करण उद्योगों को सूती फैब्रिक्स पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक के लिए 5 प्रतिशत की दर से तथा अन्य सभी फैब्रिक्स पर 10 प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क देना होगा। मैंने यह भी प्रस्ताव किया था कि अदा किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत के आधार पर मोडवेट ऋण प्राप्त करेंगे।

हालांकि मोडवेट योजना प्रारम्भ करने का व्यापक स्वागत हुआ है। मुझे कई माननीय संसद सदस्यों तथा व्यापार और उद्योग से बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैंने उन सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया है तथा उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

संयुक्त मिलें, जो बुनाई, कताई और प्रसंस्करण संबंधी सभी कार्य एक जगह करती हैं; अब खरीदे हुए फाईबर और यार्न समेत अपने सभी आदानों पर अदा किए गए वास्तविक शुल्क पर लाभ पाने की हक़दार होंगी।

मैं सूती धागे के लिए सीमा 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूँ। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत वाले सूती कपड़ों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के एवज में पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगेगा। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक कीमत वाले सूती कपड़ों पर 12 प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क तथा आठ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

अन्य सभी कपड़ों पर 12 प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के एवज में आठ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

सूती कपड़ों के संबंध में मैं अदा किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से मोडवेट ऋण को जारी रखने का भी प्रस्ताव करता हूँ। तथापि अन्य सभी, कपड़ों के लिए मैं इसे 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रतिशतताओं पर 'नोशनल' ऋण में यार्न के अलावा डाई, रसायनों, पैकेजिंग सामान तथा उपभोग की वस्तुओं पर 'नोशनल' ऋण भी शामिल है।

ये परिवर्तन 4 सितम्बर, 1996 से लागू होंगे।

इन परिवर्तनों को लागू करने हेतु जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएंगी। ..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 4 सितम्बर, 1996/13 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।